खण्ड-07 सत्र - 07 / अंक- 53

शुक्रवार 18 मार्च, 2011 / फाल्गुन 27, 1932 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

चतुर्थ विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड - 07 में अंक 50 से 59 तक सम्मिलित हैं)

विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

विषय सूची

सत्र-07 शुक्रवार, 18 मार्च, 2011/फाल्गुन 27, 1932 (शक) अंक 53

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का सदन से संक्षिप्त बहिर्गमन	3
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्र.सं. 41, 42, 43, 45, 47)	4-41
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र.सं. 44, 46, 48 से 60)	41-56
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र.सं. 118 से 172)	57-137
6.	नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख	138-173
7.	गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प	174-226

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-07 दिल्ली विधान सभा के सातवें सत्र का चौथा दिन अंक-53

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:-

1. श्री अ. दयानन्द चंदीला अ.
2. श्री अनिल भारद्वाज
3. श्री अनिल झा
4. श्री अनिल कुमार
5. श्री अरविन्दर सिंह
6. श्री आसिफ मो. खान
7. श्री बलराम तंवर
8. श्रीमती बरखा सिंह
9. चौ. भरत सिंह
10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
11. श्री देवेन्द्र यादव
12. श्री धर्मदेव सोलंकी
13. श्री हरिशंकर गुप्ता
14. डॉ. हर्ष वर्धन
15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
16. श्री हसन अहमद
17. प्रो. जगदीश मुखी
18. श्री जयभगवान अग्रवाल
19. श्री जय किशन
20. श्री जसवंत सिंह
21. श्री करण सिंह तंवर
22. श्री कुलवंत राणा

23. श्री मालाराम गंगवाल
24. श्री मंगत राम
25. श्री मनोज कुमार
26. चौ. मतीन अहमद
27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
28. श्री मुकेश शर्मा
29. श्री नंद किशोर
30. डॉ. नरेन्द्र नाथ
31. श्री नरेश गौड़
32. श्री नसीब सिंह
33. श्री नीरज बैसोया
34. श्री ओ.पी. बब्बर
35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
37. चौ. प्रेम सिंह
38. श्री राजेश जैन
39. श्री राजेश लिलोठिया
40. श्री राम सिंह नेताजी
41. श्री रमेश बिधूड़ी
42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
44. श्री साहब सिंह चौहान
45. श्री सतप्रकाश राणा
46. श्री शोएब इकबाल
47. श्री श्रीकृष्णा
48. श्री श्याम लाल गर्ग
49. श्री सुभाष चौपड़ा
50. श्री सुभाष सचदेवा
51. श्री सुमेश
52. श्री सुनील कुमार
53. श्री सुरेन्द्र कुमार
54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
57. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
58. श्री वीर सिंह धिंगान
59. श्री विपिन शर्मा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–07 शुक्रवार, 18 मार्च, 2011/फाल्गुन 27, 1932 (शक) अंक–53

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री हसन अहमद, प्रश्न संख्या–41

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप प्रश्न काल प्रारम्भ करें, हमने कई बार यह सवाल आपके सामने रखा था कि लोकायुक्त की रिपोर्ट में राजकुमार चौहान जी को हटाने के बारे में कई बार कहा है।

अध्यक्ष महोदय : हसन अहमद जी, आप अपना प्रश्न संख्या सदन में रखिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, हम इसके प्रोटेस्ट में वॉक आउट करना चाहते हैं। आज तक उनको हटाया नहीं गया और बजाय इसके, लोकायुक्त के अधिकार कम करने की बात की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हम वॉक आउट करते हैं।

(भाजपा सदस्यों द्वारा संक्षिप्त वॉक आउट किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री हसन अहमद : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से **प्रश्न संख्या-41** प्रस्तुत है-

क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र के लिए अलग भूमिगत जलाशय बनाने की योजना वर्ष 2009 से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त क्षेत्र में भूमिगत जलाशय की सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री जी।

मुख्यमंत्री : सर, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या-41 का उत्तर प्रस्तुत है।

(क) जी नहीं।

(ख) एवं (ग) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : हसन अहमद जी, आप पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री हसन अहमद : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भागीरथी प्लांट मेरे क्षेत्र के

बिल्कुल सामने है मैंने मुख्य मंत्री जी को एक साल पहले चिट्ठी दी थी। मुझे यह कहा गया था कि वहां यूजीआर बनाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, भगीरथी प्लांट से साऊथ दिल्ली को पानी दिया जा रहा है लेकिन मुस्तफाबाद में पानी नहीं आ रहा है। यह बड़े अफसोस की बात है। कि हमारे यहां पानी नहीं है। लोग वहां पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पीछे मुझे अफसरों ने बताया कि इसको उन्होंने प्लानिंग में डाला है और हम प्लानिंग में डालेंगे। मैंने इस संबंध में एक बार सीईओ साहब से भी मीटिंग की थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मुस्तफाबाद की तरफ ध्यान दिलाया जाये। वहां पानी की बड़ी दिक्कत हैं यूजीआर नहीं है और यह बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि साऊथ दिल्ली को पानी वहां से जा रहा है लेकिन हमारे इलाके को पानी नहीं मिल रहा।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री जी।

मुख्यमंत्री : सर, यह बात सही है हमने कहा था कि वहां के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। जो सोनिया विहार के अंदर जो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो सोनिया विहार यूजीआर और यमुना विहार यूजीआर की केपेसिटी इस वक्त जितनी आवश्यकता है, उसके मुताबिक कम है। लिहाजा इसकी केपेसिटी जो आज दो मिलीयन लीटर्स है उसको बढ़ाया जायेगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि आपकी बात सही है और आपकी व्यथा समझ सकती हूं। आपके यहां जनसंख्या भी बढ़ती

जा रही है लेकिन इस कार्य को हम करेंगे और हमें उम्मीद कि यह जल्द से जल्द इसी साल के अंदर, हमें उम्मीद यह है कि मई 2011 तक हम इसे कर पायेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहती हूं कि जब कभी भी आपके यहां पानी की आवश्यकता हो, जरूरत हो, प्लीज हमें बताईयेगा। हम आपके यहां टेंकर द्वारा पानी भेज देंगे।

श्री हसन अहमद : अध्यक्ष जी, मेरे यहां टैंकर भी जाते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा निवेदन करना चाहता हूं कि हमें ये आश्वासन दे दें कि ये कब तक बनाएंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भागीरथी प्लांट मेरी कांस्टीट्यूएंशी में बिल्कुल बॉर्डर पर है, उसका फायदा हमारी कांस्टीट्यूएंशी को न मिले, यह बड़े अफसोस की बात है। हमें पानी मिलना चाहिए और जो हमें पानी मिलता है वह गंदा पानी मिलता है। एक साल से लगातार गंदा पानी आ रहा है। वहां पर लोग रो रहे हैं। वह भी दिल्ली का एक पार्ट है। भारत का एक पार्ट है आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर दोबारा से विचार किया जाये और उस गरीब इलाके की तरफ भी देखा जाए जो नार्थ-ईस्ट का एक पार्ट है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : सर, मैंने माननीय सदस्य की बात सुनी है, हम इसको जल्द से जल्द करेंगे। जायका के साथ वह प्लान बन रहा हैं और उस

प्लान के साथ साथ न केवल एक पानी को बढ़ाने की जरूरत है बल्कि पाइप लाइन भी बदलने की आवश्यकता है। हम इसको देखेंगे। आपका है करावल नगर का है। परेशानियां आपको हो रही हैं, हम इसको पूरा करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : चौ. सुरेन्द्र कुमार।

चौ. सुरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने भी अपने दो पत्र यूजीआर के लिए आपको दिए हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में भागीरथी प्लांट हैं लेकिन कुआं होते हुए भी मेरे क्षेत्र के लोग प्यासे हैं मैं माननीया मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे यहां का जो यूजीआर है, वह भागीरथी प्लांट में ही बनाया जाये क्योंकि वह मेरे क्षेत्र में ही लगता है। दूसरा, अभी मैंने कल एक चिट्ठी आपके आफिस में भिजवाई है...**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : सुरेन्द्र जी यह सवाल केवल मुस्तफाबाद के लिए है, आप वहीं तक सीमित रहिए।

चौ. सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, मेरी यह समस्या है और मैं हसन जी को धन्यवाद देता हूं। इनके क्षेत्र से दो लाइन गुजरकर जाती हैं मेरी विधान सभा क्षेत्र में जो 4 कि.मी. पाइप लाइन आती है, उसका प्रेशर खत्म हो जाता है, मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में भी यूजीआर लगवाएं और मैं यह आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे क्षेत्र के पानी की समस्या को निश्चित रूप से दूर करेंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री सतप्रकाश राणा।

श्री सतप्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि द्वारका में एक ट्रीटमेंट प्लांट चालू होना है। मेरा क्षेत्र दिल्ली के सबसे अधिक पीड़ित क्षेत्रों में से है, उसके अतिरिक्त...**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : राणा जी, यह द्वारका का सवाल नहीं है, यह मुस्तफाबाद का है। श्री मुकेश शर्मा।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि राजधानी में मुस्तफाबाद सहित समूची राजधानी में पीने के पानी का इक्वल सिस्टम करने के लिए कोई सर्वे करवाया जा रहा है, यदि यह सत्य है कि उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और कब तक अमल में आ जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : सर, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहती हूं कि दिल्ली में वाकई में पानी की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या यहां दिल्ली में यह है कि एक तो नई-नई कालोनियां बन जाती हैं और पाइप लाइन ले करना वगैरह उसमें थोड़ा समय जरूर लगता है। हम योजना जरूर बना रहे हैं, यूजीआर्स को बढ़ावा देंगे। बड़े अच्छे तरीके से, जहां तक हम यूजीआर में पानी पहुंचा सकें, वहां यूजीआर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो पुरानी पाइन लाइन हैं, जो

लीकेजिज हैं, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है, वह यह है कि जितना पानी मिलियन गेलन पानी हमें चाहिए, हमारे पास उससे वह 100 मिलियन गेलन कम आ रहा है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए, लीकेजिज कम हो जाएं लोगों को तभी राहत मिलेगी। यह नहीं है कि हमने कोई योजना नहीं बनाई है। हम योजना जरूर बना रहे हैं, निरंतर बनाते चले जाते हैं और जैसे ही हमें पानी मिलता है हम यूजीआर भी बना देते हैं, बशर्ते वहां यूजीआर बनाने से लाभ होने वाला है। दूसरा माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि हमें 80 मिलियन गेलन पानी हरियाणा से मुनक केनाल के माध्यम से मिलना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जीओएम बनाई है। उसमें हम सब लोग चर्चा करेंगे। चिदम्बरम साहब उसके कनविनर हैं मुझे उम्मीद है कि उसके बाद जो हमारा अधिकार है 80 मिलियन गेलन का, उससे खासकर हमारी आउटर दिल्ली की और साउथ दिल्ली की प्रोब्लम्स हैं, उनको हम हटा सकेंगे। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारा उसी तेजी से काम चल रहा है, जिस तरह से हमने बिजली के सुधार में काम किया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है। कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र और मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र जब दोनों एक थे तो भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट से पूरे करावल नगर

विधान सभा क्षेत्र को पानी की सप्लाई की जाती थी। आज सिर्फ सोनिया विहार से ही मुस्तफाबाद और करावल नगर को पानी दिया जा रहा है। यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि जो पेरीफेरल लाइन डाली है, वह पेरीफेरल लाइन यूजीआर से सिंगल होने की वजह से उसमें आए दिन कहीं न कहीं लीकेज रहती है, जिसकी वजह से गंदे पानी का पूरे क्षेत्र में वितरण हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि इसमें एक यूजीआर से जो सिंगल लाइन डाली है, क्या इसको डबल या ट्रिपल लाइन करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : सर, क्यों नहीं का तो सवाल नहीं है हम इसको आवश्यकतानुसार करेंगे। मैं आपको स्पष्टता से कह रही हूं कि जो करावल नगर और मुस्तफाबाद का एरिया है, यहां आबादी बहुत बढ़ती चली जा रही है। मास्टर प्लान बन जाता है। नए मास्टर प्लान को बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है। मैं मुस्तफाबाद और करावल नगर की समस्याओं से अवगत हूं। इसको हम जल्द से जल्द जैसे मैंने आपको जायका का पलान बताया, इसको चालू करने के लिए शीघ्र कदम उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय

मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुस्तफाबाद की तरह जहां पानी की किल्लत है, तो क्या वहां नए यूजीआर बनाए जाएंगे, यदि हां, तो क्या दिलशाद कालोनी में जहां पहले से ही यूजीआर की जगह उपलब्ध है और कुष्ठआश्रम ताहीरपुर में यूजीआर बनाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक?

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : सर, इनके यहां कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन जैसी आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है प्लान में है और यूजीआर कहां बनेगा। एक तो यूजीआर बनाना एक काम है। दूसरा काम है, हम यूजीआर तक पानी पहुंचा सकें। तीसरा काम है, उस यूजीआर से कहां तक हम पाइप लाइन ले जाएंगे। ये सब प्लान के तहत होता है। आपने कहा है, हम दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयभगवान अग्रवाल।

श्री जयभगवान अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मुस्तफाबाद जैसी पानी की समस्या दिल्ली के और क्षेत्रों में भी है और क्या उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की पानी के निजीकरण की कोई योजना है और यह दिन-प्रतिदिन जो समस्या बढ़ रही है, यह निजीकरण की योजना का ही तो भाग नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : सर, मैं आपके प्रश्न की कद्र करती हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। कि निजीकरण कहां से आ गया। जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से हम क्रांतिकारी सुधार पावर सैक्टर में लेकर आए थे, वही हमारा लक्ष्य है कि पानी में भी हम इसी तरह का सुधार लेकर आएं। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। यह भी सोचा जा रहा है और इस पर चिंतन किया जा रहा है कि कुछ एरियाज में हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और प्राइवेट लोगों को ले लें लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगर सदस्य चाहेंगे तो हम किसी भी रोज अप्रैल-मई में आपको प्रेजेंटेशन कर देंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी सहमति या सुझाव जो हमें मिलेंगे, हम उनका स्वागतकरेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सचदेवा जी।

श्री सुभाष सचदेवा : अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुकेश शर्मा जी के प्रश्न काफी डिटेल में पानी का जवाब दिया, लेकिन एक बात माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में नहीं रही होगी, यह हरियाणा से जो अमोनियायुक्त पानी आता है और बार-बार हर महीने चार दिन पांच दिन के लिए जो प्लांट बंद हो जाता है, इनके खिलाफ दिल्ली सरकार ने आज तक क्या कार्रवाई की? लोगों का जीवन खतरे में है, पानी जहरीला आ रहा है, उनके ऊपर कोई केस किया जायेगा या नहीं किया जाएगा, दिल्ली सरकार क्यों चुप है? इसके बारे में मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : सर, माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है, वह स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे यहां जो निरंतर पानी आता है, उसमें अमोनिया की मात्रा कितनी है या अन्य और कोई प्रदूषित वस्तु जो नहीं आ रही है। यह निरंन्तर किया जाता है। जांच की जाती है और जैसे ही यह पता चलता है वैसे ही हम लोग पानी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए करेंगे। हमने ये मामला सैन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी लिया है, ये मसला हमने इन्वायरनमैन्ट से भी लिया है। हमने वाटर रिसोर्सेज को भी कहा है कि जो अमोनिया की फ्रीक्वेन्सी है, वह जरूर बढ़ रही है। यानी पहले हफ्ते, दो महीने-चार महीने में कभी-कभी आता था। अब पिछले दिनों में तीन-चार दफा हो चुका है। इसमें हमें भी बहुत चिंता है, एक तो ये कि अमोनिया आ रहा है। दूसरा ये है कि हमें पानी की कमी पड़ती है क्योंकि हमें प्लांट्स रोक देने पड़ते हैं। इसकी चिंता है, हमने सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट को भी कहा है, हमने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी कहा है। अब मुझे उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोज शौकीन।

श्री मनोज शौकीन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि मुण्डका विधान सभा क्षेत्र के अंदर दो यूजीआर पिछले काफी समय से बनने तय हो रखे हैं। मेरे ख्याल से

जब बिजेन्द्र जी थे, मुण्डका का यूजीआर उस समय डिजाइड हो गया था। और जमीन भी ले ली थी। उसके बाद उस पर केस डला। केस खत्म भी हो गया। उसको भी लगभग एक साल हो गया है। परंतु वहां पर काम किसी भी प्रकार का न मुण्डका में और न कराला यूजीआर पर, आज तक बहुत धीमी गति से कार्य उस पर हो रहा है। मेरे क्षेत्र में पहले तो सिर्फ 20 गांव थे। उन गांव के साथ लगी हुई एक सावदा जेजे कालोनी बस गयी; जिसके अंदर आज भी पानी नहीं है। उसी के साथ 86 अनधिकृत कालोनियां आ गयी। उन अनधिकृत कालोनियों के अंदर रिसैटल मैन्ट कालोनी के अंदर हमने पानी देने के लिए रिक्वेस्ट भी की है। अधिकारी एस्टिमेट और योजनाएं भी बना रहे हैं। हमारे पास जब यहां पर पानी नहीं होगा तो हम उन लोगों को कैसे पानी दे पायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी से इस काम को किया जाये और दोनों यूजीआर जल्दी बनाये जायें।

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं शौकीन साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि इन्होंने प्रश्न उठाया और साथ में अपना जवाब भी दे दिया कि काम चल रहा है, अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। प्लान भी बन रहे हैं, अब उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। लेकिन इस बीच कोई आपको विशेष परिस्थिति में कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमें बताइयेगा। उसका हम समाधान निकालेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न सं.42, श्री कुलवन्त राणा।

SHRI KULWANT RANA : Sir, **Q. No. 42.**

Will the **Chief Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Finance Committee has also been constituted in the Finance Department of the Delhi Government;

(b) if so, the basis on which the Finance has been constituted alongwith its objectives and details of all its members;

(c) the number of meetings of the Finance Committee which are convened every year and the nature of cases which are considered by it; and

(d) whether it is also a fact that the meetings of this Committee are not being convened since long time, if so, the reasons thereof?

Chief Minister : (a) जी हां, सरकार ने दो समितियां बनाई हुई हैं। Expenditure Finannce Committees, फाइनेन्स डिपार्टमैन्ट में, उनकी दो की कैटेगरीज हैं, एक तो Expenditure Finannce Committees-I कहलाती है और दूसरी Expenditure Finannce Committees-II कहलाती है।

(b) The cost of the infrastructure project is the basis of constitution of the Committees. These Committees appraise approval and sanction the infrastructure projects of various departments of the Government depending on the estimated cost of which is committee No-I is five crores upto hundred crores, वो सैंक्शन कमेटी नं.-I करती है। there is one Expenditure Finance Committee, जो 14 फरवरी, 2009 में गठित की गयी थी। Constitution of this Committee was reviewed and it was bifurcated. The composition and objective of the two committees are detailed as under:

Expenditure Finance Committee-I

1. Infrastructure projects costing upto Rupees fifty crores and upto rupees hundred crores.
2. Commonwealth Projects which were constituted in 15th July, 2009.

Expenditure Finance Committee-II

1. Infrastructure projects costing above ruppees five crore and upto rupees fifty crores.

Chief Minister being the Minister in charge of finance is heading the two Expenditure Finance Committees.

(c) Number of meetings of the Expenditure Finance Committees are not pre-fixed. It depends upon the receipt of the infrastructure projects which come to it which are those which are costing above rupees hundred crores in the Finance Department from administrative department and after due approval of all the concerned departments. इस कमेटी में प्लानिंग लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स इत्यादि ये सब आते हैं, इन सब प्रोजेक्टस का देखा जाता है। प्रपोजल्स आते हैं। before the Expenditure Finance Committee जो उसमें फाइनली फैसला करती है, Infrastructure projects of various departments of the Government costing above five crores but upto hundred crores are considered by these committees as per the respective financial limits.

(d) Sir, the meetings of the Committee have taken place from time to time and as required. Therefore, it is not true that the

meetings of the Expenditure Finance Committees have not taken place since long. The last meeting of the Expenditure Finance Committee took place on 1st March, 2011 and, I can say that whenever it is required, ये मीटिंग्स की जाती हैं। इस मीटिंग के न होने की वजह से कोई कार्य रोका नहीं जाता। जैसे ही आवश्यकता होती है, वैसे ही मीटिंग बुला ली जाती है।

श्री कुलवन्त राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब दिया तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह भी सत्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पुल है, जिसकी पोस्ट 5 करोड़ से अधिक है, 2 साल से वित्त मंत्रालय में वह योजना लंबित पड़ी है और पिछली मीटिंग जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया 1 मार्च, 2011 उससे पहले कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं है आपके यहां वित्त मंत्रालय में। ये योजना किस कारण से वहां पड़ी है और किस कारण से वो एप्रूव अभी तक क्यों नहीं हो गयी। उसके क्या कारण हैं? ये योजना दो साल पहले आपके वित्त मंत्रालय में गई हुई है।

मुख्यमंत्री : क्या आपने इस योजना का जिक्र किया है? क्योंकि आपने एक विशेष योजना की बात की है। उसका मैं पता करके आपको बता दूंगी कि क्या कारण है, क्यों नहीं आई है, उसमें कोई न कोई कमी या खामी होगी, इस वजह से नहीं आई लेकिन क्योंकि आपने इस प्रश्न को उठाया है, इस का उत्तर मैं दे दूंगी।

श्री कुलवन्त राणा : अध्यक्ष महोदया, मैंने ये प्रश्न इसलिए लगाया क्योंकि मेरी अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने बताया कि स्कीम में कोई कमी नहीं है और वित्त मंत्रालय में वह स्कीम पेंडिग है अगर उसमें कमी होती तो वित्त मंत्रालय उसमें किसी भी कारण उसमें टिप्पणी देकर के उसको वापस भेजता, वह फाइल वापस भी नहीं आई। इसलिए मैंने प्रश्न लगाया था कि मैं पूरी जानकारी लूं कि फाइनेन्स कमेटी है या नहीं है, है तो उसमें मेम्बर कितने हैं और वे प्रोजेक्टस कितने समय में एप्रूव होते हैं। इसलिए मैंने प्रश्न किया था।

अध्यक्ष महोदय : राणा जी उन्होंने कह दिया है कि पता करके आपको बता देंगी। प्रो. मल्होत्रा साहब।

मुख्यमंत्री : आप एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए अपना प्रश्न उठा रहे हैं। उसके बारे में यदि आप कर सकें तो मुझे लिख दीजिए नहीं तो यहां नोट हो गया है, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा।

प्रो. विजयकुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो उत्तर दिया है, उसमें 50 करोड़ से अधिक और सौ करोड़ रु. तक की लागत के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी। परंतु जो राष्ट्र मंडल खेलों के आयोजन से संबंधित जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उस पर न तो कोई लोअर लिमिट है न कोई अपर लिमिट है। उसमें कितना खर्च

इन्होंने किया और वह केवल कैबिनेट में मामला नहीं गया 100 करोड़ से ऊपर, सारा का सारा खर्च एक हजार करोड़ के लगभग हुआ, जितना भी हुआ है। वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति नहीं करती है, सारे रूल बदलकर इसको किया गया। कितना खर्च इन्होंने उस पर किया और क्या उसके ऊपर कोई कैग की सीवीसी की या किसी की भी उसके बारे में कोई टिप्पणी आयी है या नहीं आयी है?

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य का बहुत ही व्यापक प्रश्न है। आपको मैं लिखकर ही भेज पाँऊगी। एक्सपेण्डीचर जो मीडब्ल्यूजी के लिए किया गया, उसके लिए हमने विशेष ध्यान दिया क्योंकि कई कई प्रोजेक्टस ऐसे थे, जो हमारे नॉर्मल प्रोजेक्टस नहीं थे। They were required of the Games. But I can give you the whole thing. तीसरी जो आपने सीवीसी या सीएजी की बात कही है, उनसे कोई अभी तक ऐसा नहीं आया है। कुछ उन्होंने सवाल पूछे थे। वे जवाब दिये गये हैं उनको। वे जवाब से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, ये हमें मालूम नहीं है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यंमत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उनकी पहले रिपोर्ट आती है तो आपके पास कोई प्रिलमिनरी रिपोर्ट आयी होगी जिसमें आपसे प्रश्न पूछे हैं। क्या वह रिपोर्ट सदन के सामने आप रख सकती हैं या हमको बता सकती हैं? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इसको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी? केबिनेट में जाकर एक दिन में ही हो

सकता है। अगर एक हजार करोड़ रु. खर्च करना है तो इतनी बड़ी समिति है, उसके पास पहले वाली और दूसरी वाली में अंतर नहीं था। सारी पॉवर्स क्यों एक हाथ में ले ली गई और वो खर्च कैसे किया गया, यह बात है?

मुख्यमंत्री : सर, आप अपने आप ही कह रहे हैं कि एक हजार करोड़ रुपया जो भी हमारा होता है। उसको पूरी केबिनेट डिसाइड करती है क्योंकि हम ने बड़े-बड़े काम किए हैं। C.W.G. के लैब और रिपोर्ट में कैसे सी.जी.सी की या पी.ए.सी की यहां पर रख सकती हूं। जब फाइनल कुछ हुआ ही नहीं है। तब जो भी कायदा, तरीका होता है, वो कर लेंगे। Delhi Sarkar is responsible for the work that was assigned to it whether it was the Thyagraj Statium, whether it was the Chhatrasal Stadium or the Salim Garh Roads or the beautification etc. All that has been done through a proper procedure. If there are any questions which come, we will answer them. फाइनल रिपोर्ट तो आ जाए। मैं वो प्रश्न आपको कैसे बता सकती हूं। मुझे खुद ही नहीं मालूम है कि क्या है। यदि कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। यदि कुछ क्लेरिफिकेशन्स मांगी गई हैं तो हमारा स्टाफ दे रहा हो।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सारे समाचार पत्रों में छपा है कि स्ट्रीट स्क्रैपिंग पर, दूसरों पर जो 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बारे

में उन्होंने बहुत सख्त कठोर टिप्पणियां की हैं। जो टिप्पणियां अखबार में छप सकती हैं और मेम्बरों को मालूम नहीं हो सकतीं?

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : मल्होत्रा साहब, आप जानते हैं। यदि अखबार को कुछ चीज मालूम होती है। हम भी उसका पता करते हैं। लेकिन जहां पर, ये जो आप बड़े तजुर्बेकार हैं और आप जानते हैं कि सी.ए.जी. हो या सी.वी.सी हो या ई.डी. हो जो भी कोई संस्था हैं। उस सब पर पहले प्रश्न लें, उनका जवाब दें। अगर वो असंतुष्ट हों तो फिर वो पूछते हैं। यह पूरा प्रोग्राम चल रहा है। यह विधि चल रही है। How can I reply to you now?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री अरविन्दर सिंह।

श्री अरविन्दर सिंह : अध्यक्ष महोदय, **प्रश्न संख्या-43** प्रस्तुत है।

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देवली विधान सभा क्षेत्र में मंगल मंदिर, टीनू पब्लिक स्कूल, होली चौक एस्थल मंदिर, ब्रह्मकुमारी सड़कें जर्जर हालत में हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त सड़कों से पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करके उपरोक्त सड़कों का पुनर्निर्माण कर दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-43 का उत्तर प्रस्तुत है।

(क) जी हां।

(ख) उपरोक्त सड़कों से पानी की निकासी लोक निर्माण विभाग के भूमिगत नाले में होती है, जिसके लिए एम.बी. रोड पर दक्षिण पुरी मोड़ व खानपुर, पंजाब नेशनल बैंक के पास दो पुलिया लोक निर्माण विभाग द्वारा बना दी गई है।, जिससे इस स्थान पर जल भराव की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।

(ग) इन सभी सड़कों वे नालियों की योजनाओं को ग्रामीण विकास बोर्ड की दिनांक 02-02-2011 की बैठक में पारित कर दिया गया है, जिनका विवरण सूची में संलग्न है। इन योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ये कार्य किए जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री अरविन्दर सिंह।

श्री अरविन्दर सिंह : अध्यक्ष महोदय, रूरल डवलपमेंट बोर्ड ने जो सड़कें पास की हैं। उसके लिए धन्यवाद। यहां पर पानी की निकासी की बहुत दिक्कत है। खासकर मंगल बाजार रोड पर उसके सामने ही बत्रा हॉस्पीटल है और वहां गन्दा पानी एक नदी की तरह से बहता है। वहां पर इतने मरीज होते हैं। वहां का ये जो ड्रेन है, स्ट्राम वाटर ड्रेन, वो ऊँचा है, जो एम.बी. रोड पर है और ये जो निकासी की, ये जो हमारी नालियां वहां पर पहुंचती हैं। अगर वो ड्रेन को नीचा किया जाए

तो उसमें पानी अच्छे तरीके से जा सकता है। यह रूरल डवलपमेंट बोर्ड का फ्लड का काम है जो कोई सफाई का प्रावधान नहीं है। या तो इसकी एम.सी.डी. सफाई करे या बाढ़ विभाग को ऐसा फंड जारी किया जाए जो वहां की सफाई भी करे।

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जितना भी डिस्चार्ज है, यह एम.बी रोड होकर एम.सी.डी के नाले में जाता है और उससे एम.सी.डी. के नाले के अंदर गाद भरी हुई है। उसकी सफाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरा यह है कि एमसीडी के नाले का स्मॉडलिंग तैयार कर लिया गया है और जल्द ही वो काम शुरू होगा।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग किसके पास है। जो अभी रि-शफल हुआ। लोक निर्माण विभाग किसके पास गया है?

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, वे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग किसके पास है?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह क्वश्चन मुझे ट्रांसफर कर दिया गया था।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, It is a question of order. It is a question of PWD Minister. प्रश्न 43, लोक निर्माण मंत्री से है। क्या लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर वालिया हैं? मैं केवल यह पूछ

रहा हूं। या वह सरकार ऐसे ही चल रही है? यह लाला की दुकान नहीं है। यहां पर कोई भी जवाब दे दे। Or whether the permission of the Honourable Speaker has been taken? अध्यक्ष महोदय, इस क्वश्चन में लिखा हुआ है कि लोक निर्माण मंत्री इसका जवाब देंगे। यह क्वश्चन नंबर-43 श्री अरविन्दर सिंह, क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे तो सदन यह जानना चाहता है कि सरकार के लोक निर्माण मंत्री कौन हैं?

अध्यक्ष महोदय : अभी मंत्री जी बतला रहे हैं। मंत्री जी।

...अंतरबाधाएं...

श्री साहब सिंह चौहान : सर मेरा पॉइन्ट आफ आर्डर है कि लोक निर्माण मंत्री कौन है और क्या लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर वालिया हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बतला रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री : यह क्वश्चन जो है।

श्री साहब सिंह चौहान : यह क्वश्चन नहीं है, whether the Minister has taken the permission from the Honourable Speaker?

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी की बात को सुन लेने दीजिए।।

स्वास्थ्य मंत्री : सिंचाई एवं बाढ़ विभाग की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई है और ये जितनी सड़कें बन रही हैं, नालों की रिमॉडलिंग हो रही है, वो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को करनी है। इसलिए यह प्रश्न मुझे रेफर कर दिया गया था और मैं इसका ऑन्सर दे रहा हूं।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मुख्यमंत्री जी बोल रही हैं।

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, यह कहीं न कहीं मिसअंडरस्टेंडिंग हुई है कि वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर लिखा गया है। जो टॉपिक, जो सबजैक्ट डील किया जा रहा है, वो डॉक्टर वालिया के पास है।

...अंतरबाधाएं...

मुख्यमंत्री : एक मिनट, आप मेरी बात सुन तो लीजिए। दूसरी बात मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूं कि we sit here as a Government. So, as a Government, if Dr. Walia answers a question, I think it is perfectly alright.

...अंतरबाधाएं...

मुख्यमंत्री : Obviously, the questions have been framed by the Secretariat of our Legislative Assembly. Now, if you feel there is an in correction in it, we will see that it is corrected later on. हमारा मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि किसी को by-pass किया जाए। आपको जवाब चाहिए, वो जवाब मिलेगा। As per rule, if you feel it, you can withdraw this question today, put it another day if there has been some misunderstanding. That is all I can say. If there has been some misunderstanding, do not ask this question today. You can ask it next time and then, we will put it under the right heading.

डॉ. जगदीश मुखी : आपने स्पीकर महोदय को सूचित करना है। वे हमें यह बतायेंगे कि आज इस सवाल का जवाब अमुक मंत्री न देकर

के वे देंगे। यह आपको हमें सूचित करना है। यह सारे प्रोसीजर का लैप्स है।

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बेसिकली जो क्वश्चन है, यह सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से संबंधित है। इसलिए राजकुमार जी ने मुझे रेफर कर दिया था। मैंने इसको एक्सैप्ट किया है और मैं इसका जवाब दे रहा हूं। कई बार यह होता है कि क्वश्चन जटिल होता है, जिसमें दो दो, तीन तीन डिपार्टमेंट इनवॉल्व होते हैं। इसमें आपको कोई आब्जैक्शन नहीं होना चाहिए। यह अगर उस डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह बहुत बड़ी गलती है। यह बहुत बड़ा प्रोसीजर का मिस्टेक है। एक बार स्पीकर कहें कि जवाब मंत्री देंगे। आप नहीं दें तो मुख्यमंत्री जवाब दे दें। परंतु हम तो यह चाहते हैं कि राजकुमार जी जवाब दें ही नहीं क्योंकि हम उनको recognize ही नहीं करते हैं। हम उनसे पूछते भी नहीं हैं। परंतु permanently आप उनको कहिए ना।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, हमारे सचिवालय में जो पत्र जाता है, प्रश्न को लेकर, उस पर स्पष्ट लिखा होता है यदि यह आपसे संबंधित नहीं है तो आप उस मंत्री को दे दीजिए, जिससे संबंधित है, दूसरा यदि

राजकुमार जी ने डॉ. वालिया को रैफर कर दिया और उन्होंने मान लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए...**अंतरबाधा।**

डॉ. जगदीश मुखी : आपके एजेंडे के अंदर जो लिखा है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने, यदि उन्होंने जवाब नहीं देना है तो आपको इन्टीमेट करना चाहिए। C.M. can do it always. It is her power. आप किसी को भी दे सकते हैं। Any Minister can reply but that is to be intimated to the Speaker and the Speaker has to convey us.

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। देखिये, मैं आपकी बात से सहमत हूं मैं मंत्रियों को कहूंगा कि यदि संबद्ध नहीं है तो सूचना दे दें।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, इसमें असेम्बली को भी सूचित किया गया। यह बाकायदा ऑन रिकार्ड है, इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं है। इसके अंदर जब मैंने प्रश्न को स्वीकार किया...**अंतरबाधा।**

अध्यक्ष महोदय : श्री जयभगवान जी अगला प्रश्न।

श्री जयभगवान : जिस मंत्री के खिलाफ...**अंतरबाधा।**

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह बिट्टू : अध्यक्ष महोदय, अभी जब बहस हो रही थी तो चौहान जी ने अपना माइक पटक-पटक कर तोड़ डाला, क्या यह नैतिकता है और जो नुकसान हुआ, उसको देखिये...**अंतरबाधाएं।**

अध्यक्ष महोदय : बैठिए आप।

श्री सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू : सर, आप माइक को तो देखिये, माइक को तोड दिया...**अंतरबाधा।**

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। जय भगवान अग्रवाल जी।

श्री जयभगवान अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष जी, जिस मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त ने इतनी भयंकर टिप्पणी की हो, उनको मंत्री पद बने रहने का अधिकार नहीं है, न ही उत्तर देने का अधिकार है। अगर यह उत्तर देंगे तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। मैं प्रश्न पूछता ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे भ्रष्ट मंत्री से मैं प्रश्न पूछता ही नहीं। लोकायुक्त ने राष्ट्रपति के पास जिनको हटाने के लिए कहा हो, मैं प्रश्न पूछता ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है जयभगवान जी, मैंने आपको अगले प्रश्न के लिए बोला था, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं...**अंतरबाधा।**

डॉ. जगदीश मुखी : उन्होंने कहा है कि ये मंत्री महोदय, अपनी मोरल अथारिटी को खो चुके हैं...**अंतरबाधा।**

श्री जयभगवान अग्रवाल : मुझे ऐसे भ्रष्ट मंत्री से मैंने प्रश्न पूछना ही नहीं, जिसके खिलाफ लोकायुक्त ने इतनी भयंकर टिप्पणी की हो और रिकमंड किया हो हटाने के लिए...**अंतरबाधा।**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बैठ जाइये। श्री सतप्रकाश राणा।

अध्यक्ष महोदय : सतप्रकाश राणा जी, प्रश्न प्रस्तुत कीजिए।

श्री सतप्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, **प्रश्न संख्या-45** प्रस्तुत है: क्या **मुख्यमंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली में वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या कोई योजना है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार इस संदर्भ में किस-किस प्रकार की सहायता करती है,

(ख) इस योजना के अंतर्गत वर्षानुसार पिछले दस वर्षों में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई वर्षवार ब्यौरा दें:

(ग) पिछले दस वर्षों में कहां-कहां पर किस-किस संस्था द्वारा या व्यक्तियों द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग बोर किये गये और इसके लिए किस-किस संस्था या व्यक्ति को सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि इस उद्देश्य के लिए दी गई है:

(घ) उपरोक्त हार्वेस्टिंग बोर का किसी एजेंसी (निकाय) द्वारा जांच की गई है कि वे सही तरीके से लगाये गये हैं:

(ङ) यदि हां, तो उस निकाय का नाम क्या है, और

(च) पिछले दस वर्षों में जितने वाटर हार्वेस्टिंग बोर किये, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है और क्या यह वाटर हार्वेस्टिंग बोर अपने मकसद में सफल हो रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री जी प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कीजिए:

श्री सतप्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, **प्रश्न संख्या-45** प्रस्तुत है:

क्या **मुख्यमंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली में वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या कोई योजना है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार इस संदर्भ में किस-किस प्रकार की सहायता करती है,

(ख) इस योजना के अंतर्गत वर्षानुसार पिछले दस वर्षों में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई वर्षवार ब्यौरा दें:

(ग) पिछले दस वर्षों में कहां-कहां पर किस-किस संस्था द्वारा या व्यक्तियों द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग बोर किये गये और इसके लिए किस-किस संस्था या व्यक्ति को सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि इस उद्देश्य के लिए दी गई है:

(घ) उपरोक्त हार्वेस्टिंग बोर का किसी एजेंसी (निकाय) द्वारा जांच की गई है कि वे सही तरीके से लगाये गये हैं:

(ङ) यदि हां, तो उस निकाय का नाम क्या है, और

(च) पिछले दस वर्षों में जितने वाटर हार्वेस्टिंग बोर किये, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है और क्या यह वाटर हार्वेस्टिंग बोर अपने मकसद में सफल हो रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री जी प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कीजिए:

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 45 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां, दिल्ली सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा वर्षा जल संचयन को अपनाया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता आवासीय कल्याण समितियों/सामूहिक आवास समितियों/औद्योगिक भवनों, धर्मार्थ संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों के भवनों को वर्षा जल संचयन संरचना स्थापित करने के लिए उस कार्य के लागत व्यय का प्रतिशत अथवा 1,00,000/- की राशि इसमें जो भी कम हो, सहायता राशि के रूप में दी जाती है।

(ख) और (ग) इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2002 में वर्षा जल संचयन प्रकोष्ठ खुलने के उपरांत कुल रुपया 75.65 लाख की राशि वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की गयी है। जिन संस्थाओं एवं व्यक्तियों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है। उनका वार्षिक आधार पर विवरण अनुलग्नक ''अ'' में संलग्न है।

(घ) जी हां, वित्तीय सहायता देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निरीक्षण किया जाता है।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड का वर्षा जल संचयन प्रकोष्ठ।

(च) जी हां, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : राणा जी।

श्री सतप्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं मुख्यमंत्री जी से

यह जानना चाहूंगा कि बोर करने के अतिरिक्त और क्या-क्या मापदंड दिल्ली सरकार ने तय किये हैं और दिल्ली सरकार इस क्षेत्र में क्या करने वाली है। अध्यक्ष जी, दक्षिण दिल्ली का विशेषकर हमारे क्षेत्र में 500 700-800 फुट तक पानी नीचे चला गया है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बोर कागजों में दिखाए गये हैं। मैंने बहुत से बोरों को पर्सनली जाकर देखा है। बहुत सारे बोर दिखाने के लिए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर बारिश का पानी नहीं जाता है। सरकार इसको एक टास्क फोर्स के रूप में ले और ज्यादा बड़ी योजना की जरूरत है, जितनी योजना सरकार ने बनाई है, बहुत कम है। जितना पैसा सरकार ने तय किया है, बहुत कम है। एक बोर पर पांच-छह लाख रुपये का खर्च आता है। सरकार 50 हजार या एक लाख रुपये खर्च करने की बात करती है। ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें लगाया जाये, ज्यादा बड़ी फोर्स की आवश्यकता है और सरकार को बडे रूप में इसको लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : राणा जी, सवाल आपने पहले ही पूछ लिया है, ज्यादा मत पूछिए।

मुख्यमंत्री : सर, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आपने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कहा है, अब आप बोरवैल्स पर आ गये हैं।

श्री सतप्रकाश राणा : वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बोर किया जाता है। उस बोर में ही वो पानी जाता है और उसी के खर्च की बात कर रहा हूं।

मुख्यमंत्री : नहीं, नहीं वाटर हार्वेस्टिंग, जो ऊपर से पानी गिरता है, उसको किस तरह से विधिवत् तरीके से हम पृथ्वी के अंदर डाल दें, वो होता है।

श्री सतप्रकाश राणा : मुख्य मंत्री जी, वही बोर होता है जी इसके लिए।

मुख्यमंत्री : सर, माननीय सदस्य को समझाना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं एक बात बता हूं, कि मैनडेटरी होता है, 100 वर्ग मीटर से बड़ा किसी का कोई प्लॉट हो जो बिल्डिंग बन रही है, उस पर वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगना चाहिए। जिसमें से छत से पानी नीचे तक निकल जाये, इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। एमसीडी को एनओसी तक तक नहीं देना चाहिए, जब तक वो वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हुई हो। जहां तक ताल्लुक है कि कुछ पैसे की आवश्यकता है या कुछ सांईटिफिक जानकारी की आवश्यकता, क्या वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका है, क्या काम अपनाना है, वो काम दिल्ली जल बोर्ड करती है और उसी के लिए एक लाख या कुछ कम हो, वो हम दे देते हैं, एक लाख से ज्यादा नहीं देते, को ओपरेटिव सोसाटिज हैं, इंडस्ट्रीयल बिल्डिगस हैं, कमर्शियल हैं, इन सब पर अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष महोदय : सचदेवा जी।

श्री सुभाष सचदेवा : माननीय अध्यक्ष जी, आज राणा जी ने दिल्ली का वो important issue पूछा है। यह एक प्रश्न न होकर यह

दिल्ली की समस्या है, पानी का स्तर जो गिर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे एक हर विधायक को इन्होंने एक करोड़ फंड दिया हुआ है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या ऐसा कोई प्रबंध हो सकता है कि संबंधित एक्स.ई.एन. है। उसी की जिम्मेवारी हो और विधायक कहे कि यहां होना है क्योंकि इस harvesting कराने में बहुत दिक्कतें हैं। यह मेरे पास नहीं है, यह उसके पास है, सेंटर वाटर में जाइये बहुत लंबा प्रोसीजर है। अगर आप कोई ऐसा सिस्टम कर दे कि जो हमारा Maintenance का XEN है, विधायक उसको यह कहे कि एक लाख रुपया सरकार देगी, एक लाख रुपया RWA देगी, तो उसका जितना है, यह जो बोर की बात कर रहे थे। मैडम उसमें जहां पानी जाना है। राणा साहब उस बोरिंग की बात कर रहे हैं जो आप कह रही है। वो ऊपर से आएगा लेकिन बोर करेंगे तो पानी नीचे जाएगा। उस बोरिंग में प्राइवेटली बहुत पैसा लगता है, सरकार का अगर करेंगे तो उसमें कम खर्चा आएगा। आप यह तय कर दें कि हर विधायक हर साल में पांच, दस जगह harvesting system को डेवलप करेंगे तो वे काम तेजी से बढ़ेगा, आप ऐसे सिस्टम को करिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठिये।

मुख्यमंत्री : सचदेवा जी का सुझाव अच्छा है। इसको हम देखेंगे क्या कर सकते हैं लेकिन फिर से मैं दोहरा रही हूं कि water harvesting का सिस्टम जो है, वो जो भी पानी वर्षा का आपके मकान के ऊपर

या बिल्डिंग के ऊपर या किसी जगह पर इकट्ठा होता है, वो किस तरह से नीचे धरती में वापस चला जाए और उसके लिए मैं फिर कह रही हूं। तीसरी दफा दोहरा रही हूं कि maximum one lakh rupees का हम देते हैं और अगर जो बार करने में या water harvesting करने में केवल 25 हजार होता है, तो 25 हजार देंगे तब एक लाख नहीं देंगे। लेकिन यह आपका सुझाव जो है कि एक मैम्बर एम.एल.ए. जो हैं, इस प्रथा का प्रचार करके कुछ योगदान दे सकते हैं, उसका मैं स्वागत करती हूं। क्या आप उसको दे सकते हैं उसको हम देखेंगे कि कैसे हम इसको...

...अंतरबाधा...

श्री सुभाष सचदेवा : कंडीशन यह है कि 50 परसेंट RWA दे तब 50 परसेंट गवर्नमेंट देगी। हम कहते हैं जब आप, लाख देने के लिए तैयार है तो लाख में तो काम भी हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : सचदेवा जी, बैठिये। अरविंदर जी, आप पूछिये।

मुख्यमंत्री : मैं आपसे कह रही हूं ना, आपके पास, सभी मैम्बर्स से कह रही हूं कि आपके पास कोई रिक्वेस्ट्स आई हो, प्रपोजल्स आई हो तो आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए हम उनको देख लेंगे।

श्री अरविन्दर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बोरवैल ड्राई हो जाते हैं सूख

जाते हैं जल बोर्ड के क्या उसमें जल बोर्ड कर सकता है? अगर ऐसा है तो जल्दी इसको होना चाहिए।

मुख्यमंत्री : सर, अगर जो आपके इलाके में कोई ऐसी जगह हो जहां बोरवैल ड्राई हो गया है क्योंकि उसे draw out किया जाता है और आस-पास वहां पर आबादी हो तो उसको आप बता दीजिएगा हमें वहां पर हम water harvesting का तरीका लगा सकते हैं। उनको सुझाव दे सकते हैं technical knowledge दे सकते हैं, एक लाख रुपया मैक्सिमम तक दे भी सकते हैं। वो उसमें से अगर जो हो सकता है क्योंकि इसकी technology भी तो देखनी पड़ेगी ना। Technically feasible है उसी बोर वैल में वापस चला जाए। पानी इसकी संभाव्यता पहले देखनी पड़ेगी, उसके बाद देखेंगे पर आपके पास कोई हो तो जरूर बताइयेगा। water harvesting के लिए जो आपको एक करोड़ रुपया मिलता है, पानी के लिए उसमें से water harvesting के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। This I want to clarify. This did not just came to me.

अध्यक्ष महोदय : प्रद्युम्न राजपूत जी, पूछिये।

श्री प्रद्युम्न राजपूत : अध्यक्ष जी, प्रश्न नंबर जो 46 है, जिसके बारे में मुझे जवाब दिया है, उसे मैंने पूछना ही नहीं है। सरकार के मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं मैं इनसे इस बारे में जानकारी नहीं चाहता।

...अंतरबाधा...

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष जी, यह बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई, न वो हटेंगे, ना ये इस तरह पीछे हटेंगे। इसी तरह यह सदन चलता रहेगा, कब तक? इस तरह तीन साल और चलना हैं, अध्यक्ष महोदय, मतलब यह है कि आपस में बैठकर यह सारी बातचीत हो जाए और मैं मुख्यमंत्री साहिबा से कहूंगा कि लोकायुक्त का जहां तक ताल्लुक है यह पूरा मामला ठीक करे। यह बड़ी ब्लैकमेलिंग हो रही है। इसके अंदर इसको क्लियर कर लो आज बैठकर, इस सदन में चर्चा क़रना लो। यह छुरी सब पर गिर रही है, ख्वामहख्वाह के लिए। अच्छा नहीं लगता, फिर माहौल इस तरह का बन रहा है। अध्यक्ष जी, आज मैं चाह रहा हूं आज प्राइवेट मैम्बर है इसके ऊपर चर्चा हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपके सुझाव पर विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष जी, **प्रश्न संख्या-47** प्रस्तुत है-

(क) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के कुछ बड़े नाले हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त नालों की कुल संख्या क्या है और वे किस-किस मार्ग संख्या पर हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त क्षेत्र में मार्ग संख्या 64-68 सहित कई अन्य नालों की हालत खस्ता है;

(घ) क्या यह भी सत्य है इन नालों के पुनर्निर्माण के अनुमान वर्षों पूर्व संबंधित विभागों को भेजे गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो अब तक इनका निर्माण न करने के क्या कारण हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त नालों को शीघ्र बनाने हेतु प्रयास किए जाएंगे; और

(छ) यदि हां, तो कब तक ये बना दिए जाएंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, इनको उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है।

...अंतरबाधा...

प्रो. जगदीश मुखी : He does not have the moral authority to reply any question.

...Interruption...

लोक निर्माण मंत्री : प्रश्न संख्या 47 का उत्तर प्रस्तुत है-

(क) जी हां।

(ख) लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में केवल एक ही बड़ा नाला है, जो कि सड़क संख्या 64 के दक्षिणी तरफ है। यह नाला 28.01.11 को ही दिल्ली नगर निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

(ग) से (च) मार्ग संख्या 63, 64 (दक्षिणी तरफ) 68 व मार्ग

संख्या 70 पर नालों की रिमॉडलिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(छ) 1. मार्ग संख्या 63 के नालों के कार्य की निविदा स्वीकृति कर ली गई है तथा कार्य को शीघ्र ही शुरू कर लगभग 9 माह में पूरा करने की संभावना है।

2. मार्ग संख्या 68 के नाले की रिमॉडलिंग का अनुमान 01.03.2011 की ई.एफ.सी. मीटिंग में अनुमोदित कर दिया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस कार्य को लगभग 10 माह में पूरा करने की संभावना है।

3. मार्ग संख्या 6 (दक्षिणी तरफ) के नाले की रिमॉडलिंग व सड़क संख्या 70 के ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट के अनुमान बनाकर सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु शीघ्र भेजे जा रहे हैं। स्वीकृति मिलने के बाद इन कार्यों को किया जाएगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसके प्रोटेस्ट में हम वाक आउट कर रहे हैं।

(बीजेपी के सदस्यों ने वॉक आउट किया)

श्री हरिशंकर गुप्ता : अध्यक्ष जी, जो प्रश्न इन्होंने पूछा था, अगर जिस सदस्य ने यह सवाल पूछा है, अगर वो इसको नहीं पूछना चाहते

हैं, उस सवाल पर अगर दूसरे लोग बात करना चाहते हैं तो उसकी इजाजत मिलनी चाहिए। यह सवाल ऐसे व्यर्थ क्यूं चला जाए। सवाल अगर उन्होंने पूछा है, अगर वो सदन में नहीं है, पूछना नहीं चाहते हैं तो दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : तभी तो धिगान साहब खड़े हुए हैं। धिगान जी, पूछिये।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है इसमें और यह कहा है कि यह काम जो शूरू करके 10 महीने में समाप्त किए जाएंगे, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनकी शुरूआत कब की जाएगी? समापन का समय तो है लेकिन शुरूआत का समय बताया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : वीर सिंह जी कौन से नाले की बात कर रहे हैं आप।

श्री वीर सिंह धिंगान : जिस नाले का जवाब आपने दिया है।

लोक निर्माण मंत्री : आपका एक तो यह है कि 68 नाले की रिमॉडलिंग का अनुमान 01.03.2011 को ई.एफ.सी. की मीटिंग में अनुमोदित कर दिया गया।

श्री वीर सिंह धिंगान : सर, मैं 68 नंबर की बात कर रहा हूं जो काफी समय से, कई साल से उसके ऐस्टिमेट जा रहे हैं, आज तक वो

पूरा नहीं हुआ है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी शुरूआत कब की जाएगी।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय विधायक को बताना चाह रहा हूं कि 01.03.2011 को इसका ई.एफ.सी. में क्लियर हो गया है और वहां से सैंक्शन हम लोगों को मिल गई है और यह टेंडर के बाद जल्द इसको शुरू किया जाएगा।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह कहा है कि केवल उनका एक ही नाला है, मेरे क्षेत्र में यह गलत है। मेरे क्षेत्र में मार्ग संख्या 64, 70, 68, 63 ये सब पड़ते हैं और ये सारे नाले पी.डब्ल्यू.डी. के हैं, इसमें एक कहना गलत है।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने सभी नालों के बारे में माननीय सदस्य को बताया है। मैं अगर आप कहे तो मैं दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन के आंसर में यह दिया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में केवल एक ही बड़ा नाला आता है जो कि सड़क संख्या 64 के दक्षिणी तरफ है। यह नाला 28.1.11 को दिल्ली नगर निगम द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर किया गया है। यह सिर्फ एम.सी.डी. के बारे में जो आपने मुझसे मीटिंग ली थी कि एक साइड पी.डब्ल्यू.डी. के पास नाला था। एक साइड कार्पोरेशन के पास था। उस नाले को ट्रांसफर कराकर उसके ऐस्टिमेट बनाये जा रहे हैं। 63 और 64, 68 व मार्ग संख्या 70 पर नालों की रिमॉडलिंग के लिए आवश्यक

कार्रवाई की जा रही है। 63 के नालों के कार्य की निविदा स्वीकृत कर ली गई है तथा कार्य को शीघ्र ही शुरू कर लगभग 9 माह में पूरा किया जाएगा। मार्ग संख्या 68 के नाले का मैंने अभी आपको 01.03.2011 का जो ई.एफ.सी. में क्लियर हुआ है उसके बारे में आपको बताया है और 70 के drainage improvement के अनुमान बनाकर अधिकारी बना रहे हैं और उसको सैंक्शन के लिए भेज रहे हैं मैंने सभी नालों के बारे में बताया है।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूं कि जो 68 नम्बर नाला है, इसका सारा गंदा पानी एक हमारे सर्वोदय विद्यालय में जाता है। इससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। मेरी आप से प्रार्थना है कि इस नाले को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बता दें कि यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया कि 1-3. को E.F.C. में क्लीयर हो गया। वीर सिंह जी, जो सिस्टम है, टेंडर क्लीयर होगा, हां इतना जरूर है कि इसको जल्दी हम टेंडर पर ले जायेंगे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को शुरू करवायेंगे।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

44. श्री जयभगवान अग्रवाल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कों के फुटपाथों की हालत जर्जर है;

(ख) उन जर्जर फुटपाथों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने हेतु सरकार की क्या कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इनकी कब तक मरम्मत/पुनर्निर्माण कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी कोई नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

46. **श्री प्रद्युम्न राजपूत :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नसीरपुर गाँव में कुल कितने खसरे आते हैं;

(ख) सरकार द्वारा नसीरपुर गांव की कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, खसरा एवं अधिग्रहण का वर्ष क्या है;

(ग) क्या नसीरपुर गॉव में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का कब्जा ले लिया गया है; और

(घ) क्या नसीरपुर गाँव में जो भूमि अधिग्रहीत की गई है, उस पर किसी माननीय न्यायालय का कोई स्टे आर्डर है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) नसीर पुर गांव में कुल 675 खसरे हैं।

(ख) दिल्ली के सुनियोजित विकास हेतु गॉव नसीरपुर की अधिग्रहीत की गई भूमि के खसरा नं. तथा अधिग्रहण के वर्ष का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।*

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, ब्यौरा परिशिष्ट पर संलग्न है।*

48. **श्री मनोज कुमार :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में नांगलोई चौक से टीकरी बॉर्डर की ओर मेन रोहतक रोड के दोनों तरफ पी. डब्ल्यू.डी. के जो नाले हैं, वे पूरी तरह मलबे से भरे पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन नालों की सफाई न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) मुण्डका विधान सभा क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. के कितने विकास कार्य प्रगति पर हैं?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी नहीं। एन.एच-10 के संदर्भित हिस्से के दोनों तरफ सर्विस रोड व नए बॉक्स ड्रेन का कार्य प्रगति पर हैं जो माह मई, 2011 तक पूर्ण होने की संभावना हैं। नए नाले के

*पुस्तकालय में उपलब्ध है।

निर्माण के पश्चात पुरानी ड्रेन को तोड़कर उस स्थान पर सर्विस रोड बनाई जाएगी।

(ख) क्र.सं.-(क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

(ग) मुंडका विधान-सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का विवरण इस प्रकार है:-

(1) मुंडका विधान-सभा क्षेत्र में सर्विस रोड़ व ड्रेन के कार्य के लिए रु. 20 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी जो कि प्रगति पर हैं तथा इसके माह मई, 2011 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय टीकरी कलां, दिल्ली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मरम्मत कार्य। कार्य 95-प्रतिशत पूरा हो गया है।

(3) दिल्ली सरकार के स्कूलों (राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, रोहतक रोड़ नांगलोई, राजकीय उच्च माध्यमिक, एम.पी. रोड, नांगलोई तथा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, जेजे-2, नांगलोई) में अग्नि सुरक्षा हेतु विभिन्न सिविल कार्य। कार्यो की प्रगति लगभग 40-प्रतिशत हैं!

49. श्री सुभाष सचदेवा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाबी बाग रिंग रोड पर स्थित श्मशान भूमि के समीप सरकार द्वारा एक फुटओवर ब्रिज बनाने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा; और

(ग) इस योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी नहीं। कम ऊंचाई पर उच्च क्षमता वाली विद्युत लाइनों के कारण एफ.ओ.बी. की कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) क्र.सं.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

(ग) क्र.सं.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

50. श्री जसवन्त सिंह राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र की सभी पुनर्वास कालोनियों में भूमिगत जलाशय बनाये गये हैं परंतु उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त क्षेत्र की पुनर्वास कालोनियों में पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो भूमिगत जलाशय में पीने का पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री : (क) नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनियों में निम्न स्थलों पर भूमिगत जलाशय बनाये गये है:-

(1) सेक्टर-ए-6, पॉकेट-11, नरेला

(2) सेक्टर-ए-6, पॉकेट-5, नरेला

(3) सेक्टर-ए-6, पॉकेट-13, नरेला

(4) सेक्टर-ए-6, पॉकेट-8, नरेला

(5) टीकरी खुर्द स्वर्ण जयंती विहार एवं

होलाम्बी कला फेस-II में जलाशय बनाने हेतु निविदा स्वीकृति प्रक्रिया में है तथा अन्य स्थलों पर जलाशय बनाने हेतु प्रयास जारी है। सभी कॉलोनियों में पानी की लाईन बिछायी गई है।

पानी की व्यवस्था हेतु निम्न पुनर्वास कॉलोनियों में सी.आई. वाटर लाईन डाल दी गयी है।

(1) सेक्टर-ए-6, पॉकेट-11, नरेला

(2) सेक्टर-ए-6, पॉकेट-5, नरेला

(3) सेक्टर-ए-6, पॉकेट-13, नरेला

(4) सेक्टर-ए-5, पॉकेट-8, नरेला

(5) टीकरी खुर्द, स्वर्ण जयंत्री विहार

(6) सेक्टर-ए-10, पॉकेट-7, नरेला

(7) सेक्टर-ए-6, पॉकेट-4, नरेला

(8) सेक्टर-ए-5, पॉकेट-14, नरेला

(9) हॉलाम्बी कलां फेस-II

परंतु इन सभी में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। इन कॉलोनियों में वैकल्पिक रूप से पानी की आपूर्ति अस्थाई तौर पर दिल्ली जल बोर्ड की लाइनों से जी.आई. पाईप द्वारा सार्वजनिक नलों के रूप में की जाती है। साथ ही पानी की कमी की पूर्ति की जाती है।

(ख) जी हॉ। किन्तु इन कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति सार्वजनिक नलों एवं दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों द्वारा की जाती है।

(ग) उपरोक्त कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था डी.डी.ए. के द्वारा डाली जाने वाली पैरीफेरियल लाइनों के द्वारा की जायेगी अत: यहां पर बनाये गये भूमिगत जलाशयों में पानी डी.डी.ए. के द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर दिया जायेगा। होलाम्बी कलां फेस-II में जलाशय बनाने का कार्य लगभग 18 महिने में पूरा हो जायेगा तथा यहां पर पानी जलाशय बनाने के बाद दिल्ली जल बोर्ड की स्वीकृति योजना के तहत दिया जायेगा।

51. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि एन.टी.एस. (नार्थ ट्रंक सीवर) की मुख्य लाइन बंद होने के कारण दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र की सीवर लाइनों की सफाई नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो एन.टी.एस. किस कारण से बंद है और कब से बंद है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड अपनी मुख्य सीवर लाईनों की सफाई करने में मुस्तैदी नहीं दिखाता है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि रिहायशी इलाकों की मुख्य सीवर लाइनों की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा क्या-क्या दिशा-निर्देश तय किये गये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) एन.टी.एस. पिछले लगभग 10-12 सालों से बैठी होने के कारण बन्द पड़ी है। अब इस ट्रंक सीवर के रिहैविलिटेशन (जीर्णोद्वार) का कार्य चल रहा है, जो मई 2011 के अंत तक पूरा होना संभावित है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने वर्षा के पहले गर्मियों में रिहायशी क्षेत्रों की मुख्य सीवर की सफाई मशीनों या सीवर कर्मियों द्वारा करने के निर्देश दिये है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उथले सीवरों को सीवर कर्मियों द्वारा साफ किये जायेंगे।

इस कार्य को तेजी से करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार 10 सीवर कर्मचारियों की एक टास्क फोर्स के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

52. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जनकपुरी तक रिंग रोड को सिग्नल फ्री बनाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उपरोक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) क्या उपरोक्त परियोजना के लिए अर्बन आर्ट कमीशन की स्वीकृति सरकार द्वारा ले ली गई है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जनकपुरी तक कोई रिंग रोड़ नहीं है।

(ख) क्र.सं.- 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

(ग) क्र.सं.- 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

53. श्री मालाराम गंगवाल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में पंजाबी बाग क्लब से पश्चिम विहार चौंक तक रोड की हालत काफी खराब है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इसे बना दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) यह सड़क लगभग 7-8 वर्ष पहले डेन्स कारपेटिड हुई थी। इस सड़क पर वाहनों का आना जाना भारी मात्रा में बढ़ गया है। क्योंकि यह सड़क पंजाबी बाग व पश्चिम विहार के बीच एक लिंक रोड़ का काम करती है। इस सड़क को सुदृढ़ करने के लिए अभी हाल में ही प्रोजेक्ट विभाग द्वारा वर्क आर्डर कर दिया गया है।

54. चौ. मतीन अहमद : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जाफराबाद में रोड़ नं. 66 को चौड़ा करने का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त सड़क के बीच बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इनको हटाने की क्या योजना है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बिजली के खंभे व ट्रांसफार्मर आदि हटाने के लिए रु. 571 लाख के अनुमान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से फरवरी, 2011 में प्राप्त हो गई है और निर्धारित राशि को बी.एस.इ.एस. में जमा करा दिया गया है। अब खंभे तथा ट्रांसफार्मर आदि हटाने का कार्य बी.एस.इ.एस. द्वारा किया जाएगा। इस कार्य को लगभग चार माह में पूरा होने की सम्भावना है

55. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जेल रोड, हर्ष विहार की हालत काफी जर्जर है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इसके निर्माण हेतु बार-बार संबंधित विभाग को अनुरोध भी किया गया है;

(ग) उक्त रोड के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) विभाग द्वारा कब तक इस रोड का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जेल रोड़ हर्ष विहार का वह हिस्सा जो अनाधिकृत कॉलोनी से बाहर है, उसकी हालत ठीक नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) उक्त हिस्से की कुल लंबाई 366 मी. है, इसकी योजना बनाकर शहरी विकास विभाग को भेजी गई थी परंतु इस योजना को अनाधिकृत कालोनी का हिस्सा न होने के कारण शहरी विकास विभाग के टाउन प्लानर के पत्र दिनांक 13.10.10 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

(घ) उपरोक्तानुसार।

56. श्री अनिल कुमार : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा दिल्ली-नोएडा लिंक रोड़ पर फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन पुलों का निर्माण कार्य किन कंपनियों द्वारा किया गया है;

(ग) इन पुलों की लंबाई कितनी है तथा प्रत्येक पुल के निर्माण में कितनी लागत आई है; और

(घ) क्या उपरोक्त पुलों को निर्धारित समय अवधि में बनाया गया है, यदि नहीं, तो इन कंपनियों पर क्या-क्या पेनल्टी लगाई गई है।

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स डी.एस.सी. लिमिटेड।

(ग) इस परियोजना में तीन पुल हैं। एक पुल 800-मीटर लंबा हैं तथा एकल कैनिज-वे के लिए हैं। दूसरा पुल 1200 मीटर लंबा हैं तथा दोनों कैरिज-वे के लिए है। चिल्ला रेगुलेटर पर पुल की लंबाई 52 मीटर हैं। पूरे कॉरिडोर की लंबाई 3.4 किलोमीटर हैं। इस संपूर्ण कार्य के लिए रु. 334 करोड़ स्वीकृत किए गए थे तथा वास्तविक व्यय रु. 300 करोड़ आने की संभावना हैं। इस परियोजना में रु. 34 करोड़ की बचत होने की संभावना है।

(घ) करार में विलंब हेतु मात्र क्षतिपूर्ति का प्रावधान हैं। अड़चन पंजिका में अंकित अड़चनों के आधार पर उस विलंब के लिए जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार हैं, ठेकेदार पर क्षतिपूर्ति लगाई जाती हैं। इस प्रकारण के लिए उपरोक्त कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया हैं। कार्य पूरा होने के बाद क्षतिपूर्ति के बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

57. **श्री मोहन सिंह बिष्ट :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में खजूरी लाल बत्ती से आगे सभापुर की ओर पुस्ते को चौड़ा किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य पर कब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इस कार्य को समाप्त करने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई थी; और

(ग) क्या उपरोक्त कार्य को पूरा करने में विलंब हुआ है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां। यह कार्य दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा हैं।

(ख) दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किए जा रहे विकास कार्य पर लगभग रु. 225 लाख खर्च होंगे व इस कार्य को मार्च 2011 तक पूरा किया जायेगा।

(ग) जी हां। दिन में भारी यातायात के कारण कार्य करने में बाधाएं आई। अब यह कार्य 18.03.2011 तक पूरा किया जाएगा।

58. श्री नसीब सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी दिल्ली विकास मार्ग (आई.टी.ओ. से विवेक विहार) को सिंग्नल फ्री करने की कोई योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री : (क) इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। यद्यपि इस मार्ग पर बी.आर.टी. बनाने की योजना विचाराधीन हैं।

(ख) सड़क के इस टुकडे पर बीआरटी कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव हैं जिसके लिए परमर्शदाता की नियुक्ति हेतु तकनीकी व वित्तीय बिड्स आमंत्रित किए जा रहे हैं।

(ग) क्र.सं.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

59. श्री नन्द किशोर : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि विकासपुरी विधान सभा क्षेत्र में अभी तक कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं खोला गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में डिग्री कॉलेज कब तक खोल दिया जाएगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के रनहौला गाँव में एक आई.टी.आई. खोलने हेतु शिलान्यास किया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी नहीं, विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में इंदिरागांधी इन्स्टीटयूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोंटस सांइसेज स्थित है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) जी हां, मानवीय मुख्यमंत्री द्वारा रनहोला आई.टी.आई. का शिलान्यास दिनांक 09.01.2003 को किया गया था।

(घ) आई.टी.आई. भवन निर्माण का कार्य निम्नलिखित औपचरिकताएं पूरी करने के पश्चात् लोक निर्माण विभाग प्रारम्भ कर सकता है।

(1) खण्ड विकास अधिकारी (नांगलोई) संशोधित आवंटन पत्र प्राप्त होने पर।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि उपयोग परिवर्त्तित प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर।

(3) दिल्ली नगर निगम से नक्शा अनुमोदित होने पर।

सभी विभागों एवं संस्थानों से पत्राचार जारी है और सभी औपचारिकताएं शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाई जा रही है।

60. SHRI NARESH GAUR : Will the **Chief Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is shortage of potable water in Delhi;

(b) whether it is also a fact that leakages and theft of water is one at the major reason of shortage of drinking water in Delhi; and

(c) whether it is also a fact that for solving the problem of shortage of water in Delhi, the Government is handing over water of private company?

Chief Minister : (a) No Sir. However, unplanned areas face shortage of water during summer season.

(b) No Sir.

(c) No Sir.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

118. **श्री मालाराम गंगवाल :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली में अपराधों का ग्राफ कितने प्रतिशत बढ़ा है;

(ख) कारों पर काले शीशों को हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) सरकार इस संबंध में कब तक सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी कर देगी?

मुख्यमंत्री : (क) अपराध प्रति लाख लोगों पर, जोकि अपराध लेखाजोखा का अंर्तराष्ट्रीय मापदंड है, के अनुसार दिल्ली में अपराध दर (भा.द.सं. अपराध प्रति लाख लोगों पर) वर्ष 2008 में 286.32, 2009 में 283.50 तथा 2010 में 281.34 दर्ज की गई है। उपरोक्त मापदंड के अनुसार वर्ष 2001 से 2010 तक अपराधों का तुलनात्मक ब्यौरा व ग्राफ परिशिष्ट 'क'* तथा प्रति लाख संख्या एवं भा.द.सं. अपराधों का सांख्यिक ब्यौरा परिशिष्ट 'ख'* पर संलग्न है, जोकि दिल्ली में अपराध की स्थिति को स्पष्ट करती है।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस वाहनों पर काले शीशे के प्रयोग हेतु नियम 100 (2) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (परिशिष्ट

पुस्तकालय में उपलब्ध है।

'ग'*) पर उल्लंघन पर वाहन चालकों का चालान धारा 177 के मोटर वाहन अधिनियम 1988, के अंतर्गत निरंतर कार्यवाही करती रहती है। इस संबंध में पुलिस द्वारा किये गये चालानों का पूर्ण ब्यौरा वर्ष 2008, 2009, 2010 व 2011 (28.02.2011) परिशिष्ट 'घ'* पर संलग्न है। दिल्ली पुलिस ने मोटर वाहनों मे काले शिशे व काली फिल्म हटाने हेतु दिनांक 03.03.2011 से एक विशेष अभियान भी चलाया है जिसमें मोटर वाहन चालकों को नियम 22 (a) Rules of the Road Regulations, 1989 (framed under Section 118 Motor. Vehicles Act. 1988) के अंतर्गत काले शीशे या काली फिल्म को उतारने का निर्देश यातायात पुलिस कर्मी द्वारा दिया जाता है। जो चालक स्वंय ही इस निर्देश का पालन करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है परंतु निर्देश की अवहेलना पर चालक का कोर्ट चालान किया जाता है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के पूर्ण आंकड़े (03.03.2011 से 10.03.2011 तक) परिशिष्ट ड. संलग्न* है।

119. श्री मनोज कुमार : क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) मुन्डका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थानों में वित्त वर्ष 2010-11 के अंतर्गत थानों में विभिन्न मामलों में संबंधित कितनी एफ.आई.आर. दर्ज है;

---

*पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) इनमें से कितने मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है और कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) उक्त दर्ज की गई एफ.आई.आर. में किन-किन धाराओं के अंतर्गत और कौन-कौन से व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हैं, पूर्ण ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) मुन्डका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थानों (पुलिस स्टेशन नांगलोई, मुन्डका व निहाल विहार के क्षेत्र) में वित्त वर्ष 2010-2011 (दिनांक 01.04.2010 से 28.02.2011 तक) में दर्ज एफ.आई.आर. धाराएं और अपराधियों के नाम व पते परिशिष्ट 'क'* पर संलग्न है।

(ख) मुन्डका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थानों के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2010-2011 (दिनांक 01.04.2010 से 28.02.2011 तक) में दर्ज मुकदमों पर की गई कार्यवाही का पूर्ण वितरण परिशिष्ट 'ख'* पर संलग्न है।

(ग) पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'क'* पर संलग्न है।

120. **श्री अनिल झा :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली पुलिस में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वर्तमान में

---

*पुस्तकालय में उपलब्ध है।

रहते हुए भी हथियारों के लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हुआ है, उनके नाम, पते, पद एवं दूरभाष का विवरण क्या है;

(ख) इन अधिकारियों को किस प्रकार के खतरे हैं;

(ग) यदि किसी आवेदनकर्ता को लाईसेंसिंग ब्रांच अपनी सूचना के आधार पर योग्य नहीं मानती तो वह आगे कहां अपील कर सकता है;

(घ) दिल्ली पुलिस के द्वारा जो हथियारों के लाईसेंस दिये जाते हैं वे फाइलें किस-किस स्थिति से गुजरती हैं और किसी को हथियार का लाईसेंस दिया जाये या नहीं, इस संबंध में कितने कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा फाइलों का अध्ययन किया जाता है;

(ङ) दिल्ली पुलिस लाईसेंसिंग विभाग द्वारा कितने लोगों को हथियारों के लाईसेंस दिये गये और जिन्होंने उन हथियारों का दुरुपयोग किया, उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली में ऐसे कितने कारपोरेटर, विधायक व सांसद हैं जिनको लाईसेंस विभाग ने पिछले दो वर्षों में लाईसेंस जारी किये गये, उनको किस आधार पर लाईसेंस जारी किये गये?

मुख्यमंत्री : (क) वर्तमान में दिल्ली पुलिस के 7 अधिकारियों/कर्मचारियों ने शस्त्र लाइसेंस के लिये आवेदन किया हुआ है उनके नाम, पते व दूरभाष की सूची परिशिष्ट पर संलग्न है।

(ख) इन आवेदकों ने अपने पत्र में किसी प्रकार के खतरे का वर्णन नहीं किया है व उनके आवेदन को स्थानीय पुलिस के पास जांच के लिये भेजा हुआ है।

(ग) निरस्त किये गए आवेदन पर आवेदक माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली के समक्ष अपील कर सकता है।

(घ) शस्त्र लाइसेंस के आवेदन की फाइलें डेस्क अधिकारी, निरीक्षक/शस्त्र व सहायक आयुक्त/शस्त्र (लाई0) की टिप्पणी के बाद निर्णय के लिए सक्षम अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त पुलिस/लाइसेंसिंग के पास भेज दी जाती है।

(ङ) वर्षानुसार 2008, 2009, 2010 (28.2.2011 तक) जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों की संख्या एवं हथियारों के दुरुप्रयोग के कारण किए गए निलम्बन नोटिसों की संख्या निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	2008	2009	2010	2010 (28.2.2011) तक
शस्त्र लाइसेंस	548	802	871	173
कारण बताओ एवं निलम्बन नोटिस	14	09	12	02

(च) पिछले दो वर्षो में कारपोरेटर, विधायक व सांसदों को जारी किए गए शस्त्र लाईसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	कारपोरेटर	विधायक	सांसद
2009	—	—	03
2010	—	01	05

सभी शस्त्र लाइसेंस शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 के अंतर्गत लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा शस्त्र की आवश्यकता एवं औचित्य को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं।

क्र.सं.	पद व नाम	पता	दूरभाष संख्या
1	2	3	4
1.	सिपाही रवि दत्त	3223 गली नं. 5 पुराना धर्मपुरा गांधी नगर, दिल्ली-110030	9818578723
2.	प्रधान सिपाही मान सिंह	बी-94, टाप फलोर, जंगपुरा, भोगल, निजामुद्दीन, दिल्ली	9212727247
3.	सिपाही प्रताप सिंह तोमर	मकान नं0 254, गांव-राजपुर खुर्द, डाकघर-इग्नू, मैदान गढ़ी, दिल्ली	9990837378

1	2	3	4
4.	उप-निरीक्षक देशा सिंह	क्वार्टर नं0 105, पुलिस स्टेशन, तिलक नगर, नई दिल्ली	9810706100
5.	सहायक उप-निरीक्षक प्रभात कुमार	एस-एच/3, पुलिस कालोनी, एन्ड्रयूजगंज, नई दिल्ली	9668157561
6.	सिपाही प्रेम नाथ	पीसी-13, टाईप-वन, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाना, नई दिल्ली	9968232337
7.	सिपाही धर्मेन्द्र सिंह	66, कृष्णकुंज एक्सटेंशन, पार्ट-वन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली	9891903788

121. **श्री अनिल झा :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा लाईसेन्सी हथियार जारी करने के क्या मानदण्ड हैं तथा किस आधार पर किस व्यक्ति को हथियारों के लाईसेंस उपलब्ध करवाये जाते हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के अंदर दिल्ली लाईसेंसिंग ब्रांच द्वारा कितने समाजसेवियों, धर्मगुरूओं, रिटायर फौजियों एवं रिटायर पुलिस अफसरों,

सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों, कारपोरेट जगत के लोगों, कला एवं संगीत से जुडे हुए लोगों को नये हथियारों के लाईसेंस दिये गये या रिन्यूअल किये गये;

(ग) क्या हथियारों के नये लाईसेंस जारी करते समय प्रार्थी का साक्षात्कार भी लिया जाता है और साक्षात्कार के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं;

(घ) लाईसेंसिंग ब्रांच किस सूचना के आधार पर लाईसेंस जारी करती है, क्या उसका सोर्स थाना ही है या अन्य कोई स्रोत भी है; और

(ङ) हथियारों के लाईसेंस देना है या नहीं, यह कितने दिनों में तय होता हैं तथा रिन्युअल कितने दिनों में किया जाता है?

मुख्यमंत्री : (क) सभी शस्त्र लाइसेंस शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 के अंतर्गत लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा शस्त्र की आवश्यकता, एवं औचित्य को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाते है।

(ख) फौजियों, पुलिस अफसर, सांसदों व विधायकों के पिछले दो वर्ष के दौरान जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	फौजी	पुलिस अफसर	सांसद	विधायक
2009	173	20	03	—
2010	276	37	05	01
2011 से 28.02.2011	48	01	—	—

अन्य श्रेणियों का विवरण अलग से नहीं रखा जाता।

(ग) नये शस्त्र लाइसेंस जारी करते समय यदि आवश्यक हो तभी सक्षम अधिकारी द्वारा साक्षात्कार भी किया जा सकता है जिससें शस्त्र की आवश्यकता और औचित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते है।

(घ) आवश्यकतानुसार स्थानीय थाना के अतिरिक्त अन्य किसी संबंधित स्त्रोत से भी सूचना हासिल की जा सकती है।

(ङ) स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात सामान्य परिस्थिति में 15 दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र का निस्तारण कर दिया जाता है। किसी केस में आवश्यकता महसूस होने पर किसी अन्य स्त्रोत से सूचना प्राप्ति तक केस पेंडिंग भी रखा जा सकता है। शस्त्र लाइसेंस का रिन्युअल सामान्य परिस्थिति में एक दिन के भीतर कर दिया जाता है।

122. श्री अनिल झा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) अमन विहार, सुल्तानपुरी और कंझावला थाना में पिछले दो वर्षों में कितने थाना स्तर की समितियों की बैठकें हुई, थाना स्तर समिति के अधिकार और कर्तव्य क्या-क्या हैं;

(ख) इन तीनों थानों में कितनी महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, महिलाओं की शिकायतों के निपटान हेतु इन तीनों थानों में क्या अलग से कोई सैल है;

(ग) उक्त थानों में पिछले दो वर्षों में कितने बच्चे गायब हुए, कितने मिल गये, कितनों की एफ. आई.आर हुई और जो बच्चे नहीं

मिले, उस के संबंध में इन तीनों पुलिस थानों ने क्या-क्या कार्यवाही की;

(घ) पिछले दो वर्षों में उक्त थानों में हत्याएँ, अपहरण, बलात्कार, चैन झपटमारी, सेंधमारी, रात को हुई चोरियों के कितने मामले हुए, उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है और उस पर पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाही की; और

(ङ) उपरोक्त तीनों थानों में कितने कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं, इन तीनों थानों को कितने बीट में बांटा गया है तथा इनके बीट अफसर एवं डिवीजन अफसर के नाम व दूरभाष नंबर क्या हैं?

मुख्यमंत्री : (क) पुलिस स्टेशन अमन विहार, सुल्तानपुरी और कंझावला में वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 (28.02.2011 तक) थाना स्तर की समितियों की हुई बैठकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

पुलिस स्टेशन	वर्ष		
	2009	2010	2011 (28.02.2011 तक)
अमन विहार	03	04	01
सुलतानपुरी	05	03	0
कंझावला	03	02	0

D.L. ★ DELHI ★ Library

थाना स्तर समिति के अधिकार और कर्तव्य परिशिष्ट 'क'* पर संलग्न है।

(ख) पुलिस स्टेशन अमन विहार, सुलतानपुरी और कंझावला में तैनात महिला पुलिसकर्मियों का विवरण पदवार निम्न प्रकार है:

पद	अमन विहार	सुल्तानपुरी	कंझावला
निरीक्षक	0	0	0
उप निरीक्षक	0	01	0
स. उप निरीक्षक	0	0	0
प्रधान सिपाही	0	0	01
सिपाही	11	08	15
कुल योग	11	9	16

महिलाओं की शिकायतों के निपटान के लिए प्रत्येक थानें में महिला डेस्क बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर महिलाओं की शिकायतों के निपटारे के लिए भी महिला अपराध प्रकोष्ठ रोहिणी सैक्टर 03 में कार्यरत है।

(ग) पुलिस स्टेशन अमन विहार, सुल्तानपुरी और कंझावला में वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 (28.02.2011 तक) में गायब हुए बच्चे दर्ज हुए मुकदमें, ढूंढे गये और ढूंढे जा रहे बच्चों का विवरण परिशिष्ट 'ख' * पर संलग्न है।

*पुस्तकालय में उपलब्ध है।

अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास किये जा रहे है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है तथा उच्च अधिकारियों को ध्यानपूर्वक जांच करने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गये है।

(घ) पुलिस स्टेशन अमन विहार, सुल्तानपुरी और कंझावला में वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 (28.02.2011 तक) में दर्ज हुए हत्याएं, अपहरण, बलात्कार, चैन झपटमारी, सैंधमारी, रात को हुई चोरियों के मुकदमों का विवरण परिशिष्ट 'ग'* पर संलग्न है।

अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास किये जा रहे है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है तथा उच्च अधिकारियों को ध्यानपूर्वक जांच करने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गये है।

(ङ) पुलिस स्टेशन अमन विहार, सुल्तानपुरी और कंझावला में तैनात पुलिसकर्मियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद	अमन विहार	सुल्तानपुरी	कंझावला
निरीक्षक	03	04	03
उप निरीक्षक	08	11	06
स. उप निरीक्षक	11	10	09
प्रधान सिपाही	48	32	33
सिपाही	92	90	108
कुल योग	162	147	159

*पुस्तकालय में उपलब्ध है।

उपरोक्त तीनो थानों में पुलिस स्टेशन अमन विहार व कंझावला को 4-4 ड़िवीजन एवं 15-15 बीटो में बांटा गया है और पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी को 4 ड़िवीजन एवं 10 बीटो में बांटा गया है। इनके बीट अफसर एवं डिवीजन अफसर के नाम परिशिष्ट 'घ'* पर संलग्न है। इन पुलिसकर्मियों को सरकारी टेलीफोन (मोबाइल) फोन स्वीकृत नही है, परंतु इन थानों के दूरभाष नम्बर निम्न प्रकार है:-

पुलिस स्टेशन	दूरभाष नम्बर
अमन विहार	25961500
	25961600 (फैक्स)
सुल्तानपुरी	25472166
	25472410
	25181977 (फैक्स)
कंझावला	25951486
	25952485
	25951634 (फैक्स)

123. **श्री नन्द किशोर** : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

*पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के गांवों में किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के बदले में अल्टरनेटिव प्लॉट देने की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक किसानों या गांव वालों को अल्टरनेटिव प्लॉट दिये गये हैं;

(ग) उक्त किसानों को अल्टरनेटिव प्लॉट नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) जिन किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले में अल्टरनेटिव प्लॉटस दिये गये हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां दिये गये है।

(ग) किसानों को वैकल्पिक प्लॉट नहीं दिये जाने के कारण निम्न प्रकार से हैं:-

(1) वैकल्पिक प्लॉट उपलब्ध न होना।

(2) लम्बित मुकदमों द्वारा अनुशंसा पत्रों की असलियत की जांच के कारण प्लॉटों का आबंटन लंबित है।

(घ) अब तक 10485 लोगों को वैकल्पिक प्लॉट दिये जा चुके हैं।

124. **श्री जयभगवान अग्रवाल :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि विकास क्षेत्र सं.-175 को उन

अधिसूचित (डी-नोटीफाई) के लिए महामहिम उप-राज्यपाल दिल्ली के आदेश जारी कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वह आदेश कब जारी किये गये; कृपया आदेश की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें; और

(ग) उसका गजट कब प्रकाशित कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) आदेश 16 मार्च, 2011 को जारी किये गये (आदेश की प्रतिलिपि संलग्न)

(ग) आदेश गजट में प्रकाशित करने के लिये भेजा जा रहा है।

FOR PUBLICATION IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAND & BUILDING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAM NEW DELHI

No: F.12(b)/10/L&B/Plg/16276 Dated : 16/03/2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers; conferred by sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act. 1957(61 of 1957) read with notification of the Govt. of India in the Ministry of Health, Family Planning & Urban Development No. 18011 (28) /67-UD dated 14.02.69, the Administrator/ Lt. Government of National Capital Territory of Delhi hereby denotifies the Development Area of DDA given as under excluding the pockets/ sub zones which have already been denotified.

SCHEDULE

Development Area	Area in Hectare	Description
175	9000	Area bounded by G.T. Road in the East, existing 220 KV High tension line in the North and North West and The existing road between Mangolpur Khurd, Putkalan Mohamadpur Mazra Kanjhawala and the existing limits of the Rohini Scheme in the South, excluding the following four locations:- 1. Sanjay Gandhi Transport Nagar. 2. Badli Industrial Estate Phase I, II and III. 3. Complex of Delhi Engg. Collage. Badli. 4. DSIDC Industrial Complex, Narela.

By Order And The Name Of The L.T. Governor Of Delhi

Vinay Kumar

ADDI, Secretary (L&B)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
भूमि व भवन विभाग
विकास भवन, नई दिल्ली

संख्या एफ-12(6)/10/भू.व.भ/योजना/16276 दिनांक 16.3.2011

अधिसूचना

स्वास्थ्य परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 14.02.1969 की अधिसूचना संख्या 18011 (28)/67-यू डी के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 12 की उप-धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक/उप-राज्यपाल दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र (पॉकेट/सब-जोन) जो पहले ही अन-अधिसूचित (डीनोटिफाई) हो चुके है उनको छोड़ कर) को नये सिरे से अन-अधिसूचित (डीनोटिफाई) करते है जिसका विवरण निम्न है।

अनुसूची

विकास क्षेत्र संख्या	क्षेत्र हेक्टेयरों में	विवरण
1	2	3
175	9000 हेक्टेयर	पूर्व में जी.टी. रोड़ उत्तर और उत्तर पश्चिम में विद्यमान 220 किलोवाट

1	2	3
		उच्चतनाव (हाई टेशन) लाईन और दक्षिण में मगोलपुरी खुर्द, पूठकला मोहम्मदपुर, माजरा, कंझावला के बीच की विद्यमान सीमाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित चार अवस्थान सम्मिलित नहीं है। (1) संजय गांधी ट्रासपोर्ट नगर (2) बादली औद्यागिक एस्टेट फेज 1 2 व 3 (3) दिल्ली इंजीनियरिग कालेज का परिसर बादली (4) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम का औद्योगिक परिसर नरेला।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश व नाम पर

विनय कुमार

अतिरिक्त सचिव, (भू. व भ. विभाग)

125. **श्री सतप्रकाश राणा** : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों में सरकार द्वारा दिल्ली में किन-किन विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कहां-कहां पर कुल कितनी रिहायशी भूमि का अधिग्रहण किया गया और उसके लिए कहां-कहां पर कुल कितने मकानों व दुकानों को तोड़ा गया;

(ख) पिछले दस वर्षों में जिस रिहायशी भूमि का अधिग्रहण किया गया व मकानों व दुकानों को तोड़ा गया, उसके लिए किस-किस वर्ष में किस-किस क्षेत्र के लिए कितना-कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या जिन रिहायशी मकानों व दुकानों को तोड़ा गया, इनके मालिकों को मुआवजे के तौर पर बदले में क्या किसी को वैकल्पिक मकानों व दुकानों का आबंटन भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कहां-कहां पर और किस-किस व्यक्ति को किया गया;

(ङ) गाँव बिजवासन में आर.ओ.बी. के लिए जिन मकानों व दुकानों को तोड़ा जाना है, क्या सरकार द्वारा इन सभी प्रभावित लोगों को वैकल्पिक मकान व दुकान देने की कोई योजना बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो वह योजना क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री : (क) समस्त भूमि अधिग्रहण समाहर्ताओं से प्राप्त जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'क'* पर संलग्न है।

---

*पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) विवरण परिशिष्ट 'ख'* पर संलग्न है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपरोक्तानुसार।

(छ) उपरोक्तानुसार।

126. **श्री सुभाष सचदेवा :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रोड नं. 36 पर स्थित बी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन के 21 प्लॉटों में से आबंटित 10 प्लॉटों को भूमि एवं भवन विभाग द्वारा निरस्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इन प्लॉटों पर अवैध निर्माण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन कब्जों को सरकार द्वारा अभी तक न हटाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कब तक इन निर्माणों को हटा कर इस भूमि को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा?

---

*पुस्तकालय में उपलब्ध है।

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) जी हां।

(ग) जिन 10 प्लाटों के आवंटन को रदद करने के आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये थे उन आदेशों के विरूद्ध आबंटिती माननीय न्यायालय ने उपयुक्त 10 मामलों में से 9 मामलों में आबंटन को बहाल करने का आदेश दिया था एवं 01 मामला अभी भी न्यायालय में लबित है।

(घ) उपरोक्त के अनुसार।

127. **श्री मोहन सिंह बिष्ट :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम खजूरी खास की भूमि जो डीडीए द्वारा अधिग्रहीत की गई थी, उस पर श्रीराम कॉलोनी बसी हुई है, वहां सीआरपीएफ कैम्प एवं 66 के.वी. ग्रिड के बीच में एक चार गट्टे की चैक रोड है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस चैक रोड के द्वारा शेरपुर गाँव, सादतपुर गुजरान तथा बिहारीपुर गुजरान को गया था;

(ग) यदि हां, तो इस चैक रोड का निर्माण काय डीडीए के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया गया था; और

(घ) क्या इस चैक रोड के चारों तरफ जलभराव की स्थिति

बनी हुई है, यदि हां, तो डीडीए द्वारा इस चैक रोड को कब तक ठीक कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां। ग्राम खजूरी खास की भूमि जो डीडीए द्वारा अधिग्रहित की गई थी उस पर श्रीराम कॉलोनी बसी हुई है,

(ख) एवं (ग) चैक रोड का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया।

(घ) उपरोक्तानुसार।

128. **श्री मोहन सिंह बिष्ट :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली श्रीराम कॉलोनी दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर बसी हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार/दि.वि.प्राधिकरण द्वारा इस भूमि के अधिग्रहण की औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु 4, 6 और 17 के तहत नोटिस कब जारी किये गये थे तथा भूमि का अधिग्रहण कब किया गया था;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस कॉलोनी के कुछ हिस्से में सड़कें तथा चारदीवारी बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि ये सड़कें तथा चारदीवारी पूरी तरह टूट चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो इन सड़कों तथा चारदीवारी का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कब तक कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) श्रीराम कॉलोनी उत्तर-पूर्व जिला के राजस्व ग्राम खजूरी के अंतर्गत आती है, जिसका नोटिफिकेशन धारा 4(F7) (29)/65-L&H III दिनांक 26.08.67 के तहत 453 बीघा, 15 बिसवा भूमि का हुआ। नोटिफिकेशन धारा 6F(7)(29)/65-एल एंड एच दिनांक 22.01.68 के तहत 453 बीघा 10 बिसवा भूमि का हुआ। नोटिफिकेशन धारा 17(1) नहीं हुआ। दिनांक 3.9.86 को 447 बीघा 11 बिसवा भूमि की कब्जा कार्यवाही हुई और दिनांक 3.06.87 को 2 बीघा भूमि की कब्जा कार्यवाही हुई। कुल तदादी 450 बीघा 1 बीसवा भूमि की कब्जा कार्यवाही हुई तथा 2 बिसवा भूमि मंदिर होने के कारण छोड़ दिया गया। उपरोक्त भूमि का अर्वाड न. 113/86-87 ग्राम खजूरी का अर्वाड कुल 450 बीघा 3 बीसवे का दिनांक 19.9.86 को सुनाया गया।

(ग) यह सत्य नहीं है।

(घ) और (ङ)

129. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि भजनपुरा डी ब्लॉक में सड़क के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर भूमि अधिग्रहीत कर दिल्ली नगर निगम को देनी थी;

(ख) इसी प्रकार गांवड़ी डी-ब्लॉक में दिल्ली नगर निगम की प्रार्थना पर एक भूखण्ड अधिग्रहीत करना था;

(ग) उक्त दोनों मामलों में उत्तरी पूर्वी जिला (राजस्व) व भूमि एवं भवन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कब तक उक्त दोनों कार्य कर दिये जायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) जी हां।

(ग) डी-ब्लाक भजनपुरा के संदर्भ में टोटल स्टेशन मशीन के माध्यम से भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है तथा मार्च माह में ही समाप्त हो जाएगा। डी-ब्लॉक गांवडी में एल.ए.सी द्वारा ड्रॉपट नोटिफिकेशन हाल ही में प्राप्त हुआ है जिसे जॉच करके उचित कार्यवाही की जायेगी।

(घ) उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात इस पर तुरंत कार्यवाही शुरू की जायेगी।

130. **श्री जयभगवान अग्रवाल :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोहिणी क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें लोक निर्माण विभाग के पास हैं और उन पर कब-कब डैन्सकारपेटिंग हुई है;

(ख) उक्त क्षेत्र की किन-किन सड़कों पर विभाग द्वारा डैन्सकारपेटिंग का कार्य करवाने की आवश्यकता है; और

(ग) विभाग की कौन-कौन सी सड़कों पर डैन्सकारपेटिंग करने की योजना है और यह योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री : (क) रोहिणी क्षेत्र की विभिन्न सड़कों तथा उन पर किए गए डेंस-कारपेटिंग के क़ार्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सड़क संख्या	कार्य पूरा होने का वर्ष
1	2
ए-1	2009
ए-3	2009
बी-1	2010
बी-3	2010
बी-4	2010
बी-6	2010
डा. के.एम. काटजू मार्ग	2009
बी-2	2004
बी-5	2003

1	2
बी-7	2004
बी-8	2004
ए-4	2004
ए-5	2004
41-ए	2005
42-ए	2004

(ख) सड़क संख्या बी-2, बी-5, बी-7, व ए-4, ए-5, 41-ए, सड़क संख्या : 42-ए, पर स्ट्रॅथनिंग के कार्य की आवश्यकता हैं।

(ग) उपरोक्त क्र.सं. 'ख' में वर्णित सड़कों में से सड़क संख्याः बी-2, बी-5, बी-7, बी-8 पर सुदृढ़ीकरण का कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा और शेष सड़क संख्याः ए-4, ए-5, 41-ए, 42-ए के सुदृढ़ीकरण का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है।

131. **श्री ओ. पी. बब्बर :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पुलिस स्टेशन, विकासपुरी के स्टाफ क्वाटर्स एवं पुलिस लाईन आवासीय कॉलोनी, विकासपुरी नई दिल्ली की मरम्मत/रख-रखाव का कार्य काफी भयानक स्थिति में है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि पुलिस लाईन, विकासपुरी में पहले ही पानी के कनैक्शन दिये जा चुके हैं, लेकिन वहां पीने का पानी पूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं है;

(ग) उपर्युक्त पुलिस स्टेशनों एवं स्टाफ क्वाटर्स के विकास एवं रख-रखाव के कार्यों में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) क्या स्टाफ क्वाटर्स, विकासपुरी में जलापूर्ति में सुधार के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में अतिरिक्त कनैक्शन के लिए आवेदन किया है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) पुलिस स्टेशन विकासपुरी स्थित आवासीय क्वार्टर्स की मरम्मत/रखरखाव एवं हाउसकीपिंग का कार्य पुलिस विभाग स्वयं किया जाता है। लो.नि.वि. द्वारा इस आवासीय में पुलिस विभाग की मांग पर अतिरिक्त सामान्य मरम्मत के अनुमान दिए जाते हैं जिनके स्वीकृति के बाद ही चिन्हित कार्य किए जाते हैं। इस संबंध में कोई शिकायत नहीं हैं कि पुलिस स्टेशन व स्टाफ क्वार्टर जीर्ण अवस्था में हैं।

(ख) पुलिस लाईन विकासपुरी में पानी के दो सार्वजनिक कनैक्शन हैं, जिनका पानी वाटर टैंक में इकटठा करके बुस्टर पंप द्वारा आवासीय कॉलोनी (क्वार्टरों) में आपूर्ति की जाती है। जल की कमी होने की स्थिति में जल बोर्ड से पानी का टैंकर मंगवाकर पानी की पूर्ति की जाती है।

(ग) पुलिस स्टेशन, स्टाफ क्वार्टरों व पुलिस लाईन के विकास एवं रख-रखाव के कार्यों में सुधार के लिए जो शिकायत प्राप्त होती हैं उन कार्यो को किया जाता है। इन क्वार्टरों में हाल ही में सफेदी व पेन्ट करवाया जा रहा हैं तथा टायलेट व बाथरूम की खिडकियां व दरवाजे बदलवायें जा रहे हैं। जिन क्वार्टरों की शिकायत थी उनमें पानी की टंकिया भी बदलवायी जा रही हैं।

(घ) इस संबंध में पुलिस स्टेशन, स्टाफ क्वाटर व पुलिस लाईन विकासपुरी से संबंधित कोई जल बोर्ड में अतिरिक्त कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया गया हैं। कभी-कभी जल आपूर्ति किसी कारण वश यदि बाधित होती हैं, तो दिल्ली जल बोर्ड से पानी के टैंकर से पानी की आपूर्ति की जाती हैं।

132. श्री ओ. पी. बब्बर : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनकपुरी से सीआरपीएफ कैम्प तक बाहरी रिंग रोड को सुन्दर बनाने एवं मरम्मत का कार्य अभी जारी है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि गुरूनानक दरबार गुरूद्वारा, मनोहर नगर एवं राष्ट्रीय विरजानन्द अन्ध कन्या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल, जे-ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली-18 के आगे बाहरी रिंग रोड के समानान्तर गन्दे

पानी की ड्रैन की मरम्मत/रख-रखाव के लिए निविदाएँ आमंत्रित कर दी गई थी; और

(घ) क्या सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं तथा कब तक यह कार्य आरंभ होने की संभावना है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां, कार्य जारी हैं।

(ख) यह कार्य 4/2011 तक पूरा होने की सम्भावना हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। और यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

133. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विरजानन्द अन्ध कन्या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल, जे-ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली-18 के सामने स्थित खाली स्थान जिसमें कि मलबा व गंदगी भरी हुई है, को सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको सुन्दर बनाने की योजना व अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी नहीं। इस स्थान पर सड़क बनाने का प्रस्ताव हैं।

(ख) सड़क बनाने के प्रस्ताव का अनुमान विचाराधीन हैं।

(ग) प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय अनुमोदन विचाराधीन हैं तथा अंतिम चरणों में हैं। तदुपरांत यह कार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा।

134. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि हाल ही में मुख्य मंत्री के साथ विधायकों की बैठक में यह तय किया गया था कि गांवड़ी रोड पाँचवा पुश्ता मार्जिनल बांध रोड से मौजपुर रोड संख्या-66 तक को लोक निर्माण विभाग ने मास्टर प्लॉन के अनुसार 100 फुट चौड़ा करके बनाना है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में इस कार्य की प्रगति क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) यह मार्ग वर्तमान में दिल्ली नगर निगम के अधीन हैं और अभी तक इस सड़क का हस्तांतरण दिल्ली नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग को नहीं किया हैं।

135. श्री साहब सिंह चौहान : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि खजूरी चौक से शास्त्री पार्क तक सर्विस रोड का निर्माण कार्य काफी समय से लंबित है;

(ख) यह कार्य कब तक प्रारंभ होगा;

(ग) खजूरी चौक से शास्त्री पार्क तक मार्जिनल बांध रोड का पुनर्निर्माण कब तक प्रारंभ होगा; और

(घ) खजूरी चौक से यमुना विहार तक मंगलपाण्डे मार्ग सं.-69 की खस्ता हालत से कब तक निजात मिलेगी?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) यह कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की आशा हैं। कार्य की स्वीकृति अंतिम चरणों में हैं।

(ग) खजूरी चौक से यमुना विहार तक मंगल पाण्डेय मार्ग को मार्ग संख्या: 59 से जाना जाता हैं न कि मार्ग संख्या: 69 से। इस मार्ग के दक्षिणी कैरिज-वे का कार्य लगभग पूरा हो चुका हैं। उत्तरी दिशा की सड़क की मरम्मत का कार्य जल बोर्ड द्वारा सीवर लाइन के कार्य को पूरा करने के उपरातं ही हो सकेगा। रोड के पुन: निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं और रोड का निर्माण अगले तीन माह में पूरा कर लिए जाने की संभावना हैं।

उत्तरी दिशा की कालोनियों से लगातार रिसते पानी की निकासी हेतु ड्रेन का निर्माण भी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। इस ड्रेन कार्य की स्वीकृति अंतिम चरणों में हैं। इसके उपरांत लगभग 9-माह में ड्रेन के कार्य को पूरा करने की संभावना हैं।

136. **श्री नसीब सिंह :** क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि कड़कड़ी मोड़ रोड को सिगनल फ्री करने, रोड नं.-57 ड्रेन, नं.-1 पर पुल को चौड़ा करने की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि डीडीए की तकनीकी समिति द्वारा यह दिनाँक 3.7.2006 तथा यू.ए.सी. द्वारा दिनांक 3.6.2007 को स्वीकृत हो चुके थे;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि फरवरी-2010 में इन कार्यों के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो इन निविदाओं को रद्द करने के क्या कारण थे; और

(ङ) इन कार्यों को कब तक शुरू किया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) कड़कड़ी मोड़ को सिग्नल-फ्री करने हेतु दो क्लोवर लीफ बनाने की योजना डी.डी.ए. द्वारा बनाई गई थीं। माननीय उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में यूटीटीआईपीईसी गवर्निंग बॉडी ने यह निर्णय लिया हैं कि कड़कड़ी मोड़ को सिग्नल रहित करने से भी विकास मार्ग पर

यातायात की समस्या को कोई निदान इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि विकास मार्ग स्वयं सिग्नल रहित नहीं हैं। कड़कड़ी मोड़ को सिग्नल रहित करने से विकास मार्ग पर यातायात की समस्या और विकट हो जाने की आशंका थी। उक्त गवर्निंग बॉडी ने डी.डी.ए. को कार्य रोकने के आदेश दिए हैं।

(ङ) क्र.सं.-'घ' के उत्तर के रहते हुए यूटीटीआईपीईसी, डी.डी.ए. गवर्निंग बॉडी तथा मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल द्वारा दिल्ली में 15-नए बीआरटी कॉरिडोर बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई हैं, जिसके लिए परामर्शदाता नियुक्त कर डीपीआर बनाई जानी हैं। इन 15-बीआरटी कॉरिडोर में टेल्को मोड से कनॉट प्लेस का बीआरटी कॉरिडोर भी कड़कड़ी मोड़ से विकास मार्ग होकर जाना प्रस्तावित हैं। बी.आर.टी. का स्वरूप निश्चित होने के उपरांत ही इस विषय पर कोई अन्य कार्रवाई हो सकेगी।

137. चौ. मतीन अहमद : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रोड़ नं.-66 जाफराबाद को बनाने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा; और

(ग) इस रोड़ के निर्माण में क्या लागत आएगी?

लोक निर्माण मंत्री : (क) यह मार्ग अभी निर्मित हैं। इसके रहते हुए 700 मीटर में चौड़ीकरण का कार्य कर लिया गया हैं इसी भाग के कैंबर के सुधार का कार्य शेष हैं।

(ख) कैंबर सुधार का कार्य विचाराधीन हैं। इसे वैधुत सेवाओं जैसे बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर आदि की पुर्नस्थापना के उपरांत ही निष्पादित किया जा सकेगा जिसके लिए रु. 571 लाख का भुगतान बी. एस.ई.एस. को कर दिया गया है।

(ग) अभी विचाराधीन हैं।

138. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जौहरीपुर मेन रोड, के सेवाधाम रोड व मन्डौली रोड़ को बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा फण्ड दिल्ली नगर निगम को दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य अब तक क्यों नहीं किया गया है; और

(ग) इस कार्य को कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जौहरीपुर मैन रोड़ पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर डालने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इस सड़क को बनाने

हेतु निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और आवश्यक औपचारिकता पूर्ण होने के उपरांत कार्य शुरू होने की सम्भावना है। सेवाधाम रोड़ मन्डौली रोड़ पर अभी भी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर डालने का कार्य किया जा रहा है और सड़क बनाने का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से शुरू करा दिया गया है।

139. **श्री जयभगवान अग्रवाल** : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राजा विहार नामक अनाधिकृत कॉलोनी में आज तक सीवर लाईन नहीं डाली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त कॉलोनी के उपभोक्ताओं के पास जो पानी के बिल आते हैं उनमें सीवर शुल्क जोड़ कर भेजा जा रहा है; और

(ग) विभाग द्वारा ऐसा करने के क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। कुछ केसों में सीवर शुल्क जोड़ दिया गया था तथा इसे ठीक किया जा रहा है।

140. **श्री जसवंत सिंह राणा** : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र में स्थित पुनर्वास कॉलोनी मेट्रो विहार फेस-2 एवं स्वर्णजयंती विहार, टिकरी में सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट पिछले 6 वर्षों से बन्द पड़े हुए हैं जिसके कारण गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है और यहां गंदगी फैली हुई है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन ट्रीटमेंट प्लान्टों को दिल्ली आश्रय बोर्ड से दिल्ली जल बोर्ड को हस्तांतरित करने की योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो कब तक; और

(घ) बन्द पड़े सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट होलम्बी कलाँ फेस-2 एवं स्वर्ण जयन्ती विहार, टीकरी को कब तक चलाने की योजना है?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) डेफीशियंसी लागत 257 लाख रुपये दिल्ली सरकार द्वारा जल बोर्ड को सीधे दिये जायेंगे।

(घ) दिल्ली सरकार द्वारा बजट दिल्ली जल बोर्ड को मिलने के बाद सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट दिल्ली जल बोर्ड द्वारा चलाये जायेंगे।

141. **श्री मालाराम गंगवाल** : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाबी बाग में पिछले चार वर्षों से मिनी सीवेज पंपिंग स्टेशन बन रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके सुस्त रफ्तार से बनने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि पंजाबी बाग में सीवर की आज तक निकासी का प्रबंध नहीं है; और

(घ) क्या सरकार विभाग को निर्देश देगी जिससे कि मिनी सीवेज पंपिंग स्टेशन जल्दी से जल्दी शुरू हो सके?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां, यह कार्य वर्क आर्डर के हिसाब से 10 सितम्बर, 2007 को शुरू होना था और 09.03.2009 को समाप्त होना था। परंतु, यह कार्य 15 अक्टूबर, 2007 को शुरू हो सका एवं प्रगति पर है।

(ख) यह कार्य लगभग 97 प्रतिशत संपन्न हो गया है एवं देरी के लिए ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

(ग) जी हां, पंजाबी बाग में सीवर की कुछ हिस्से में निकासी का प्रबंध सीवर के माध्यम से नहीं है। परंतु अस्थाई तौर पर पम्पिंगपम्प/ट्राली द्वारा जारी है।

(घ) पंजाबी बाग पंम्पिग स्टेशन के मई-2011 तक चालू कर दिये जाने की संभावना है।

142. **श्री मालाराम गंगवाल :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित पंजाबी

बाग के भूमिगत जलाशय की हालत काफी खराब है और जगह-जगह से दीवारों का पलस्तर उखड़ गया है, दीवारें जर्जर हालत में हैं और कभी भी गिर सकती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इसे कब तक ठीक करवा देगी;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि जंगली जानवर-सूअर, कुत्ते आदि काफी संख्या में घूमते रहते हैं जिससे पानी प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है?

मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं। कुछ जगह पर पलस्तर उखड़ गया है।

(ख) से (घ) जी नहीं। अगले वित्तीय वर्ष में दीवार की मरम्मत आदि का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

143. श्री मालाराम गंगवाल : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मुख्यमंत्री ने बोर्ड की बैठक में टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिये थे लेकिन अभी तक टास्क फोर्स का गठन नहीं हुआ है;

(ख) अभी तक टास्क फोर्स गठन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दस-दस सीवर बेलदार नियुक्त करने के लिए कहा था लेकिन वह अभी तक नियुक्त नहीं किये गये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इन सीवर बेलदारों की कमी को सीधी भर्ती करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है; और

(ङ) क्या विभाग जल बोर्ड का निजीकरण कर रहा है?

मुख्य मंत्री : (क) जी हां। यह टास्क फोर्स सीवर सफाई के लिए गठित की गई भी।

(ख) से (घ) बेलदारों को तैनात करने के लिए टास्क फोर्स गठन करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ङ) जी नहीं।

144. श्री सुभाष सचदेवा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी की सफाई की क्या योजना है;

(ख) क्या नदी में मिलने वाले गन्दे नालों के यमुना से मिलने से पहले ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो गत 15 वर्षों से सभी नालों की सूची तथा पूरा विवरण लागत सहित क्या है, जिन पर ट्रीटमैंट प्लान्ट लगाए गए हैं;

(घ) समस्त योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी; और

(ङ) यमुना की सफाई पर अब तक कितना धन खर्च हो चुका है और आगे कितनी राशि खर्च की जानी है?

मुख्यमंत्री : (क) और (ख) जहां तक दिल्ली जल बोर्ड का प्रश्न है, नालों को यमुना में मिलने से पहले इण्टर सेप्टर सीवर में रोक लिया जाएगा तथा मल को नजदीकी मलशोधन संयंत्र में ले जाकर साफ किया जाएगा। केवल साफ किया हुआ जल ही यमुना में बहाया जाएगा।

(ग) दिल्ली गेट नाला तथा सेन नर्सिग होम नाले के ऊपर 2.2 मि.गै. प्रति दिन क्षमता वाले मल शोधन संयंत्र यमुना एक्शन प्लान-1 के अंतर्गत बनाये गये थे, जिस पर 11 करोड़ रुपये की लागत आयी थी।

(घ) उपरोक्त योजना दिसम्बर 2014 तक पूरी कर ली जाएगी।

(ङ) जहां तक दिल्ली जल बोर्ड का प्रश्न है 11 करोड रुपये यमुना एक्शन प्लान-1, 339.70 करोड़ रुपये यमुना एक्शन प्लान-2 में खर्च हो चुके हैं तथा 36.50 करोड रुपये सलाहकार EIL को दिये गये है। आगे खर्च की जाने वाली राशि निम्न है:-

1.	इण्टर सेप्टर सीवर	:	रु. 1800 करोड़ i/c सलाकार EIL
2.	यमुना एक्शन प्लान-2	:	रु. 213.34 करोड़
3.	यमुना एक्शन प्लान-3	:	रु. 1656 करोड़

145. **श्री सुभाष सचदेवा :** क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगाए गए सारे खराब सरकारी मीटरों को बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो खराब मीटर बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने कितने मीटर खरीदें हैं और उनका आबंटन क्षेत्रानुसार कैसे किया है;

(ग) क्षेत्रानुसार कितने खराब मीटर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बदले गये हैं तथा कितने शेष बदलने से रह गये हैं;

(घ) जो मीटर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगाए गये थे और वे खराब हो गये हैं, ऐसे सभी मीटर बदलने का कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा;

(ङ) जब दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगाए गए खराब मीटरों को बदलने का दायित्व दिल्ली जल बोर्ड का है तो उपभोक्ताओं पर दण्ड के रूप में चार्जेज क्यों लगाए जा रहे हैं;

(च) क्या खराब प्राईवेट मीटरों को बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोई योजना है;

(छ) सरकारी खराब पड़े मीटरों वाले परिसरों के अन्धाधुन्ध बिना किसी आधार के बिना रीडिंग के बढ़ा चढ़ाकर हजारों रुपये की राशि

के बिना खपत तथा उसी अवधि के बिना बिल ऐडहॉक क्यों भेजे जा रहे हैं; और

(ज) क्या ऐसे बिलों को ठीक करने का दायित्व क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी का है?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां, नीति के अनुसार सभी उपभोक्ताओं के मीटर चालू होने चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को मीटर लगवा लेने के लिए कहा है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने अभी तक 100000 मीटर खरीदे हैं जिनका क्षेत्रानुसार आवंटन निम्नलिखित है:-

1.	मुख्य अभि. (WEST)	=	10,000
2.	मुख्य अभि. (C&N)	=	10,000
3.	मुख्य अभि. (EAST)	=	33,000
4.	मुख्य अभि. (SOUTH)	=	45,000

(ख) खराब मीटरों को बदलने का क्षेत्रानुसार विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	मुख्य अभि. (WEST)	=	14,000
2.	मुख्य अभि. (C&N)	=	6,000
3.	मुख्य अभि. (EAST)	=	32,000
4.	मुख्य अभि. (SOUTH)	=	35,000

जहां तक बदले जाने वाले मीटरों की संख्या का प्रश्न है, इस समय 18.17 लाख जल कनैक्शनों में से 7.91 लाख जल मीटर चालू है।

(घ) खराब हुए मीटरों को बदलना एक सतत् प्रक्रिया है। खराब हुए मीटरों को बदलने का लक्ष्य तीन वर्ष का है।

(ङ) जिन उपभोक्ताओं के दिल्ली जल बोर्ड अथवा प्राइवेट जल मीटर खराब थे उन्हें चालू जल मीटर लगवाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। यह समय सीमा क्रमशः 30-09-2010 घरेलू कनेक्शन के लिये एवं 31-03-2010 गैर घरेलू कनेक्शन के लिये समाप्त हो गई है। इसके उपरान्त क्रमशः 01-10-2010 से घरेलू कनेक्शन तथा 01-04-2010 से गैर घरेलू कनेक्शन के बिलों में पानी की खपत 10 प्रतिशत बढ़ा दी गई है जिनके मीटर अभी भी खराब हैं।

(च) दिल्ली जल बोर्ड में उपभोक्ता को आई.एस.आई. मानक मीटर स्वंय लगवाने की अनुमति प्रदान की गई है।

(छ) जी नहीं, ऐसी संपत्तियों के बिल प्रोविजनल एवरेज के अनुसार 22 कि.ली. प्रतिमाह एवं 33 किलोलीटर प्रतिमाह के अनुसार बनाये जाते है। एडहॉक बिल किसी अपरिहार्य कारणवश, वह भी स्लैब के अनुसार, बनाये जाते है। किन्तु बड़ी संख्या में उपभोक्ता को पानी की असल खपत के अनुसार बिल बनाने में दिल्ली जल बोर्ड की सुविधा हेतु चालू जल मीटर लगवा लेने के लिए सूचित कर दिया गया है।

(ज) जी हां।

146. **श्री सुभाष सचदेवा :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि कीर्ति नगर भूमिगत जलाशय को अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा;

(ग) इस भूमिगत जलाशय की कुल क्षमता व लागत क्या है;

(घ) क्या इस जलाशय की पैरीफैरियल लाईन डाल दी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक यह लाईन डाल दी जायेगी; और

(च) उपरोक्त जलाशय को कब तक चालू कर दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) इस जलाशय को पैरीफैरियल लाईन का काम पूरा होने के पश्चात चालू किये जाने की सम्भावना है।

(ग) इसकी कुल क्षमता 20.90 एम.एल. है और इसकी कुल लागत लगभग रुपये 9.64 करोड़ है।

(घ) इस जलाशय की पैरीफैरियल लाईनडाल दी गई है;

(घ) यह कार्य जून 2011 तक पूरा होने की संभावना है।

(च) इस जलाशय की पैरीफैरियल लाईन कार्य पूरा होने के पश्चात चालू किये जाने की संभावना है।

147. श्री सतप्रकाश राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली जल बोर्ड की दक्षिण व दक्षिण पश्चिम डिवीजन के अंतर्गत प्रति विधानसभा कुल कितने ट्यूबवैल हैं और वर्ष 2009-10 व 2010-11 में विधानसभा क्षेत्र अनुसार कुल कितने नये टयूबवैल व री-बोर किये गये;

(ख) इन टयूबवैलों को चलाने व मरम्मत करने के लिए विधानसभा क्षेत्र अनुसार या डिवीजन अनुसार क्या व्यवस्था है, इसके लिए कुल कितने-कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है और विधानसभा क्षेत्र अनुसार या डिवीजन अनुसार पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने टयूबवैल हैं इसमें से कुल कितने टयूबवैलों को चलाने के लिए कुल कितने व कौन-कौन स्थाई कर्मचारी नियुक्त हैं, इनके नाम पते सहित पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) किस-किस ठेकेदार को कितने-कितने टयूबवैल चलाने के लिए दिये गये हैं और इसके लिए किस-किस ठेकेदार को पिछले दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि का आबंटन विभाग द्वारा किया गया है; और

(ङ) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन टयूबवैल ठेकेदार द्वारा नियुक्त किस-किस कर्मचारी के द्वारा चलाये जाते हैं और वर्तमान में ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं, इनके नाम, पता सहित पूरा ब्यौरा क्या है और इनको प्रतिमाह ठेकेदार द्वारा कितना भुगतान किया जाता है?

मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड की दक्षिण व दक्षिण पश्चिम डिवीजन के अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र टयूबवैलों की सूची एवं वर्ष 2009-10 व 2010-11 में विधानसभानुसार नये टयूबवैल व रीबोर किये गये टयूबवैलों की संख्या संलग्नक* पर संलग्न है।

(ख) इन टयूबवैलों को चलाने व मरम्मत करने के लिए स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों एवं कॉन्ट्रेक्ट पर कार्य कराने की व्यवस्था है। नियुक्त किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा डिवीजन अनुसार संलग्नक* पर संलग्न है।

(ग) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र क्षेत्र में कुल 200 टयूबवैल है। इनमें से 119 टयूबवैलों को चलाने के लिए 109 स्थाई कर्मचारियों की सूची संलग्नक* पर संलंग्न है।

(घ) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में टयूबवैलों को चलाने के लिए कान्टेक्टरों की सूची, सहित एवं पिछ्ले दो वर्षो में आवंटित राशि का ब्यौरा संलग्नक* पर संलग्न है।

(ङ) उक्त क्षेत्र में कान्ट्रेक्टरों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या, टयूबवैलों की सूची, नाम, पता सहित संलग्नक* पर संलग्न है। कान्ट्रेक्टर को भुगतान का विवरण संलग्नक* में दिया गया है।

148. श्री सतप्रकाश राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

---

*पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के गाँव महीपालपुर में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रस्तावित भूमिगत जलाशय के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आबंटन के लिए अपनी सहमति दे दी है और जल बोर्ड द्वारा भूमि प्राप्त करने हेतु कुल कितनी राशि दी जानी है;

(ख) उक्त राशि का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण को कब तक कर दिया जाएगा और दिल्ली जल बोर्ड कितने दिन के अंदर इस भूमि को अपने कब्जे में ले लेगा; और

(ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस भूमिगत जलाशय का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आवंटन के लिए सहमति दे दी गई है और जल बोर्ड द्वारा भूमि प्राप्त करने हेतु रुपये 2,68,00,000/- के भुगतान के लिए मांग पत्र दे दिया गया है।

(ख) उक्त राशि का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आगामी वित्त वर्ष 2011-12 के प्रथम तिमाही में कर दिया जाएगा।

(ग) भूमि के आवंटन हेतु मांग पत्र की प्राप्ति के बाद इस जलाशय को बनाने की योजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। वर्तमान में इसके प्रारंभ करने की समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

149. श्री सतप्रकाश राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली जल बोर्ड की दक्षिण व दक्षिण पश्चिम डिवीजन के अंतर्गत वर्ष 2000 में किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में कुल कितनी लंबाई की सीवर लाईन बिछाई जा चुकी थी और इसकी सफाई व देख-रेख के लिए विधानसभा क्षेत्र या डिवीजन अनुसार कुल कितने कर्मचारी व सफाई गाड़ियाँ थी, प्रति किलोमीटर इसका अनुपात क्या था;

(ख) वर्ष 2000 से लेकर अब तक वर्षानुसार किस-किस विधानसभा क्षेत्र या डिवीजन में कितने-कितने किलोमीटर सीवर लाईन बिछाई जा चुकी है और प्रति किलोमीटर कर्मचारियों व सफाई गाड़ियों का अनुपात क्या है; और

(ग) वर्तमान में दक्षिण पश्चिम-1 व दक्षिण पश्चिम-2 में कुल कितनी विधानसभाएँ हैं और इनमें प्रति विधानसभा कितने-कितने कर्मचारी इन सीवरों की सफाई व देखभाल के लिए नियुक्त किये गये हैं?

मुख्यमंत्री : (क) विवरण संलग्नक में संलग्न है।

(ख) विवरण संलग्नक में संलग्न है।

(ग) विवरण संलग्नक में संलग्न है।

Length of Sewer-line, employees and Sewer Jetting cum Suction machine in 2000 (Division-wise)

Item	Najafgarh	Mahipalpur	Nasirpur	Palam	R.K. Puram	Rajendra Nagar	Delhi Cantt
Sewer-line	Nil	118 km	0.50 km	7.0 km	109 km	48 km	59 km
Employee	Nil	13	2	20	78	62	59
Machine	Nil	Nil	Nil	Nil	1	1	Nil
Ratio	Nil	0.11	0.25	0.35	0.71	1.29	1.00

Division-wise details of Sewer Lines, Machine & Employees in South District

Year	EE(S)I			EE(S)II			EE(S)III			EE(S)IV		
	Employee Nos	Machine Nos.	Sewerline In km	Employee Nos.	Machine Nos.	Sewerline In km	Employee Nos	Machine Nos.	Sewerline In km	Employee Nos.	Machine Nos	Sewerline In km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2000-01	-	-	-	382	1	339.6	475	4	630	-	-	-
2001-02	-	-	-	382	1	339.6	475	4	630	-	-	-
2002-03	48	1	145	363	1	339.6	280	3	361	-	-	-
2003-04	47	1	145	363	1	339.6	280	3	361	-	-	-
2004-05	47	1	146	363	1	340	280	3	361	-	-	-
2005-06	48	1	146	348	1	340	280	3	361	-	-	-
2006-07	52	1	148	348	1	340	280	3	361	74	1	177.2
2007-08	53	1	150	348	2	340	214	3	361	73	1	177.2
2008-09	185	1	300	298	2	340	214	3	361	81	1	178.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009-10	185	2	302	293	3	340	118	3	281.8	83	2	178.06
2010-11	180	3	302	293	3	341.1	123	3	282.25	81	2	178.06

2000; Ratio =0.88 Employee/km. 195km/machine.

2010; Ratio =0.60 Employee/km, 100km/machine.

Year-wise details of Sewer line laid Division-wise

Year	EE(SW)I			EE(SW)II			EE(SW)III		
	Sewer line	Employee	Machine	Sewer line	Employee	Machine	Sewer line	Employee	Machine
2003-04						Nil			
2004-05	1.05	29	Nil	11.38	22	Nil	2.00	201	2
2005-06	3.68	29	Nil	2.00	22	Nil	2.25	201	2
2006-07	3.15	29	1	2.00	22	Nil	1.45	201	2
2007-08	4.33	30	1	7.50	22	Nil	2.3	201	2
2008-09	3.53	31	1	18.24	22	Nil	3.2	201	2
2009-10	2.14	31	1	21.31	18	Nil	1.5	149	2
2010-11	3.28	48	1	12.92	17	Nil	1.12	149	3
Latest Ratio of Men and length		0.45			0.22			0.46	

Latest Position of Sewer length in South-West I&II

Year	EE(SW)II			EE(SW)I		
	Sewer line	Employee	Machine	Sewer line	Employee	Machine
Najafgarh	26.94 km	4	Nil	Nil		
Bijwasan	50.00 km	12	Nil			
Palam				47.78 km	22	1
Dwarka				44.62	10	Nil
Matiyala				16.32	16	Nil

150. **श्री नरेश गौड़ :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बाबरपुर विधानसभा व रोहतास नगर विधान सभा क्षेत्र में सीवर लाईन डाले आठ से दस वर्ष बीत चुके हैं लेकिन उक्त सीवर लाईन आज तक प्रारंभ नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके चालू न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस कार्य हेतु जो ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाये जाने थे, उसके बन कर तैयार होने की समय सीमा मई-2010 थी; यदि हां, तो आज तक उसका केवल 50 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण होने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) यमुना विहार सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माणाधीन होने के कारण इस क्षेत्र की सीवर लाईन चालू नहीं हुई है।

(ग) जी हां। सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट के कार्य में देरी मुख्यतः स्टील व सीमेंट के दामों में असाधारण वृद्धि, लेबर की उपलब्धता में भारी कमी व भारी वर्षा के कारण साइट पर जलभराव के कारण हुई है।

(घ) यह कार्य दिसम्बर 2011 तक पूरा होने की संभावना है।

151. **श्री मनोज कुमार :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की मुन्डका विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मुन्डका गाँव, टीकरी कलाँ गाँव व कराला गाँव में भूमिगत जलाशय बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो वह योजना क्या है; और

(ग) वह योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जाएगी?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां। मुण्डका एवं कराला गांव में भूमिगत जलाशय बनाने की योजना है और टीकरी कलां गांव में पानी की आपूर्ति मुण्डका जलाशय से होगी।

(ख) मुण्डका गांव में 19.50 मिलियन लीटर एवं कराला गांव 16.50 मिलियन लीटर क्षमता के भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेशन बनाने की योजना है।

(ग) मुण्डका एवं कराला गांव में जलाशय के निर्माण का कार्य लगभग तीन वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।

152. **श्री मोहन सिंह बिष्ट :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में कुल कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया था;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अनाधिकृत कॉलोनियों (मुकुन्द विहार, पश्चिमी करावल नगर, तुकमीरपुर विस्तार व सोनिया विहार) में पानी की पाईप लाईन डाले जाने संबंधी प्रॉक्कलन (Estimate) दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं के ऐस्टीमेटस स्वीकृत कर यहां कब तक पानी की पाईप लाईनें डाल दी जायेगी?

मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2010-11 में कुल राशि 13600 लाख रु. का आवंटन किया गया था।

(ख) और (ग) जी हां। ये प्रॉक्कलन बोर्ड से स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

(घ) ये सभी कार्य वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने की संभावना है।

153. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में जो पेयजल वितरित किया जा रहा है उसमें गन्दे नाली का पानी मिला होने संबंधी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों को की जा चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो बार-बार शिकायत किये जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन शिकायतों को गंभीरता से न लेने के संबंध में किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उस पर कार्यवाही करेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या और कब तक कार्यवाही करेगी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पीने के पानी में आने वाली गंदगी को कब तक दूर कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) से (च) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में पीने का स्वच्छ पानी दिया जा रहा है। परंतु जब कभी भी गंदे पानी की शिकायत मिलती है तो उस शिकायत पर तुरंन्त कार्यवाही करके उसका निवारण किया जाता है।

154. **श्री रमेश बिधूड़ी** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि हरियाणा से दिल्ली को आने वाले जल में अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा है जिससे पानी जहरीला हो रहा है तथा वह पानी पीने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा से आने वाले पानी की स्वच्छ पानी के रूप में आपूर्ति हो सके, इसके लिए सरकार की क्या योजना है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश से आने

वाली पाईप लाईन में रिसाव होने से लाखों गैलन पानी सड़कों पर व्यर्थ ही बहता रहता है;

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की इन लाईनों को ठीक करने की क्या योजना है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने अभी तक क्या-क्या कदम उठाये हैं?

मुख्यमंत्री : (क) यह सत्य है कि हरियाणा से दिल्ली को आने वाले जल में अमोनिया की मात्रा कभी-कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए शोधन नहीं किया जा सकता। यह समस्या केवल वजीराबाद जलाशय पर ही आती है जिससे चन्द्रावल और वजीराबाद जल संयंत्रों को पानी मिलता है। सामान्यत: कच्चे पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार होती है।

(ख) दिल्ली सरकार निरंतर केन्द्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड और भारत सरकार से संपर्क में है ताकि यह दोबारा न हो।

(ग) भाग 'ख' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च) 1. हरियाणा द्वारा दिल्ली को जल आपूर्ति यमुना नदी और पश्चिमी यमुना नहर द्वारा की जाती है, न कि पाईप लाईन द्वारा।

(2) उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली को जल आपूर्ति मुरादनगर तक ऊपरी गंग नहर द्वारा की जाती है। उसके उपरांत जल शोधन संयंत्रों तक पानी लाईनों द्वारा आता है। इन पाइन लाइनों में रिसाव कभी-कभी होता है जो कि तुरंत ठीक कर दिया जाता है।

155. **श्री रमेश बिधूड़ी :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की बस्तियों में गलियों की चौड़ाई 10 फुट से कम होने के कारण सीवर सफाई की मशीनें नहीं जा पाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने छोटी सफाई की मशीनें लगाने की व्यवस्था की है;

(ग) सरकार द्वारा कुल कितनी सफाई की मशीनें विधानसभा क्षेत्र अनुसार लगाई गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां, आवश्कतानुसार व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत जिलानुसार सफाई की छोटी मशीने लगाई गई है जो कि निम्न है:-

1. दक्षिण जिला के अंतर्गत - 2 छोटी मशीनें

2. उत्तर पूर्व जिला के अंतर्गत - 4 छोटी मशीनें

3. पश्चिमी जिला व उत्तर पश्चिमी जिला के अंतर्गत - 6 छोटी मशीनें

4. सेन्ट्रल जिला के अंतर्गत - 5 छोटी मशीनें

(घ) भाग 'ग' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

156. **श्री रमेश बिधूड़ी :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में भूमिगत जलाशय का निर्माण कार्य वर्ष 2007 से चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त जलाशय का निर्माण कार्य सदन में लगे प्रश्न दिनांक 23.11.2010 के अनुसार उक्त कार्य मार्च-2011 तक पूरा होना था;

(ग) यदि हाँ, तो इस कार्य के पूर्ण न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य के समय पर पूर्ण न होने पर ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि नहीं, तो ठेकेदार के समय पर कार्य पूर्ण न करने के क्या कारण हैं; और

(च) उपरोक्त भूमिगत जलाशय कब तक चालू कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भूमिगत जलाशय की टेस्टिंग पानी की उपलब्धता न होने के कारण नहीं हो सकी।

(घ) ठेकेदार की कोई गलती नहीं है।

(ङ) उपरोक्त जलाशय, ओखला जल संयंत्र से पानी उपलब्ध होने के बाद चालू किया जाएगा। इसके लिए कच्चे पानी की व्यवस्था हरियाणा द्वारा की जानी है।

157. **श्री साहब सिंह चौहान :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पानी की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) वर्तमान में पानी की कितनी उपलब्धता है तथा किन-किन स्रोतों से हैं; और

(ग) दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपेक्षित पानी के लिए भविष्य में क्या योजनाएँ बनाई हैं और उनमें क्या प्रगति है?

मुख्यमंत्री : (क) 180 लाख आबादी के लिए पानी की कुल आवश्यकता 1080 मि.गै.दै. है।

(ख) वर्तमान में पानी की कुल उपलब्धता 840-850 मि.गै.दै है। पानी के मुख्य स्त्रोंत निम्नानुसार है:-

(1) यमुना नदी

(2) गंगा नदी

(3) भाखडा ब्यास मैनेजमेंट बोड

(4) भूमिगत जल

(ग) बढ़ती जनसंख्या की अतिरिक्त अपेक्षित जल आपूर्ति के लिए सरकार ने निम्न योजनाएं बनाई है:-

अल्पकालिक योजनाएँ:

1. हरियाणा के मुनक से दिल्ली में हैदरपुर तक एक समानांतर नहर का निर्माण जिससे 80 मि.गै.दै. पानी की बचत होगी। इस पानी का उपयोग द्वारका जल शोधन संयंत्र (50 मि.गै.दै.) बवाना जल शोधन संयंत्र (20 मि.गै.दै.) तथा ओखला (20 मि.गै.दै.) में उपयोग किया जाएगा।

(2) 20 मि.गै.दै. बवाना जल शोधन संयंत्र का निर्माण।

(3) 50 मि.गै.दै. द्वारका जल शोधन संयंत्र का निर्माण।

(4) 20 मि.गै.दै. ओखला जल शोधन संयंत्र का निर्माण।

दीर्घकालिक योजनाएं:-

सरकार के रेणुका बांध, किशाउ बॉध तथा लख्वर व्यासी बॉध से अतिरिक्त जल की प्राप्ति होगी।

अल्पकालिक योजनाएँ जो दिल्ली सरकार ने प्रारंभ की है उनके जल्दी ही क्रियाशील होने की संभावना है। दीर्घकालीन योजनाओं से वर्ष 2021 तक जल प्राप्त होने की संभावना है।

158. **श्री साहब सिंह चौहान :** क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि घोण्डा विधानसभा क्षेत्र में गाँवडी रोड़ पर चार स्थानों पर व एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में एक स्थान पर सीवर पैरीफैरियल लाईन टूट गई है और जिसके कारण गलियों व घरों में सीवर का पानी बह रहा है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में प्रतिदिन मुख्यमंत्री व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड को शिकायत भेजी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान कब तक करने पर विचार कर रही है?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां। गांवडी रोड और एक्स ब्लाक ब्रहमपुरी पर सीवर लाइन कई जगहों से टूटी हुई है।

(ख) जी हां, सीवर से संबंधित कुछ शिकायतें मुख्यमंत्री व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड को प्राप्त हुई है।

(ग) इस कार्य की निविदाएँ चौथी बार आमंत्रित की जा रही

है, क्योंकि पहले तीन निविदाएं आमंत्रित करने पर कोई जबाव नहीं आया था। अवार्ड के पश्चात यह कार्य करीब तीन महीने में पूरा किया जाएगा।

159. श्री हसन अहमद : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की अधिकतर कॉलोनियों में पीने के पानी की आपूर्ति के समय गंदा पानी आता है जिसकी शिकायत विभाग से बार-बार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि पिछले काफी समय से गंदे पानी की आपूर्ति होने से पीलिया जैसी जानलेवा बीमारी से लोग परेशान हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस गंदे पानी की आपूर्ति का समाधान कब तक कर दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) गंदे पानी की शिकायतें लीकेज की वजह से होती है, जिसका मुख्य कारण विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यो को करते हुए दिल्ली जल बोर्ड की पानी की लाइनें टूटना है।

(ग) जी नहीं। यह दिल्ली जल बोर्ड के संज्ञान में नहीं है।

(घ) मुस्तफाबाद क्षेत्र में पीने का स्वच्छ पानी दिया जा रहा है,

परंतु जब कभी भी गंदे पानी की शिकायत मिलती है तो उस शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करके उसका निवारण किया जाता है।

160. **श्री हसन अहमद :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में टैंकरों से पानी की आपूर्ति नियमित तौर पर नहीं की जा रही है;

(ख) क्या यह सत्य है कि टैंकरों से इस क्षेत्र के जिन स्थानों पर पानी भेजा जाता है वह वहां न पहुंचकर अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है और इस समस्या का समाधान कब तक कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भारत 'क' के उत्तर संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

161. **श्री हसन अहमद :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि ब्रजपुरी रोड पर किये जा रहे सीवर कार्य को ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सीवर कार्य धीमी गति से किया

जा रहा है तथा इस कार्य में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण ठीक नहीं हैं एवं सामग्री की गुणवत्ता व कार्यशैली उचित नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन कमियों को कब तक और कैसे दूर किया जाएगा?

मुख्यमंत्री : (क) जी नही।

(ख) और (ग) जी नहीं। यह कार्य, कार्यस्थल की दिक्कतों को घ्यान में रखते हुए पूर्ण गति से किया जा रहा है। कार्य में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण, सामग्री की गुणवत्ता व कार्यशैली उचित है।

162. **चौ. मतीन अहमद :** क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में छपने वाले अखबारों की अन्य अखबारों की तरह क्लीपिंग नहीं होती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं। निदेशालय में दिल्ली के अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी अखबारों से कतरन सेट तैयार किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता

अंग्रेजी के समाचार पत्र	हिन्दी के समाचार पत्र
01. टाइम्स ऑफ इंडिया	01. नवभारत टाइम्स
02. हिन्दुस्तान टाइम्स	02. हिन्दुस्तान
03. द हिन्दू	03. जनसत्ता
04. स्टेट्समैन	04. पंजाब केसरी
05. पॉयोनियर	05. दैनिक जागरण
06. इंडियन एक्सप्रेस	06. राष्ट्रीय सहारा
07. एशियन ऐज	07. वीर अर्जुन
08. मेल-टुडे	08. नई दुनिया
09. दि ट्रिब्यून	09. महामेधा
	10. हरिभूमि
	11. दैनिक भास्कर
	12. दैनिक ट्रिब्यून
	13. अमर उजाला
	14. शाह टाइम्स

पंजाबी के समाचार पत्र	उर्दू के समाचार पत्र
01. अजीत	01. प्रताप
02. ट्रिब्यून	02. मिलाप

पंजाबी के समाचार पत्र	उर्दू के समाचार पत्र
03. स्पोक्समैन	03. सहाफत
	04. जदीद् इन दिनों
	05. राष्ट्रीय सहारा
	06. हिन्दुस्तान एक्सप्रेस
	07. हमारा समाज
	08. जदीद् मेल
	09. हिंद समाचार

163. श्री मनोज कुमार : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) सरकार द्वारा सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 में विभागों के प्रचार पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) पल्स पोलियो अभियान के प्रचार पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) सूचना और प्रचांर निदेशालय द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 में विभागों के प्रचार पर की गई राशि का विवरण संलग्न है। अन्य विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ख) वर्ष 2010-11 के पल्स पोलियो के छह चरणों का व्यय रुपये 1,11,69,778/- है।

क्रम सं.	विभाग	व्यय राशि
1.	सूचना एवं प्रचार निदेशालय	रुपये 118337593/-
2.	प्रशासनिक सुधार विभाग	रुपये 56358/-
3.	इकनोमिक्स एंड स्टैटिक्स निदेशालय	रुपये 303853/-
4.	व्यापार एवं कर विभाग	रुपये 710696/-
5.	दिल्ली महिला आयोग	रुपये 1579643/-
6.	सर्तकता निदेशालय	रुपये 408178/-
7.	आडिट निदेशालय	रुपये 7214/-
8.	उर्जा विभाग	रुपये 4343199/-

The IEC expenditure of Six (06) phases Pulse Polio Programme from May 2010 to Dec.-2010 is detailed below

Sl. No.	Heads/ Phase	May.10	July.10	August Mopup	Sept. 2010	Nov. 2010	Dec. 2010	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Printing	59692	247926	0	223275	76052	118906	725851
2.	Balloon Display	310881	310881	0	310881	394598	310881	1638122

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Banner Installation	0	57094	0	0	0	0	57094
4.	Bilboard/ Flex Disp.	695685	707439	199758	1010278	846839	820897	4280896
5.	Radio Advt.	213761	238513	0	220887	220887	220887	1114935
6.	TV. Advt.	161586	161586	0	55268	68238	126231	570907
7.	Press Advt.	347879	0	158245	111706	0	0	617830
8.	Metro Advt.	234718	267808	0	300457	300457	262073	1365513
9.	Banner Removal	838	3992	0	0	0	0	4830
10	Munadi	153300	150500	37100	150500	150500	151900	793800
	TOTAL	2178340	2145739	395103	2383252	2055569	2011775	11169778

164. श्री कुलवन्त राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रोहिणी सैक्टर-5 व 16 में महाविद्यालय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित हुई है और इस आबंटित भूमि पर चारदीवारी बनवाकर गेट लगवाया हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन भूमियों पर कोई महाविद्यालय बनाने की योजना है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि आज तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि इन भूमियों पर क्या बनाया जाएगा;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि महाविद्यालय का भवन 5 वर्ष पूर्व बनकर तैयार होना था;

(ङ) यदि हाँ, तो इनका भवन क्यों नहीं बन सका है और इसके न बनने के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण क्या है;

(च) इन भूमियों पर महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा तथा महाविद्यालय का शिक्षा सत्र कब से प्रारंभ होगा; और

(छ) इस महाविद्यालय के निर्माण कार्य में हो रही देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत रोहिणी सैक्टर 5 एवं सैक्टर 16 में महाविद्यालय के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चार दीवारी, चौकीदार की झोंपड़ी तथा मुख्य द्वार बनाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति तथा डी.एच.ई. 9(6)/2007-08/6521-29 दिनांक 2/12/2010 द्वारा लोक निर्माण विभाग को दी है।

(ख) जी हां, रोहिणी सैक्टर-16 में आवंटित भूमि पर शहीद सुखदेव कॉलेज आफ बिजनेस स्टडीज के भवन निर्माण की योजना है

एवं सैक्टर 5 रोहिणी में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा दिल्ली इंस्टीटयूट ऑफ हैरिटेज रिसर्च एण्ड मैनेजमैंट के लिये भवन निर्माण की योजना है।

(ग) जी नहीं, इन भूमियों पर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और दिल्ली इंस्टीटयूट ऑफ हैरिटेज रिसर्च एण्ड मैनेजमैंट के भवन निर्माण का कार्य जल्द ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(घ) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(ड) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(च) भवन निर्माण के कार्य में 4-5 वर्ष का समय लगेगा, तत्पश्चात ही शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो जायेगा। लोक निर्माण विभाग ने पिछली बार भी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिये प्रयास किया था पर परामर्शदाताओं के अभाव में यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। लोक निर्माण विभाग ने पिछले माह ही टेन्डर निकाले हैं और परामर्शदाताओं की नियुक्ति का कार्य चल रहा है। जल्द ही भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जांयेगा।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता ।

165. श्री जयभगवान अग्रवाल : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) रोहिणी कॉलोनी में सरकार द्वारा कॉलेज खोलने हेतु आज

तक दिल्ली विकास प्राधिकरण से कितने प्लॉट आबंटित करवाये हैं और ये प्लॉट कहां-कहां पर उपलब्ध हैं;

(ख) उन प्लॉटों में कितने प्लॉटों पर सरकार ने कॉलेज भवन बनाने प्रारंभ कर दिये हैं;

(ग) उक्त कॉलोनी में कितने प्लॉट हैं और कहां-कहां पर आज तक प्लॉट खाली पड़े हैं व उन पर कॉलेज भवन न बनने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में रोहिणी कॉलोनी में कॉलेज खुलवाने की सरकार की क्या योजना है?

मुख्यमंत्री : (क) रोहिणी कालोनी में सरकार द्वारा कॉलेज खोलने हेतु आज तक दिल्ली विकास प्राधिकरण से पांच प्लॉट आबंटित करवाए हैं। इनमें से दो प्लॉट सैक्टर 3 और एक-एक प्लॉट सैक्टर 5, 16 और सैक्टर 17 में उपलब्ध हैं।

(ख) रोहिणी सैक्टर-5 में स्थित प्लॉट दिल्ली इंस्टीटयूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एण्ड मैनेजमैंट के लिए आवंटित किया गया है एवं यह परियोजना योजना के स्तर पर है। रोहिणी सैक्टर 16 के प्लॉट का शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को आवंटित किया गया है। तथा सैक्टर-17 के प्लॉट को महार्षि बाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन को आवंटित किया गया है तथा यह दोनों परियोजनाएं भी योजना के स्तर पर हैं। लोक निर्माण विभाग इन प्लॉटों पर चार दीवारी बनाने का

कार्य कर रहा हैं। परामर्शदाता की नियुक्ति करने की प्रक्रिया चल रही है, तत्पश्चात जल्द ही भवन निर्माण .का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(ग) रोहिणी सैक्टर-3 में दो प्लॉट खाली पड़े हैं। ये प्लॉट इन्दिरा गांधी इन्स्टीटयूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोंटस साइनसिज को आबंटित किए गए थे। इस विषय पर पुनः विचार किया गया और 23.3.2010 को माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों प्लॉटों पर भारतरत्न डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अतः डी.डी.ए. को प्रार्थना की गई कि उपरोक्त भूमि भारतरत्न भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम पर आवंटित की जाए। डी.डी.ए. से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपरोक्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य महाविद्यालय रोहिणी क्षेत्र में खुलवाने हेतु कोई योजना नहीं है।

166. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत कई अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले दिल्ली सरकार के अधीन काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसे मामलों को भारत सरकार को भेजा गया है; और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश आई.डी. सं.ए-32022/4/2006-ई.जी. दिनांक 22.07.2008 एवं संख्या-6/8.111(बी)/91 दिनांक 28.02.2003 बिल्कुल स्पष्ट है।

मुख्य मंत्री : (क) वेतन निर्धारण के मामलें संबंधित विभाग के हैड आफ आफिस द्वारा देखे जाते हैं। वित्त विभाग (लेखा) को विभिन्न विभागों में लम्बित मामलों की जानकारी नहीं है।

(ख) वह मामले जो कि नियमों की व्याख्या या संशय से संबंधित हैं, वित्त (लेखा) विभाग द्वारा संबंधित विभाग से प्राप्त होने पर भारत सरकार को स्पष्टीकरण के लिए भेजे जाते हैं।

(ग) जी यह सत्य है कि भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 22.07.2008 दिनांक 28.02.2003 जिन श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जारी किए गए थे, उनके लिए स्पष्ट हैं। कुछ कर्मचारी इस श्रेणी में अक्षरश: नहीं आते, परंतु उपरोक्त निर्देशों का लाभ लेते हुए अपना वेतन निर्धारण करवाना चाहते हैं, ऐसे मामलों को स्पष्टीकरण हेतु भारत सरकार को भेजा जाता है।

167. श्री प्रद्युम्न राजपूत : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर वन पार्क में विद्युत संबंधी कार्य के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, सिविल डिवीजन नं.-1 ने वन विभाग की स्वीकृति हेतु ऐस्टीमेटस भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो वन विभाग द्वारा इस ऐस्टीमेटस को स्वीकृत क्यों नहीं किया जा रहा है;

(ग) कौन से अधिकारी इस कार्य में विलम्ब के लिए उत्तरदायी हैं तथा उक्त उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है; और

(घ) नगर वन पार्क में उक्त विद्युत संबंधी कार्य कब तक आरंभ हो जायेगा?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) वन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा इस कार्य की स्वीकृति दिनांक 24.02.2011 को पत्र संख्या एफ/2/117/उवसं (प)/पॉ-ए/नसीरपुर/भाग-1/9271-81 दिनांक 24.02.11 द्वारा सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग, सिविल डिवीजन नं.-1 को दी जा चुकी है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(घ) नगर वन पार्क में उक्त विद्युत संबंधी कार्य का आरम्भ सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभ्नाग के codal formalities पर निर्भर करता है।

168. **श्री मनोज कुमार :** क्या **मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली सरकार के योजना विभाग की कार्यप्रणाली क्या है;

(ख) इस कार्यालय में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) क्या इन कर्मचारियों में से किसी के ऊपर कोई विभागीय कार्यवाही लंबित है; और

(घ) यदि हाँ, तो पूर्ण ब्यौरा क्या है?

मुख्यमुंत्री : (क) दिल्ली के योजना विभाग के मुख्य कार्य निम्न है:-

- दिल्ली सरकार की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना।
- योजनाओं का मानीटरिंग।
- योजनाओं का मूल्यांकन।
- बीससूत्री कार्यक्रम का समन्वय।
- दिल्ली सरकार के संशोंधनों का अनुमान।
- राज्य योजना बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करना।
- योजना एवं सांख्यिकी कैडर का प्रबंधन।

(ख) योजना विभाग में इस समय 92 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ग) जी नहीं

(घ) लागू नहीं होता

169. श्री जसवन्त सिंह राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की खेल शाखा द्वारा खिलाड़ियों को किस योजना के अंतर्गत कोचिंग दी जाती है;

(ख) खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल करके राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने हेतु चयन करने की सरकार की क्या पालिसी है;

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिल्ली सरकार की खेल शाखा को वर्ष 2010-11 में कितनी बजट धनराशि आबंटित की गई और उसमें से दिनांक 28.02.2011 तक किन मदों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है; और

(घ) भारत सरकार की विभिन्न फैडरेशनों द्वारा जो विभागीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ आयोजित कराई जाती हैं जिनके द्वारा भारतीय टीमों का चयन होता है उनमें दिल्ली सरकार की टीमें आती हैं या नहीं और उसकी क्या पॉलिसी है?

मुख्यमंत्री : (क) केंद्रीय सिविल सेवा एवं क्रीडी बोर्ड द्वारा 16 जुलाई 1997 को जारी पत्रावली के तहत अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडिओं को कोचिंग दी जाती हैं।

(ख) वर्तमान में पॉलिसी दिल्ली सरकार के खिलाडियों के अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में भाग लेने की ही हैं।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के खेल शाखा को वर्ष 2010-11 में दस लाख की बजट धनराशि आबंटित की गई इसमें से विभिन्न मदों दिनांक 28.02.11 तक खर्च की गई राशि इस प्रकार हैं:-

1. अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों को रिफ्रेशमेंट एवं आउट ऑफ पॉकेट भत्ता 18,250 रुपये दिया गया।
2. अंतर विभागीय टीमें कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, बैड मिन्टन, को नगद पुरस्कार 65,250/- रुपये दिया गया।
3. खेल की साम्रगी 2010-11 में 13,624/- रुपये की खरीदी गई।
4. ऐफिलियेशन/प्रवेश राशि 2010-11 में 6,250 रुपये दी गई।
5. नगद धनराशि पुरस्कार, कार्यक्रम में चाय-पानी, गुलदस्तों पर 15,175/- रुपये खर्च हुआ।

28.02.2011 तक कुल खर्च 1,18,549 रु. हुआ

(घ) भारत सरकार की विभिन्न फेडरेशनों द्वारा आयोजित विभागीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार की टीमें नहीं भेजी जाती हैं, वर्तमान पॉलिसी के अनुसार सिर्फ केंद्रीय सिविल सेवा एवं क्रीडा बोर्ड, भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं में ही दिल्ली सरकार की टीमें भाग लेती हैं।

170. श्री प्रद्युम्न राजपूत : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि स्प्रिंगडेल्स स्कूल, पूसा रोड द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पब्लिक स्कूल द्वारा कुल कितनी वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण/कब्जा किया हुआ है;

(ग) उक्त स्कूल द्वारा यह अवैध अतिक्रमण/कब्जा कब से किया हुआ है; और

(घ) वन विभाग अथवा अन्य उत्तरदायी विभाग द्वारा इस स्कूल के विरूद्ध कब-कब तथा क्या-क्या कार्रवाई की गई है; दस्तावेजों सहित पूर्ण विवरण क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) से (घ) स्प्रिंगडेल्स स्कूल द्वारा सरक्षित वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

171. चौ. मतीन अहमद : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पर्यटन विभाग ने सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन के लिए कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या कार्य किये हैं; और

(ग) भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना क्षेत्र में कोई योजना है?

मुख्य मंत्री : (क) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के यमुना क्षेत्र में यमुना पर सिग्नेचर पुल बनाने का कार्य चल रहा हे जिसके आस-पास पर्यटन संबंधी कार्य करने की भी योजना है।

172. श्री कुलवन्त राणा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली में कुल कितनी जिला अदालतें कार्यरत हैं, ये कहां-कहां स्थित हैं तथा इनमें कौन-कौन न्यायाधीश कार्यरत हैं;

(ख) प्रत्येक अदालत में कितने अधिकारी ग्रेड-I, II, III एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्यरत हैं, जिलेवार विवरण क्या है;

(ग) उपरोक्त श्रेणियों में कितने पद रिक्त हैं, जिलेवार विवरण क्या है;

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) दिल्ली में जनसंख्या के अनुपात में कुल कितनी जिला अदालतों की आवश्यकता है?

मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में कुल 160 अदालतें दिल्ली उच्च न्यायिक सेवारत अधिकारियों द्वारा और 225 अदालतें दिल्ली न्यायिक

सेवारात अधिकारियों द्वारा 9 जिलों में स्थापित 6 अदालत परिसरों में चलायी जा रही है, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

1. तीस हजारी अदालत परिसर
2. पटियाला हाउस अदालत परिसर
3. कडकडडूमा अदालत परिसर
4. रोहिणी अदालत परिसर
5. द्वारका अदालत परिसर
6. साकेत अदालत परिसर

न्यायालयों में नियुक्त अधिकारियों की सूची ''अनुलग्नक पर संलंग्न है।

(ख) ब्यौरा ''अनुलग्नक पर संलंग्न है।

(ग) ब्यौरा ''अनुलग्नक पर संलंग्न है।

(घ) दिल्ली सरकार और उच्च न्यायालय मिलकर खाली पड़े स्थानों/पदों को शीघ्रतम भरने के लिए कार्यशील है और निकट भविष्य में अधिकतर रिक्त पद भर लिये जायेंगे।

(ड) दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा और दिल्ली न्यायिक सेवा में 206 और 382 पद क्रमशः अधिकृत हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय, द्वारा नियुक्त न्यायालयों की आवश्यकताओं को मापने के लिए मुख्य न्यायालयों

---

*पुस्तकालय में उपलब्ध है।

की समिति द्वारा तारीख 15.9.2004 की रिपोर्ट (जो कि प्रस्ताव संख्या 12(1) उच्च न्यायाधीश सम्मेलन 2004 के अंतर्गत है), के अनुसार न्यायाधीश-मुकदमे का अनुपात निम्नलिखित होना चाहिए:-

क.	जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त सेशन्स जिला	- 500 मुकदमे
ख.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश	- 500 मुकदमे
ग.	कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश	- 500 मुकदमे
ङ	**दण्डाधिकारी/न्यायिक अधिकारी** प्रथम श्रेणी	- 600 मुकदमे

उपरोक्तानुसार दिल्ली में न्यायालयों की आवश्यकता अभी काफी है जिसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ मिलकर निम्नलिखित पदों को अधिकृत करने का और तत्पश्चात भरने के लिए प्रयत्नशील है।

1. दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (62 पद)	''क'' 22 पद सन् 2011 के अंत तक।
	''ख'' 40 पद सन् 2012 के अंत तक।
2. दिल्ली न्यायिक सेवा	''क'' 42 पद वर्ष 2011 के अंत तक।
	''ख'' तत्पश्चात् प्रतिवर्ष 100 पद।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है। अब सदस्य अपने विशेष उल्लेख के मामले उठायेंगे।

नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष जी, जो कॉल अटेंशन लगाया गया हो, उसको प्रश्न काल के बाद आपको बताना होता है। हमने आपको कॉल अटेंशन का नोटिस दिया है कि दिल्ली के अंदर जो पानी की आपूर्ति की जा रही है उसमें लगभग आधे से ज्यादा दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसके कारण जल-जनित बीमारियां हैजा इत्यादि फैलने की पूरी आशंका है। हर पांचवां व्यक्ति दूषित पानी पी रहा है, जिसके कारण बड़ी भयंकर परिस्थिति बनी हुई है। खराब पानी की सप्लाई के कारण यह जो परिस्थिति बनी हुई है। यह एक भयावह स्थिति बनी हुई है, लोग घबराये हुए हैं कहीं आंत्रशोध की, कहीं हैजे की, कहीं टाईफाईड की जो जल-जनितं बीमारियां फैल रही हैं, उसके कारण जो स्थिति आज दिल्ली के अंदर बनी हुई है। मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके लिए हमने एक नोटिस दिया है, उसके बारे में आप बतलाईये कि आज उसके ऊपर चर्चा करा कर दिल्ली की जनता को जो एक बहुत बड़ा संदेह हो रहा है उसको दूर करने के लिए उस पर चर्चा करायें और कॉल अटेंशन नोटिस स्वीकार कर लें।

श्री सुभाष सचदेवा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा से दूषित पानी दिल्ली में आ रहा है...**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। पहले मैं एक व्यवस्था दे दूं। मुझे डॉ. जगदीश मुखी और श्री सुभाष सचदेवा जी से नियम-54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसमें उन्होंने दिल्ली में दूषित पानी की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह बजट सत्र है और सभी माननीय सदस्यों को उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं बजट पर बोलते समय संबंधित विषयों को उठाने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं इस विषय को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में फिलहाल अनुमति नहीं दे रहा हूं। वैसे मैंने इन सूचनाओं को संबंधित मंत्री को जवाब हेतु भेज दिया है।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, समय की पुकार को देखते हुए, गंदा पानी पी कर जो लोग बीमार हो रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष महोदय, आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। आपने जो इसे कंसर्न मंत्री के पास भेज कर जवाब मांगना था उन्होंने स्वीकार करना है किन्तु इसे आपने अपने लेवल पर रोक लिया वो तो अध्यक्ष महोदय, वाजिब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मैंने व्यवस्था दे दी है। आप बैठ जाईये। आगे की कार्यवाही चलने दीजिए। सचदेवा जी, आप बैठिये।

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष जी, एक मामला मैंने 280 में लगाया था, दो दिन से यह मामला लगा रहा हूं। एक बहुत अहम मुद्दा है। उसके लिए मुझे आप परमिट करें। मेरी हंबल रिकवेस्ट है। कल भी समय निकल गया। हम बिल्कुल शांत बैठे रहे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। जब आपका नम्बर आये तो बोल लेना।

श्री शोएब इकबाल : नम्बर नहीं अध्यक्ष महोदय, यह मामला कल भी रह गया था। आज आप मुझे समय दे दें। आप बुलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अहम मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : मुकेश जी।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय विपक्ष के नेता के, डाक्टर जगदीश मुखी जी, कुलवंत राणा जी और श्याम लाल गर्ग जी के खिलाफ नियम-66 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप उस पर बतायें कि क्या कार्रवाई हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ इस व्यवस्था में होगा कोट किया वो मुकेश शर्मा जी का होगा, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं होगा। इसलिए पढ़ रहा हूं।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : मुझे मुकेश शर्मा से नियम-66 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना प्राप्त हुई है। श्री मुकेश शर्मा ने अखबारों का हवाला देते हुए आरोप लगाये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, डॉ. जगदीश मुखी, श्री श्यामलाल गर्ग और श्री कुलवंत राणा ने कल सदन में अध्यापकों के बारे में बिना किसी प्रूफ एवं ठोस साक्ष्यों के जानबूझ कर गुमराह करने वाले टिप्पणी की। जिससे न केवल दिल्ली के सम्माननीय अध्यापक एवं विद्यार्थी समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंची है बल्कि सदन की अवमानना हुई है।

यह नोटिस मेरे संज्ञान में है। मैं इसका अध्ययन करूंगा और हमारा सचिवालय देखेंगा कि इस पर क्या किया जाये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह तो बिल्कुल गलत बात है। बजाँय इनके कि प्रीवलेज इनके खिलाफ आये। इनके ख़िलाफ प्रीवलेज आना चाहिए, आपकी अवमानना की।

डॉ. हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ सदन के

अंदर हुआ, आपके सामने हुआ है। स्टडी क्या करना है। अवमानना उन्होंने की है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, इतना तो मेरा अधिकार है कि मैं उसको अपने पास रख सकूं और देख सकूं। अब विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे। श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने सीमापुरी विधान सभा क्षेत्र की चौपट सफाई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, गत वर्ष दिल्ली नगर निगम द्वारा सही ढंग से नालों की सफाई नहीं की गई जिस कारण नालों में छोटी नालियों का पानी नहीं जाता है। जिस कारण लोगों के घरों के सामने गंदगी तैरती रहती है। अध्यक्ष जी, इसके अलावा ज्ञात हुआ है कि निगम पप्प ऑपरटेरों का टेंडर खत्म होने के कारण गंदे पानी की निकासी के लिए प्रोपर पम्प नहीं चलाए जा हैं। जिस कारण मेरे क्षेत्र की सुंदर नगरी के, जी, एच ब्लॉक तथा आई, जे, के ब्लॉक एवं एन, एम, ओ ब्लॉक के नागरिक हद से ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नई सीमापुरी जैन मंदिर झुग्गी एफ-ब्लाक आदि कलस्टरों का भी बुरा हाल है। अध्यक्ष जी, हैरत की बात यह है कि निगम ने सफाई कर्मचारियों को अलॉट किए मकानों में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह कुष्ठ आश्रम ताहिरपुर में पिछले दस वर्षों पूर्व गंदे पानी की निकासी के लिए एक पम्प हाउस का प्रस्ताव था।

किंतु खेद है आज तक पम्प हाउस नहीं बनाया गया। कुष्ठ आश्रम जहां लगभग दस हजार के आस-पास आबादी है, सारी नालियों और नालों का पानी सीवर लाईन तोड़कर विकट समस्या उत्पन्न कर देता है। फलस्वरुप वहां रोजाना सीवर जाम रहता है। सीवर की गंदगी गलियों में तैरती रहती है। लाचार कुष्ठ रोगी जिनके पहले ही हाथ, पैर गले-सड़े रहते हैं मजबूरन गंदे पानी से निकलते हुए हमें और सरकार को कोसते रहते हैं। अध्यक्ष जी, निगम ने रही सही कमी तो मेरे क्षेत्र के जेजे कलस्टर से 35-36 सफाई कर्मचारी हटाकर कर दी है जिससे दशा और खराब हो गई है। निगमायुक्त के आदेश के बावजूद दूसरे क्षेत्रों में ट्रांसफर किए कर्मचारी आज तक वापस नहीं बुलाये गए।

अध्यक्ष जी, सारे क्षेत्र में गंदगी की भरमार है महीनों कूड़े के ढेर नहीं उठते, नालियां भरी रहती हैं, बड़े नालों की हालत खराब है। शौचालयों की तो यह हालत है कि पूरे क्षेत्र के शौचालयों से कीड़े निकलकर घरों में घुसते देखे जा सकते हैं। आप 5 मिनट एक स्थान पर रुक भी नहीं सकते। ऐसे में लोग नरकीय जीवन बिता रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि नगर निगम को सख्त निर्देश देकर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था विशेषकर कुष्ठ आश्रम ताहिरपुर में और सुन्दर नगरी के जी-8 ब्लाक में कराई जाए जहां नालों की बाहर निकासी नहीं हो रही है। मेरी आपसे प्राथना है कि माननीय मंत्री जी इस पर दो शब्द कहें तो अच्छी बात रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : चौ. भरत सिंह।

चौ. भरत सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नजफगढ़ के अंतर्गत रोशनपुरा में वर्ष 1987 में 18 एकड़ भूमि उच्च शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए दी गई थी। बार बार इस सदन में इस मुद्दे को उठाया है, बोला है और लिख करके भी दिया है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर मैं एक दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि मुझे बताया जाए कि इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी नजफगढ़ में उच्च शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं की गई। यदि की गई है, तो उस पर कब तक अमल किया जायेगा और कब तक उच्च शिक्षा केन्द्र खोल दिया जायेगा। इस बारे में मुझे भी अवगत कराया जाये ताकि मैं क्षेत्र वासियों को जवाब दे सकूं।

अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से दिल्ली सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली के सभी गांवों में एस.टी.पी. लगाने के आदेश जारी कर दिये थे तो उस पर आज तक काम शुरू क्यों नहीं किया गया। दिल्ली देहात के गांवों में पानी की निकासी के लिए पहले जोहड़/तालाब आदि का इस्तेमाल कर लिया जाता था परन्तु दिल्ली सरकार ने इन तालाबों का सौंदर्यीकरण कर दिया जाये। गांवों का पानी फिरनी में और गलियों में फैल रहा है और वहां खड़ा रहता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से

सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने प्रत्येक गांव में एस.टी.पी. लगाने का आश्वासन दिया था लेकिन वे अभी तक नहीं लगे हैं। आजकल गांवों में गंदे पानी की निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस संबंध में दो शब्द अवश्य कहें, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सतप्रकाश राणा।

श्री सतप्रकाश राणा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे गांव बिजवासन में एक रेलवे उपरगामी पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से गांव के मुख्य मार्ग को रेलवे फाटक के पास से बंद कर दिया गया है और गांव लगभग दो हिस्सों में बंट गया है। यहां के निवासियों को गांव के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है। अगर एक दूसरे हिस्से में जाने के लिए अगर छोटा रास्ता भी मिल जाए वह भी नहीं दिया गया। इसके अलावा इस पुल के निर्माण के लिए 12 बीघा 3 बिस्वा जमीन का अधिग्रहण किया जाना है और उसमें करीब 150-200 दुकानें और घर टूटने में आने वाले हैं, जिसका सर्वे भी हो चुका है। अध्यक्ष जी, इस संबंध में आज मैंने प्रश्न लगाया था और मैंने जानकारी मांगी थी कि मुआवजे के रूप में क्या जिन लोगों की दुकानें और घर आने वाले हैं। उनको इसमें आल्ट्रनेट प्लाट या घर दिए जा सकते हैं तो प्रश्न के जवाब

में कहा है कि नहीं दिए जा सकते। अध्यक्ष जी, मैंने इस बारे में पत्र भी लिखे हैं। उनके जवाब में भी कहा गया है कि नहीं दिए जा सकते। लेकिन अभी मैंने देखा कि नांगल राय में जो अभी पुल बनाया गया था उसमें जो दुकानें और घर आए थे, वहां के 20 लोगों को दुकानें दी गई हैं और 7 लोगों को एमआईजी घर दिए गए हैं, एचआईजी घर दिए गए हैं। अगर आल्ट्रनेट प्लाट और घर दिए जा सकते हैं तो मैं यह समझता हूं कि सदन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, लोग दिल्ली के विकास में बाधा ना बनें, दिल्ली का उचित विकास हो और लोग खुशी के साथ अगर उनकी कोई सम्पत्ति उसके बीच में आती है तो वे विकास के नाम पर दे सकें, इसके लिए सरकार एक उचित मुआवजे की व्यवस्था करे। अभी हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में एक बहुत बड़े रोड़ का निर्माण किया जाना है, द्वारका से माणेसर के लिए। उसमें जो मुआवजा राशि तय की है, लोगों को जितना जिसका प्लाट आया है, उतना बड़ा प्लाट सरकार ने उसमें देने का निर्णय किया है, एक अच्छी मुआवजा राशि देने का निर्णय किया है। जिसमें मैंने देखा है, मेरा पड़ोसी क्षेत्र है, लोग बहुत सहज तरीके से अपने घरों को या जो भी उसमें सम्पत्ति आई है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों ने स्वयं एफीडेविट दिए हैं कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष जी, उस रोड का निर्माण शुरू हो गया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली में भी यदि कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे लोग स्वयं एफीडेविट देकर यह कहें कि मैं अपनी सम्पत्ति इस काम के

लिए छोड़ने को तैयार हूं। सरकार यदि दिल्ली का विकास करना चाहती है तो उसमें बाधा नहीं बनेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई वक्तव्य दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं समझूंगा कि मुख्यमंत्री जी बहुत जिम्मेदारी के साथ दिल्ली का विकास करना चाहती हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर मामला जो हुआ है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले एक महिला को बचा रहे ऑटो चालक की हत्या, यह खबर सारे अखबारों में छपी है दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित हैं। मैं उस सारे मामले में नहीं जाना चाहता। 85 प्रतिशत महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। यह भी आया है कि हरेक महिला के साथ कभी न कभी कोई छेड़खानी हुई, परन्तु मैं तो यह ध्यान दिला रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी वहां पर जब यह घटना हुई थी तो बहुत चिंता प्रकट की, लॉ एण्ड आर्डर के बारे में बहुत कुछ कहा, परन्तु उन्होंने यह बात भी कही कि यहां पर सिविल सोसायटी का क्या कर्त्तव्य है और उन्होंने यह कहा कि सिविल सोसायटी में लोगों को सामने आना चाहिए। एक रिक्शा वाला सामने आया वह उस महिला को बचा रहा था, ब्लेड मार कर उसकी हत्या कर दी गई। अगर यहां पर सिविल सोसायटी में लोग आ करके मदद करे और उनकी भी हत्या हो

जाए, जो बचाने की कोशिश करें वो भी मारे जाएं तो किस तरह की राजधानी है। हमारी राजधानी में लॉ एण्ड आर्डर की क्या स्थिति है सुबह अखबार उठाते ही 5 महिलाओं की हत्या हो गई है, 10 का यह हो गया, लॉ एण्ड आर्डर की हालत इतनी खराब है, परन्तु इसके बारे में मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी ने भी रिक्शा चालक को कोई मुआवजा देने की बात या 5 लाख रुपया देने की बात किसी के द्वारा आगे आने पर नौकरी देने की बात किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बारे में कहीं पर कोई लेख नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि यह मामला, महिला हमारी यहां की मुख्यमंत्री हैं और महिला देश की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी हैं परन्तु दिल्ली में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो जाए और उसके बाद भी जो उनको बचाने जाएं वो भी मार दिए जाएं तो मैं तो कहूंगा कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। किस प्रकार के होम मिनिस्टर हैं लॉ एण्ड आर्डर की क्या स्थिति है, कांग्रेस पार्टी ने भी कल रेजोल्यूशन किया कि हम बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं। चिंता व्यक्त करने के बाद और यहां पर यह कहने के बाद भी यह स्थिति बहुत ही गंभीर है न उसको कोई मुआवजा दिया गया न उसको कोई नौकरी दी गई और कोई बचाने के लिए आए वह भी मार दिया जाए तो कौन बचाने आएगा, कौन अपनी जान खतरे में डालेगा। उसके बाद भी वह पकड़ा भी नहीं गया अभी तक। न उसको पकड़ा गया न उसके बारे में कोई स्थिति हुई। वो रिक्शा चालक बेचारा मारा गया, वह गरीब आदमी था, इसलिए बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई। कोई और होता

तो चर्चा भी होती। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं हैं। गृह मंत्री जी इसके बारे में करें जब लॉ एण्ड ऑर्डर पर चर्चा होगी, तो हम लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में उस समय चर्चा कर लेंगे। परन्तु जो ये स्थिति पैदा हुई है, उसके परिवार के बारे में उसके साथ सारे सदन को खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री को खड़ा होना चाहिए मुआवजा देना चाहिए और फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : डॉ. हर्षवर्द्धन जी।

डॉ. हर्षवर्द्धन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और विशेषकर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी जो कि स्वयं पिछले 12 वर्ष से भी ज्यादा समय से दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्षा हैं, आपका ध्यान अपनी विधान सभा कृष्णा नगर..

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, क्या मुआवजे के बारे में कोई घोषणा करना चाहेंगी मुख्यमंत्री या उसके बारे में ..आपने बिल्कुल छोड़ दिया मामला। I donot think it is a matter to be left like that.

मुख्यमंत्री : No no no. no certainly not. हम जब भी होता है.. आप मुझे उसका पता बता दीजिए। एड्रेस बता दीजिए नहीं नहीं, आपने चिन्ता प्रकट की है। इतना थोड़ा सा हमें मदद कर दीजिएगा। Whatever is possible we will do. हम तो मुआवजा हर चीज के लिए देते हैं और कोई पता हो या कोई आये या आपको पता है क्योंकि आपको सहानुभूति है उसके बारे में, सभी को ही है। लेकिन आपको क्योंकि मालूम है, आप बता दीजिए हमें, We will certainly do it.

डॉ. हर्षवर्द्धन : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी जो पिछले 12 वर्ष से भी ज्यादा समय से दिल्ली जल बोर्ड की स्वयं अध्यक्षा भी हैं। उनका ध्यान अपनी विधान सभा कृष्णा नगर क्षेत्र में सीवर व्यवस्था की अराजक स्थिति से उत्पन्न सिविल वार जैसी स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब मैंने 'अराजक' और 'सिविल वार' जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया तो I really mean them. ये खाली कोई ऐसे ही मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। पिछले एक साल से भी अधिक समय से पूरे क्षेत्र में अनेक स्थानों पर मेन रोडस पर चलने वाली सीवर की बड़ी बड़ी लाइनें बैठ चुकी हैं। उसके कारण पूरे इलाके में सीवर उबल रहे हैं। सड़कों पर बह रहे हैं। अधिकांश घरों में सीवर का पानी लोगों के घरों में घुसकर उनके रसोई और शयन कक्ष तक पहुंच चुका है। लेकिन इतनी भयंकर स्थिति होने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड मूक दर्शक की तरह केवल फाइल बाजी करने में लगा हुआ है। इस संदर्भ में मैंने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में भी बैठक की है। दिल्ली जल बोर्ड के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत एवं बैठकें की हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र के गीता कालोनी, न्यू लाहोर कालोनी, आराम पार्क, राधे श्याम पार्क, राधेश्याम पार्क विस्तार, खुरेजी, ब्रिज पुरी, बलदेव पार्क, रशीद मार्केट न्यू गोंविंद पुरा, झील, राधेपुरी जगत पुरी, अनार कली, चन्दू पार्क, रामनगर में रहने वाले निवासी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे

अनुरोध है और मैं मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय को एक इमरजैन्सी की तरह से ट्रीट करें। अविलम्ब इस समस्या का निदान करायें और इसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं, उनको सजा दिलवायें और खराब सीवर व्यवस्था से प्रभावित जनता को इसके लिए सरकार की ओर से मुआवजा भी दिलवायें। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि साढ़े 17 साल करीब हम लोगों को हो गये विधायक बने हुए। इससे ज्यादा अपने विधायकीय जीवन में किसी इश्यू पर, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन और टॉर्चर हम लोगों ने सहन नहीं किया, जितना पिछले एक वर्ष में किया है। मेरे पास में साथ ही कांस्टिटयुएन्सी के डॉ. वालिया हैं, वे भी इन सारी चीजों से कुछ कुछ उनके इलाके भी प्रभावित हैं। वे भी शायद मेरी बात को इन्डोर्स करेंगे। इसको किसी राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं उठा रहे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग वास्तव में अगर one has to actually see that to believe जो मैं कह रहा हूं, उसमें कितनी सच्चाई हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी अगर कोई बयान देना चाहें या सदन में कोई आश्वासन देना चाहें तो बहुत खुशी की बात होगी। वे इसके ऊपर ध्यान दें। साढ़े 12 साल से वे दिल्ली जल बोर्ड की स्वयं सुपरविजन कर रही हैं और अगर इतने वर्षों के बाद भी इस तरह की लोगों की तकलीफ है। हम मान सकते हैं कि सीवर सेट इन हो सकता है लेकिन एक प्राब्लम एक साल तक बनी रहे और रिपीटिड परसुअल के बाद दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष, झण्डेवालान में जा-जाकर सीईओ के साथ मीटिंग्स करने के बाद भी सीनियर मोस्ट ऑफीसर के साथ

मीटिंग करने के बाद भी अगर उसका समाधान न हो और लोग इस तरह से टॉर्चर सहन करता रहें तो ये शायद सरकार के लिए भी बहुत लज्जा का विषय है। मंत्री जी अगर कोई एश्योरेन्स दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुभाष सचदेवा जी।

श्री सुभाष सचदेवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली में बढ़ रहे जीवनदायनी यमुना में निरन्तर बढ़ रहे जहरीले पानी तथा अमोनिया का खतरनाक स्तर से अधिक बढ़ जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के पानीपत और बागपत से यमुना में औद्योगिक और घरेलू कचरा छोड़े जाने के कारण यमुना का पॉल्यूशन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। जिसके कारण दिल्लीवासी जल-जनित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यह एक दण्डनीय अपराध है। इस पर अविलम्ब रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार की इस आपराधिक लापरवाही के लिए संविधान की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराये। सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका वजीराबाद और हैदर पुर से होता है। वेस्ट दिल्ली और नार्थ दिल्ली को। ये चार दिन जब प्लाण्ट बंद रहता है, उसके बाद 8 दिन तक इफेक्ट रहता है पानी कन्टेमिनेशन का। सबसे अधिक जो मैंने चिन्ता प्रकट कही है, टेलिविजन के जरिये लोगों को पता लगता है कि

आज प्लांट बंद होगा। एक तो इस सिस्टम को डेवलप करना चाहिए कि जब प्लांट बंद हो, तो लोगों को इन्फार्मेशन चली जाये कि आज पानी नहीं है। जब लोग मोटर्स चलाते हैं, सकिंग होती है उससे और ज्यादा कंटेमिनेशन बढ़ जाता है। इसके बारे में दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार से बड़ा सीरियसली इसे उठाये। अगर हमारे विपक्ष की जरूरत है, आपने कहा कि गृह मंत्री जी इसके अध्यक्ष बनें हैं और इसको उठायेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये इश्यू जो है बड़ा गंभीर है और इससे करोड़ों रु. का नुकसान होता है।.. नहीं मदद करना चाहते हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनते तो आप विपक्ष को ले जाइये। धरना दिलवाइये, बिठाइये कि हरियाणा सरकार पर दबाव पड़े। पिछले कई सालों से 1996 से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है एक हरियाणा पूरा पानी नहीं देता। जो वाटर एकॉर्ड हुआ 1994 में, उसको अभी तक लागू नहीं किया है। और गंदा पानी ऊपर से छोड़ रहा है। ये सारी चीजें हैं इनको किसी एक..आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया इसमें एक पार्टी का सवाल नहीं है, यह पूरी दिल्ली का मसला है। इसलिए इसको सीरियसली लेकर इसको जल्दी से जल्दी हल करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री साहब सिंह चौहान।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अपनी चिन्ता के साथ जोड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, घोण्डा विधान सभा क्षेत्र में सीवर की इतनी भयंकर समस्या है जैसे डॉ.

हर्षवर्द्धन जी ने कहा है, उससे भी ज्यादा घातक स्थिति बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, भजनपुरा, गामड़ी, जय प्रकाश नगर, घोण्डा, एच-ब्लॉक ब्रह्मपुरी, इसी तरह से जगजीत नगर, करतार नगर आदि जगह घरों में सीवर का पानी घुसा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, उस समय जानकारी में लाया गया। सीईओ के साथ मीटिंग की गयी। मैं समझता हूं कि जिस विभाग की स्वयं मुख्यमंत्री चेयरपर्सन हैं, उसके बाद स्थिति और बद से बहतर होती चली जाये, समस्या का निदान न हो। ये चिन्ता का विषय है। She is the head of Delhi Jal Board and I have taken meeting with him, with other officer also. But the condition is worsening day by day. अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यहां उठा रहा हूं, केवल यह नहीं। आज विधान सभा में मेरा प्रश्न लगा था प्रश्न सं. 158 अतारांकित। विभाग ने स्वयं माना। मैंने पूछा कि घोण्डा विधान सभा क्षेत्र में गामड़ी रोड पर चार स्थानों पर एच-ब्लॉक ब्रह्मपुरी में एक स्थान पर, सीवर की पेरिफिरल लाइन टूटी हुई है और जिसके कारण गलियों में और घरों में सीवर का पानी बढ़ रहा है। जब पेरिफिरल लाइन ही टूटी हुई है। उसका जवाब दिया है, जी हां। विभाग खुद मान रहा है। गामड़ी रोड पर और एच-ब्लॉक ब्रह्मपुरी में सीवर लाइन कई जगह से टूटी हुई है। फिर मैंने पूछा है कि क्या यह सत्य है ..अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। इस संबंध में प्रतिदिन मुख्यमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड को शिकायतें भेजी जा रही हैं। डेली फैक्स जा रहा है, डेली शिकायतें जा रही हैं तो

उसमें विभाग कहता है जी हां। सीवर से संबंधित शिकायतें मुख्यमंत्री व मुख्यकार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड को प्राप्त हो रही हैं। यह सब कुछ होने के बाद में डिपार्टमेंट मानता है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, लोग घरों से निकल नहीं सकते। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। वो अपने जूतों को उतारकर और मोजों को उतारकर तब जाकर डिपार्टमेंट के पास बड़ी गाड़ी, उसको सैकिण्ड मशीन नहीं। बड़ी है तो छोटी नहीं है। लेबर पूरी नहीं है। आखिर इस स्थिति में दिल्ली के लोग जी रहे हैं। इतना बुरा क्षेत्र हो रहा है और अध्यक्ष महोदय, सरकार को चिन्ता नहीं है। वहां पर यही स्थिति पानी की है। हमारे क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो सांसद हैं। हमारे क्षेत्र से पानी मुस्तफाबाद को लेकर पानी ले गए। उन्हें लगता था कि शायद यमुना विहार में पानी है और मैंने मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट किया था कि पहले ही वहां पर पानी नहीं है। मेरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। नरेश गौड़ जी का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मतीन अहमद जी का क्षेत्र प्रभावित हुआ है और पानी के लिए परेशानी लेकिन एक और चौथी समस्या कि वहां अड़ियलपन करके वहां के सासंद ने मुस्तफाबाद को कर दिया। पानी नहीं है। आप वहां मुस्तफाबाद में पानी ले जा रहे है। जहां पर पानी हर वक्त बहता है, जहां पर पानी के कनैक्शन ऑथोराइज्ड नहीं हैं और अध्यक्ष जी, सड़कें पर डाइरैक्ट पानी बह रहा है। मुख्यमंत्री जी इस बात की चिन्ता करें। स्वयं डिपार्टमेंट मान रहा है। वे उसकी चेयर पर्सन हैं। डेली हम लोगों के पास कोई न कोई डेपूटेशन आते हैं। आप

भी कम से कम मुख्यमंत्री को कहें कि दो शब्द कम से कम इस बारे में अपनी चिंता से हमारी इस चिंता के साथ जोड़ें। आप क्या कार्रवाई करेंगी। यह काम समयबद्ध होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब यह सदन चल रहा है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या करें। अध्यक्ष जी, कुछ तो कहिए, आप ही मुख्यमंत्री जी से कहिए। शायद आपकी मान लें। She is sitting here. सर, कुछ तो करिए। प्लीज सर। मुख्यमंत्री जी यह एक गंभीर समस्या है। Your department is accepting that this is the situation for the last six months. Peripheral lines are settled but no action has been taken so far. आप कुछ करके, आप कम से कम खड़े होकर कुछ आश्वासन तो दीजिए, कुछ तो करा दीजिए। डेली आपके यहां पर मेरे दो तीन फैक्स जा रहे हैं। यह रिकॉर्ड में है। वही सी.ई.ओ. के यहां पर जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : चौहान साहब बैठिए।

श्री साहब सिंह चौहान : मैं तो बैठ जाऊंगा। लेकिन अध्यक्ष जी, आप मुख्यमंत्री जी को तो खड़ा कर दीजिए, प्लीज। आखिर ये समस्याएं। यह हाऊस चल रहा है। यहां पर भी मुख्यमंत्री जी आश्वासन न दें। किसी अधिकारी के खिलाफ कम से कम कोई जिम्मेदारी मैडम तय कर दें। प्लीज आप इसको लाइटली न लें। आखिर सारा स्टाफ वहां पर होता है या जान बूझकर नहीं कर रहे हैं। छह महीने हो गए हैं। जब Peripheral lines, अध्यक्ष महोदय, जब बड़ी ट्रंक लेने टूट जायेगी। There is no way for the sewer to go upto the sewer pumping station. What to do?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बैठिए। श्री प्रद्युमन राजपूत।

श्री प्रद्युमन राजपूत : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपनी द्वारका विधान सभा क्षेत्र मे पीने के पानी की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, अभी गर्मी सही मायने में शुरु हुई भी नहीं है और मेरे यहां पर पानी की किल्लत शुरु हो गई है। लोग परेशान हैं। पानी आता नहीं है। ट्यूबवैल का पानी वहां पर पीने लायक नहीं है। और न नहाने लायक है। वहां पर टैंकर पहुंचते नहीं हैं। उसके बाद थाना, पुलिस स्टेशन, मारा-पीटी, सिर फूटते हैं। इस तरह के हालात वहां पर हैं और आने वाली गर्मी, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो फिर उस एरिया के अंदर क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सी.टी-2 टैंक में कुल लगभग 4.5 एमजीडी पानी आ रहा है। इसमें से 3 एमजीडी पानी डीडीए फ्लैट्स में और 1 एमजीडी पानी मधुविहार/ मटियाला में जाता है। द्वारका में सी. सी.टी 2 टैंक का निर्माण किया गया था और यह निश्चित किया गया था कि नांगलोई प्लान्ट से सी.टी.-2 के माध्यम से एम.जीडी सी.टी.-1 टैंक को दिया जायेगा। इस सी.टी.-1 टैंक का उद्घाटन लगभग एक वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। किन्तु सी.टी. -1 टैंक को एक एमजीडी पानी अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके कारण बहुत बड़ी आबादी पानी जैसे आवश्यकता इतनी है कि इसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं सारे ये पानी पीने से वंचित है। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों पता चला कि एक एम.जी.डी. पानी जो हमें सी.टी.-1

टैंक को मिलना था, वह दिल्ली के आई.जी.आई. एयरपोर्ट को सप्लाई कर दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सी.टी.-1 टैंक के अंदर समुचित पानी का इंतजाम कराया जाए ताकि वहां की जनता को पानी मिल सके और इस गर्मी के अंदर हाहाकार न मचे।

अध्यक्ष महोदय : श्री रातावाल साहब।

श्री एस.पी. रातावाल : माननीय अध्यक्ष जी, अभी पांच विधायकों समेत सभी सीवर और पानी के ऊपर ही बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पांचवें की बात को समावेश करके कोई वक्तव्य दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और जल बोर्ड की अध्यक्षा का ध्यान दिल्ली में आपूर्ति किए जा रहे दूषित पानी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वितरित पानी के 18 प्रतिशत नमूने दूषित पाये गए हैं। अध्यक्ष जी, यह जल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता को स्वच्छ और योग्य पीने का पानी प्रदान करें, परन्तु टोटल पानी में दूषित पानी मिला हुआ है। ऐसा करके उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जब साधारणतः दुकानदार, व्यवसायी दूषित वस्तुएं बेचता है, उस पर मुकदमा चलाने का प्रावधान है तो जल बोर्ड पर कार्रवाई न करना कानून की नैतिकता की अवहेलना है। काफी समय से विभिन्न क्षेत्रों में शिकायत आ रही है। जल बोर्ड का पानी गन्दा व सीवर का गन्दा पानी मिला होता है। अब नगर निगम

ने पिछले दो महीनों में जल बोर्ड के पानी के लिए गए 620 नमूनों में से 111 को दूषित पाए जाने से दिल्ली की जनता में हाहाकार मच गया है। अध्यक्ष जी, आपके अतिरिक्त बार बार यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और उसके बढ़ने से जल बोर्ड के प्लान बन्द कर दिए जाते हैं जिससे दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल पाता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस संबंध में सदन को स्पष्टीकरण दें और भविष्य के अंदर अमोनिया न बढ़े। उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री तरविन्दर सिंह मारवाह।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जंगपुरा विधान सभा में आज से तीन महीने पहले एक 25 साल पुरानी नूर मोहम्मद मस्जिद शहीद कर दी गई। कुछ शरारती तत्वों ने मिलकर इस मस्जिद को शहीद किया और कुछ लोगों ने किया, इसमें किसकी शरारत थी। कुछ लोग जो दूसरी पार्टी के लोग थे। उनकी शरारत से शहीद हुई और इसमें शोएब इकबाल जी, मतीन अहमद जी और आसिफ जी ने आपके यहां पर जब हजारों लोग इकट्ठे हुए तो वहां पर इन्होंने आकर जो इसमें सहयोग दिया। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मायनरिटी के

लिए जो ठोस कदम उठाया और उन्होंने डी.डी.ए. अधिकारियों को पूरे निर्देश दिए और आज मुझे खुशी है कि अभी सुभाष चोपड़ा जी ने भी इसमें बड़ा सहयोग दिया क्योंकि वे उसमें मेम्बर हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि मायनरिटी के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने एक ठोस कदम उठाया और मैं मुख्यमंत्री जी कहा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे पता लगा कि वहां पर हमें चार सौ मीटर जमीन एलाटमेंट की जा रही है। इसलिए मैं बार-बार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और शोएब इकबाल जी ने भी वहां बड़ी दिलेरी से हमारा साथ दिया। जंगपुरा में जो मस्जिद शहीद हुई और हारून यूसुफ जी ने और हसन अहमद जी ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। मैं सभी मेम्बरों का और खासकर मुख्यमंत्री जी को मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि आपने जो मायनरिटी के लिए किया। उसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : श्री शोएब इकबाल।

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मस्जिद नूर के सिलसिले में मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया है। मैं इसी से मुताल्लिक इत्तिफाक से यही बात रख रहा था वो भाई मारवाह साहब ने उस बात को यहां पर रख दिया। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से मस्जिद नूर को शहीद किया गया और दिल्ली के अमन चैन को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई और डीडीए के माध्यम से

यह सारा काम हुआ और किस तरह से ये ऑर्डर पास हुए, ये किसने करवाए। जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के गजट में और रिकॉर्ड में वो मस्जिद थी और मुझे वहां के लोगों ने भी बताया कि मारवाह साहब उसकी कोशिश में अक्सर लगे रहते थे। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे भाई ने बात की कि दिल्ली सरकार ने वो 400 गज जमीन उसके लिए दे दी है। दे नहीं दी है बल्कि रिकार्ड में है। वो दिल्ली का जो रैवेन्यू रिकार्ड हैं, उसमें मौजूद है। वो मस्जिद एक तारिखे मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है और दिल्ली वक्फ बोर्ड के गजट के अंदर है। दिल्ली सरकार के गजट के अंदर है। जिस तरह का एक माहौल बनाया गया था, वो समझ में नहीं आ रहा था कि दिल्ली सरकार अलग है, केंद्र सरकार का इसमें क्या रोल है। पूरा आठ दिन जिस तरह का माहौल रहा उससे दिल्ली की जनता खासतौर से मुसलमानों में बड़ी बैचेनी पाई गयी। मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बार-बार बात हुई। हम लोग लगे रहे, बल्कि मारवाह साहब के पीछे भी कुछ लोग पड़ गये थे, इनके भी काफी हालात खराब हो गये थे, हमारे भी हो गये थे। एक लाठी इनके पड़ी और एक लाठी हमें पड़ी। हम दूसरी तरफ गिर पड़े, मतीन जी तो बच गये थे लेकिन आप और हम तो गिर पड़े थे। फिर मैंने आपको उठाना चाहा लेकिन आपका वजन काफी था इसलिए उठा नहीं पाया। अध्यक्ष जी, लेकिन पुलिस ने जो रोल अदा किया, मैं समझ सकता हूं कि वो किसके कहने पर किया दिल्ली सरकार को केंद्र की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गयी वो कौन सी लॉबी थी, कौन

सी ताकत थी जो जानबूझकर के पंगा लिया। लेकिन मैं दिल्ली की जनता, दिल्ली के मुसलमानों को वहां के हिंदू सेक्यूलर हमारे भाइयों को जिन्होंने उफ तक नहीं किया और मुझे आज तक याद है, वहां पर जो मंदिर है, मैंने जाकर के देखा वहां के पुजारियों ने सामने जुम्मे की नमाज के लिए वजू करने का पानी दिया, इससे बढ़िया मिसाल और क्या मिलेगी, दिल्ली के अंदर, उन हमारे भाइयों ने जो पानी दिया, मैं वहां पर मौजूद था। ये दोनों एक, हम सब एक, अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकाध आदमी को रहती जिसको कोर्ट ने भी फटकार मारी कि आप जबरजस्ती की बात ले आते हो, मैं उनका नाम कोट नहीं करना चाहता लेकिन इस तरह की बात अपने आप में हो जाना एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आज इतिफ्फाक से आज यह बात उठा ली है। इसमें मुख्य मंत्री जी यहां होती और जवाब दे देती तो बहुत मुनासिब था सरकार की मोहर लग जाती।

अध्यक्ष महोदय, आगे कोई ऐसी घटना न घटे और रिलीजस जो कमेटी है। उसके अंदर कम से कम डीडीए का जो हमारा माइनोरिटी का होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख ईसाई, बौद्ध और दूसरे धर्म के लोग भी होते हैं। दिल्ली के अंदर मंदिर और मस्जिद की जो है संख्या ज्यादा है। उस रिलीजस कमेटी के अंदर एक भी मुसलमान व्यक्ति नहीं था, जो सरकार को इसके बारे में बता सकता था कि सेंटीमेंटस क्या हैं, जगह क्या है। अध्यक्ष जी, साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उसमें तुरंत किसी मुसलमान व्यक्ति को रखा जाये, यह मुख्यमंत्री के

नोटिस में लाना चाहता हूं कि फौरन किसी मुसलमान को उसमें सदस्य बनाया जाये। मस्जिद को तामिर करने के लिए जल्द से जल्द इजाजत दे दें, जिससे हम लोग स्वयं, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान या कोई भी धर्म के लोग अपने तरीके से मनाते हैं, सरकार की ओर से कोई सहायता या मदद नहीं मिलती। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई, इस मस्जिद के ताल्लुक से, इस वक्फ बोर्ड के अंदर कोई चैयरमैन न होना, यदि चैयरमैन होता, सीओ होता तो यह मुसीबत नहीं आती। पिछले दो साल हो गये मतीन साहब जब से हटे हैं, हारुन साहब के बाद, कोई भी नहीं आया है तो यह दिल्ली के अंदर इस सरकार की छवि खराब हो रही है। अध्यक्ष वहां पर जो आम आदमी है, वो जो मर्जी आये उनसे काम करा लीजिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड का इतना बुरा हाल है। इसी तरह दिल्ली हज कमेटी, 2011-12 का शुरू हो चुका है। चार दिन फार्म भरने शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए मैंने इस हाऊस में भी लिख करके दिया है लेकिन पिछले दो तीन साल से इस कमेटी का भी चैयरमैन नहीं बनाया गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी माननीय मंत्री जी के किसी सदस्य को न बनाने के चक्कर में, अफसोस की बात है कि किसी माननीय मंत्री जी के किसी सदस्य का न बनाने के चक्कर में, अफसोस की बात है दिल्ली हज कमेटी का चैयरमैन नहीं बनाया जाता और न ही कल की तारीख चार पांच दिनों के अंदर न कोई अधिकारी न कोई एसडीएम वहां मौजूद

नहीं है। अल्लाह के नाम पर गाड़ी चल रही है। इसी तरह से जो माइनोरिटी कमीशन है, उसका चैयरमैन भी दो तीन साल हो गये कोई नहीं है। सरकार से मुझे समझ नहीं आता वालिया साहब यहां पर बैठे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कि यह मंत्रालय आज आपके पास आ गया है। आप अपनी तरफ से इस पर ध्यान दें, दो तीन साल से दिल्ली वक्फ बोर्ड का चैयरमैन, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, मतीन साहब को चार्ज दे दीजिए, हारुन भाई को दे दीजिए, हज कमेटी का किसी अपने साथियों में से दे दीजिए, माइनोरिटी का किसी को बना दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी ऐसी कमेटी हैं वो ऐसे ही पड़ी हैं। एक कमेटी का नहीं है। इसका बडा ही गलत मैसिज जा रहा है। मैं समझता हूं कि यदि सरकार की नीयत और नीति साफ होगी तो यह काम दोचार दिन में हो जायेगा, नहीं होगी तो सालों नहीं होगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अपने भाई मारवाह साहब का धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से वहां हमारी मदद की हम सब वहां पर मौजूद थे, उसके लिए शुक्रिया, दिल्ली सरकार का शुक्रिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, वो यहां पर होती तो बहुत अच्छा होता, ज्यादा मुनासिब होता। साथ में मेरा निवेदन है कि वालिया साहब मिनिस्टर बने हैं, आपकी देख रेख में दिल्ली वक्फ बोर्ड का चैयरमैन नियुक्त किया जायेगा। हज कमेटी का चैयरमैन जल्दी नियुक्त करवाएंगे। माइनोरिटी का करवाएंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेंद्र कुमार।

श्री सुरेंद्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिल्ली प्रदेश में दलित समाज अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव पूर्ण रवैये की ओर दिलाना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति को प्रतिवर्ष मिलने वाला फंड 1466 करोड़ रुपये है, जिसमें 750 करोड़ रुपये सरकार ने राष्ट्रमंडल के खेलों के आयोजन पर खर्च कर दिया था। मेरा मानना है सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के साथ धोखा किया गया है क्योंकि झुग्गी-झोंपडी में रहने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति समाज के लोगों को अपने जीवन को जीने के लिए सुविधा की जरूरत है न कि राष्ट्रमंडल जैसे खेलों की। इन लोगों की जरूरत पीने का पानी, नाली, खंडजा, की सुविधा कोसों दूर है और दिल्ली सरकार, इनकी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए, जो पैसा मिलता है, उसमें न लगाकर राष्ट्रमंडल जैसे खेलों में लगा रही थी। दिल्ली सरकार कहती है दिल्ली की साफ सुधरी सड़कों पर चलेंगे, नए नए पार्कों में टहलेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए स्कूलों में डेस्क टाट पट्टी अनधिकृत कालोनी में पीने का पानी, आदि सुविधा क्यों नहीं है। एक तरफ दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर पैसा बहाया गया दूसरी तरफ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति समाज के लोगों को नरकीय जीवन जीना पड रहा है। अत: माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन लोगों की मूलभूत सुविधाओं को प्रदान

करें जितनी भी विधान सभा की रिजर्व सीट हैं उन पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति का जो फंड है, उसको खर्च किया जाये, आपने बोलने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : चौ. मतीन अहमद।

चौ. मतीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, अभी तरविंदर सिंह मारवाह ने जो हमारे जंगपुरा से एमएलए हैं, सूचना दी है, उससे माइनोरिटी के लोगों के जो जख्म लगे थे, उन्होंने उस पर मरहम लगाया है, उसके लिए दिल्ली की मुख्य मंत्री, संदीप दीक्षित वहां के एमपी, सुभाष चोपड़ा जी, उन्होंने सबने प्रयास किया है, शोएब भाई भी गये और यह और अच्छा हुआ है कि 100 गज की बजाय 400 मीटर की जगह मस्जिद के लिए अलाट की है। उसके लिए मैं दिल्ली की मुख्य मंत्री, तरविंदर सिंह मारवाह, चोपड़ाजी, भाई शोएब इकबाल, हारून भाई। भावनाएं सब की ठीक। किसी का भी धार्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थल चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो सबकी भावनाएं जुड़ी होती हैं और तरविंदर सिंह मारवाह जी आपने मस्जिद के लिए बहुत मेहनत की है। तीन दिन भूख हड़ताल हमने भी मंदिर के लिए की है। श्याम गिर मंदिर मेरे इलाके में है, हमने उसको बचाने के लिए मेट्रो वाले तोड़ने आए थे। हमने तीन दिन भूख हड़ताल की है और वो मंदिर आज भी है। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर है, हमारा कि आप मस्जिद बचाओं, मैं मंदिर बचाऊंगा, तभी यह देश मजबूत रहेगा। मैं आप सबका इसके लिए धन्यवाद करता हूं। हज कमेटी तो तुरंत बना देनी चाहिए

और वक्फ बोर्ड में भी कोई अच्छा आदमी हो, उसको बना देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष जी, मैं एक बात कह दूं जहां मैं रहता हूं उस गली में एक हिन्दू नहीं है और एक सिक्ख नहीं है। दोनों में एक गुरुद्वारा है, एक मंदिर है। पूरी आपकी दुआ से हम उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। वहां की और जन्माष्टमी से लेकर सारे त्यौहार सिक्खों के जो होते हैं सारे वहां होते हैं। एक सा माहौल बन जाए तो अध्यक्ष महोदय देश का कल्याण हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी विधान सभा करावल नगर के अंतर्गत आने वाले अनधिकृत बस्ती तथा गांव को सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट से पानी दिया जाता है और जिसमें कि यू. जी.आर. बना है और यू.जी.आर. से मेरी विधान सभा के साथ जितनी भी विधान सभा हैं, उन सब विधान सभा क्षेत्रों को पानी दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, जो यू.जी.आर. है, उस यू.जी.आर. से सिंगल पाइप लाइन निकलती है और वो जो सिंगल पाइप लाइन निकलती है, वो आए दिन कहीं न कहीं उसमें लीकेज की एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। अध्यक्ष महोदय, उस समस्या से क्या होता है, जैसे ही वो लीकेज को ठीक करने आते हैं तो पूरे क्षेत्रों का पानी बंद कर दिया जाता है।

में आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि उस यू.जी.आर. से एरिया वाइज लाइनें, यदि डाल दी जाएं तो उससे अन्य लोगों को नुकसान नहीं होगा, उसको सफर नहीं करना पड़ेगा, उनको समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अलग-अलग वालों को बंद कर दिया जाएगा जिस एरिया का पानी खराब होगा या जहां से लीकेज होगी उसको बंद कर दिया जाएगा। बाकी एरिया उसमें सफर न हो इसकी वजह से मैं बार-बार, खैर पीछे आज भी इसी प्रश्न में मैंने कहा था कि मुस्तफाबाद यह सत्यता है कि करावल नगर की जितनी पानी का है, उसको सीधा का सीधा डायवर्ट कर दिया सब और डायवर्ट करने से हमारे भाई यहां पर बैठे थे हसन जी, उस एरिया के अंदर किस प्रकार की वो है कि हमें दिक्कतें आ रही हैं अब। हम यह चाहते हैं कि यदि डबल या ट्रिपल लाइन डाल कर के वो पूरे एरिया का पानी ठीक हो जाएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

अध्यक्ष महोदय : श्री मालाराम गंगवाल।

श्री मालाराम गंगवाल : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं नजफगढ़ ड्रेन के दोनों तरफ एक तो सड़क की मांग करता हूं और दूसरा वहां के सौंदर्यीकरण की बात कर रहा हूं। ककरौला से लेकर के पश्चिम विहार तक और पंजाबी बाग वेस्ट तक यह जो हमारी नजफगढ़ ड्रेन बहती है इसके अंदर बहुत सारा गंद, बहुत सारी गैस निकलती हैं, बहुत बदबू मारती है तो अगर साइड में यहां पर जो

खाली जमीन पड़ी हुई है उसके अंदर अगर सुंदर सी प्लांटेशन लगा दी जाए, खुशबूदार, फलदार और छायादार पेड़ लगा दिए जाए तो शायद यह संभव है कि पर्यावरण की दृष्टि से हम संपन्न हो पाएंगे। अध्यक्ष जी, पशिचम विहार जी.एच.-4 से लेकर के और बी.जी.-6 तक और वेस्ट पंजाबी बाग के क्रिमेशन ग्राउंड तक जो नजफगढ़ के दोनों तरफ से सौंदर्यीकरण अति आवश्यक करना जरूरी है। आजू-बाजू के अंदर कई जगह अच्छी कालोनियां, उसके अंदर डी.डी.ए. द्वारा विकसित कालोनियां, उसके अंदर अनअथोराइज कालोनियां, जेजे कालोनी, साढ़े 12 गज के प्लॉट, पंद्रह गज के प्लाट और झुग्गी क्लस्टर्स आते हैं उन लोगों का रहना, जीवनभर दूभर हो गया है। अब गर्मियों के समय के अंदर जिस तरीके से गैस की बदबू निकलती है। जिस तरीके से वहां पर मच्छर और मक्खियों की भरमार रहती है। आप संबंधित मंत्रालय को यह मेरी अपील, मेरी प्रार्थना को पहुंचा दे कि ड्रेन के साथ में पेड़, घास और खुशबूदार प्लांट्स लगाकर और जो नजफगढ़ ड्रेन की कई सालों से डि-सिल्टिंग नहीं हुई है। सर, उससे क्या है कि उसमें कीज और गीज जमा हो गई है उसके अंदर कई जगह जहां पर वो जो कीज है, ऊपरी सतह पर आ गई है और उसके ऊपर घास और green housing जो है, वे उग आई है। उस पर मच्छरों की ब्रीडिंग होती है और ब्रीडिंग होने के बाद आजू-बाजू के क्षेत्र के अंदर इतना मच्छर फैल जाता है इसलिए मेरी प्रार्थना यह रहेगी कि फ्लड और इरीगेशन डिपार्टमेंट उसकी सफाई करवाये और दोनों तरफ इस तरीके के छायादार, फलदार और खुशबूदार

पेड़ लगायें। इन्हीं शब्दों के साथ कि पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए वहां पर बहुत जरूरी है। ये सब करना। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलवंत राणा।

श्री कुलवंत राणा : अध्यक्ष जी, दिल्ली में ताहिरपुर वाला मामला हुआ, अवैध निर्माण संबंधी विषय मैं रख रहा हूं कि जो लोग मारे गए, उसके बाद हफ्ता दस दिन सरकार एक्टिव रही। ठोस कदम नहीं उठाए गए कि भविष्य में दिल्ली में इस प्रकार के अवैध निर्माण न हो। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में डी.डी.ए. ने दो मंजिल फ्लैट दिए ई.डब्ल्यू.एस के और एल.आई.जी. हाउसिंग। बिल्डिर लोग भी उस पर दो मंजिल वाले को चार मंजिल बना रहे हैं। दो डी.डी.ए. ने दिए, दो उन्होंने बना दिए खुद। वो कब गिर जाए कोई उसका पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, जे.ई. पैसा ले गया, पुलिस वाले पैसे ले गए उसने मकान खरीद लिया और वो कब गिर जाए। मेरे यहां पर तीन घटनाएं ऐसी हुई अध्यक्ष महोदय तीन बार बिल्डिगें गिरी मेरे यहां पर। पूरी रात मैं खड़ा रहा और डिजास्टर मैनेजमेंट की बाबत। दिल्ली सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग इन्होंने बनाई है या नहीं बनाई है। एक जे.सी.बी. मशीन भी मैं लेकर जाता हूं हमेशा जब सैक्टर 23 में मकान गिरा, एक बार मंगोलपुरी में गिरा और अभी छह महीने पहले सैक्टर 6 में गिरा। तीन-चार मंजिला इमारत नीचे आ गई। वहां कोई साधन नहीं था सरकार

के पास, न मशीनरी, जो गवर्नमेंट मशीनरी, किसी के पास जे.सी.बी. तक नहीं थी, अध्यक्ष महोदय। वहां एक फाइव स्टार होटल बन रहा है। मुझे जानकारी मिली वहां जे.सी.बी. मशीन है। मैं वहां आया उन्होंने मना किया। मैं जबर्दस्ती मशीन लेकर गया और वो पांच लोग जिंदा उसमें से निकाले गये अध्यक्ष महोदय। ये रोज हम ड्यूटी देते रहेंगे हम नहीं जाए तो कहेंगे विधायक नहीं आया। कुल मिलाकर अध्यक्ष महोदय कोई जवाबदेही नहीं है। ए.ई., जे.ई. दबाकर लूटिंग इसमें कर रहे हैं और नोटिस भी देते हैं, एक्शन कोई होता नहीं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए वो दबाकर ऐसा खेल हो रहा है। इसमें सजा तय होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय कि जिस भी जे.ई., ए.ई. और पुलिस के एस. एच.ओ. के क्षेत्र में अगर कोई अवैध निर्माण होता है, उसकी नौकरी जाएगी अध्यक्ष महोदय। वो बर्खास्त होगा तो इस प्रकार के कठोर नियम बनायेंगे हम दिल्ली में तब जाकर के अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी अन्यथा अवैध निर्माणों पर रोक लगाना संभव नहीं है। ताहिरपुर जैसी इस प्रकार की जो घटना है, जो पीछे लक्ष्मी नगर के पास हुई ऐसी घटनाएं दिल्ली में रोज होती रहेंगी अध्यक्ष महोदय। इस पर ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को इसमें गंभीर रूप से अवैध निर्माण पर रोक लगाने की चर्चा इसमें लगानी चाहिए, चिंतन करना चाहिए और दिल्ली में भविष्य में अवैध निर्माण न हो, इस पर इस प्रकार का सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : अपराह्न 4.30 बजे तक के लिए जलपान हेतु सदन स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश हेतु अपराह्न 4.30 बजे तक के स्थगित की गई)

सदन पुनः अपराह्न 4.30 बजे समवेत हुआ

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा जी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हरेक पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो प्रदर्शन करे। किसी के खिलाफ प्रदर्शन करे अपना यहां पर विरोध प्रकट करे। परन्तु आज यहां एक ऐसी घटना हुई है जो मैं समझता हूं कि इस सदन के प्रीवलेज का भी सवाल है। हम लोग रोज प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर चंदगी राम अखाड़े के पास, रोज उनको पकड़ लिया जाता है। एक कदम आगे नहीं जाने दिया जाता है। हम लोग जो विधान सभा के सदस्य हैं, वो भी यहां जब प्रदर्शन करते हैं, उनको तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। आपके कमरे के बाहर बैठते ही अरेस्ट कर लेते हैं। परन्तु आज यहां प्रदर्शन किया गया विधान सभा के परिसर के अंदर किया गया और उसमें लगातार नारे लगाये जायें, पुतले जलाये जायें। हमें कोई

आपत्ति हो सकती है, प्रदर्शन करें। परन्तु विधान सभा के अंदर प्रदर्शन करने की यहां पर पिछले दरवाजे और उसके बीच में उनको लाया जाये और ला करके प्रदर्शन कराया जाये तो यह विधान सभा कैसे चल सकती है? कल को हम भी ले आयेंगे पांच सौ आदमी, हजार आदमी। यहां तो 50 आदमी थे, कौन थे, मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता। अधिकार है प्रदर्शन करो, जितना चाहे करो। परन्तु यहां पर इस परिसर के अंदर प्रदर्शन अगर होगा और वहां पर सब किया जायेगा, प्रदर्शन तो सभी पार्टियां कर सकती हैं। हम भी कल पांच सौ नहीं हजार ला सकते हैं, दो हजार ला सकते हैं। वो यहां पर आ जायें फिर क्या स्थिति होगी? कौन सा गेट टूटेगा, क्या होगा। आपके स्टाफ ने, किसी ने उनको रोका नहीं। वहां पर अखाड़े पर तो हमें कहा कि 5 कदम आगे नहीं इसके आगे सब 144 है। जब हम यहां आपके कमरे के बाहर एक आध बार लेकर गये सदस्य हमारे तो हमें दिखा दिया गया कि 144 लगी हुई है और सबको पकड़ लिया जाये। यह अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग है, कुछ खास वीआईपी हैं, कुछ प्रीविलेज्ड लोग हैं, जो अंदर आकर भी प्रदर्शन करेंगे। मैं समझता हूं कि आपको इसका नोटिस लेना चाहिए यह बहुत ही गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. साहब, आपने जो भी ध्यान दिलाया है। मैंने दो-तीन अधिकारी वहां भेजें हैं। वे पूरी रिपोर्ट ले करके आएंगे, जो पुलिस का मुखिया है, उसको भी बुलवाया है और यदि उन्होंने अन्दर आ करके किया है तो बहुत गलत बात है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अब श्री नरेश गौड जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

श्री नरेश गौड़ : आदरणीय अध्यक्ष, यह देश अति प्राचीन मुल्क है। इस देश में राजा अपनी प्रजा के लिए अति उत्तम न्याय व्यवस्था किया करते थे, उन्हीं की भाषा में सहज सुलभ न्याय उपलब्ध हो जाए इसकी चर्चा हमारे इतिहास में बहुत मिलती है। राजा विक्रमादित्य का न्याय, बादशाह जहांगीर का न्याय, बादशाह जहांगीर ने तो अपने घर के बाहर एक घंटा लगवाया हुआ था। जिस किसी गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है वह आ करके घंटा बजाये...**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : गौड साहब, आप पहले अपना संकल्प प्रस्तुत कर दीजिए, जो पेपर में लिखा है, उसको पढ़ दीजिए, उसके बाद बोलिए।

श्री नरेश गौड़ : अध्यक्ष जी, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-272 एवं दीवानी प्रक्रिया की धारा 137 में राज्य सरकार को अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा निर्धारण करने का अधिकार है और प्रावधान किया गया है। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी और उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद यहां के अधीनस्थ न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है जबकि अधीनस्थ न्यायालयों में उस समय के अन्तर्गत...**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : गौड़ साहब पहले आप अपना संकल्प प्रस्तुत कर दें।

श्री नरेश गौड़ : अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं। ''यह सदन संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत सेशन कोर्ट तक सभी न्यायालयों में बयान, बहस तथा फैसला सुनाये जाने जैसे संभी कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में सम्पादित हों।''

अध्यक्ष महोदय : अब आप बोलिए।

श्री नरेश गौड़ : अध्यक्ष जी, मैंने जैसे पहले कहा इस देश न्याय व्यवस्था बड़ी उत्तम थी। बादशाह जहांगीर का न्याय तो बड़ा प्रसिद्ध था। उन्होंने घर के बाहर बड़ा घंटा लगाया हुआ था किसी को यदि न्याय नहीं मिलता था तो वह आकर घंटा बजाता था। बादशाह स्वयं उसकी बात सुना करते थे। महाराजा रणजीत सिंह का न्याय बड़ा प्रसिद्ध था। हमारे देश में उत्तम न्याय व्यवस्था हो यह जनहितकारी राज्य जो होते हैं। जो परोपकारी राज्य और सरकारें होती हैं वह जनता को सहज सुलभ न्याय उपलब्ध कराते हैं। अध्यक्ष जी, यह देश की विडम्बना है कि आजादी के 63-64 साल के बाद भी देश के लोगों को उसकी भाषा में न्याय नहीं मिल रहा। दिल्ली में जो आंकडे हैं 18 परसेंट 20 परसेंट के लगभग लोग अंग्रेजी समझते हैं। 80 परसेंट से ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं जानते, फिर भी देश के न्यायालयों में सारा का सारा अंग्रेजी में हो रहा है। गरीब आदमी मजदूर आदमी जो अनपढ़ आदमी है जिसको अंग्रेजी नहीं आती वह कोर्ट में जाता है। अपनी वकालत के लिए वकील को पैसे देता है और वह वकील का मुंह देखता रहता है

कि मैं जो चाहता हूं वह बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। मैं जो चाहता हूं वह मेरा पक्ष रख रहा है कि नहीं रख रहा। अध्यक्ष जी, कोमा व फुलस्टाप से सारे वाक्य की सेंस बदल जाती है। रोको, मत जाने दो। रोको मत, जाने दो। एक कोमा से सारी भाषा बदल गई। गरीब आदमी जिसको भाषा नहीं आती। सम्पत्ति के इतने बड़े-बड़े विवाद हैं और दूसरे विवाद हैं। आदमी खड़ा-खड़ा देख रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसलिए मैं यह संकल्प पढ़ रहा हूं। हमारी दिल्ली के अंदर जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली की अपनी भाषा नहीं थी। सारा का सारा पंजाब एक्ट लागू होता था। दिल्ली में 1966 के अन्दर हाई कोर्ट बना। उस समय जो हाई कोर्ट का एक्ट बना, मैं एक्ट की भाषा पढ़ करके बताता हूं एक्ट के अन्दर है, हाई कोर्ट एक्ट में लिखा है उसके 5 एनए के अन्दर - There are rules of High Court. English has been declared to be language of the High Court vide Punjab Government Notification No.316 gazetted dated 18th January, 1906. The language of courts subordinare of High Court shall be Hindi in Devnagari. यह एक्ट में लिखा है हिन्दी इन देवनागरी Hindi-Devangari script in Hindi regions and Punjabi in Gurumukhi script in Punjab region. Hindi, Punjabi and Urdu is the language of the Union Territory of Delhi. It is also mentioned that second of Punjabi, Punjabi in Punjab and Hindi in Haryana, Himachal Pradesh, Union Territory Delhi and Chandigarh shall be language of Revenue Courts subordinates of the respective High Courts. In Article 272, there is a clear provision under the Language of the

Courts, the State Government may determine what shall be for the purpose of the Court, the language of each courts within the state order than the High Courts. यह एक्ट में लिखा है।

हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। आजादी के 64 साल के बाद भी लोगों को उनकी भाषा में न्याय नहीं मिल रहा। लोग खड़े खड़े देख रहे हैं, पैसे और समय की बर्बादी हो रही है। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प मूव करता हूं कि यह सदन, पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, दिल्ली के 80 परसेंट लोगों का मामला है जिन्हें सहज सुलभ न्याय मिलना चाहिए और उनकी भाषा में मिलना चाहिए। बंगाल में न्याय मिलता है बंगाली में, पंजाब में मिलता है पंजाबी में, तमिलनाडु में तेलुगु में मिलता है, उड़ीसा के अन्दर उड़ीया में मिलता है, हरियाणा-यूपी में हिन्दी में मिलता है तो दिल्ली में ऐसी कौन सी आफत है कि हम हिन्दी में न्याय नहीं दे सकते। अभी तक तो यह दिक्कत थी कि इसकी अपनी कोई भाषा नहीं थी, अब दिल्ली की अपनी भाषा हिन्दी हो गई है, उर्दू हो गई है, पंजाबी हो गई है, 82 परसेंट आदमी हिन्दी समझता है उसको उसकी भाषा में न्याय मिले यह मैं सदन में संकल्प प्रस्तुत करता हूं और आपसे तथा मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली के लोगों के हित में न्याय के हित में, यह आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बन सकता है, यदि सब लोग एक मत से दिल्ली के हित में इस मेरे संकल्प को पास करें। अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री एच.एस. बल्ली जी।

श्री एस.एच. बल्ली : अध्यक्ष जी, यह देश की बदकिस्मती है। कोई भी देश अपने निशान से, अपनी भाषा से पहचाना जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों, हमारे यहां लम्बी गुलामी से आजादी मिलने के बाद भी हमें अब तंक अपनी भाषा को अपना नहीं पाए। चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे हमारे सत्र न्यायालय हों, सबके अन्दर आज भी वहां के काम अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी के अन्दर होते हैं। मैं समझता हूं कि नरेश गौड जी ने जो यह पहल की यह सदन के अन्दर यह संकल्प लाकर ये बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने यह पहल की है। मुझे याद है कि 2007 के अन्दर जब सुप्रीम कोर्ट के अन्दर मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा था तो मैंने कोर्ट के अन्दर कहा कि मैं अंग्रेजी में बात नहीं करूंगा मुझे बहुत से वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो हिन्दी की तो एप्लीकेशन ही स्वीकार नहीं करती। अगर कोई कागज भी दो तो उसके साथ उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करा के देना पड़ता है। मैंने कहा था कि मैं इस सारी व्यवस्था को तोड़ूंगा।

मैंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी राष्ट्रभाषा में बात करूंगा। मैंने अपने वायदे को पूरा किया। मैं 22 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में बोला अपनी राष्ट्रभाषा में और शायद देश की आजादी के 62 साल में ये पहला केस था। जब कोई व्यक्ति अपने मुकदमे को राष्ट्रभाषा में लड़ा

था। राष्ट्रभाषा में सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था। मुझे सजा हो गयी। मुझे उसकी परवाह नहीं। लड़ाई मेरी कोई पर्सनल, कोई क्रिमिनल केस नहीं था। मैंने सर झुकाया सुप्रीम कोर्ट के आगे मैंने सजा को भुगता। अध्यक्ष महोदय, संसार के अंदर दो पक्षी है, एक तोता और एक कौआ। दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं। तोता, उसे जो भाषा बोलने को कहो, वह भाषा बोलने लगता है। उसे सुबह 'गुड मॉर्निंग' कहो, वह जवाब देता है- 'गुड मॉर्निंग'। उसे कहो 'सतश्री अकाल', वह 'सतश्री अकाल' कहता है। उसे कहो 'राम-राम' बोल तो वह 'राम-राम' बोलने लगता है। लेकिन तोता सदा गुलाम रहता है, पिंजरे के अंदर बंद रहता है। देश के अंदर जितने चिड़िया घर हैं। उनके अंदर बंद आपको तोते मिलते हैं। कौआ आपने कभी किसी पिंजरे के अंदर बंद किसी चिड़ियाघर में नहीं देखा होगा। क्योंकि कौआ कभी अपनी भाषा नहीं छोड़ता, वह कैंकैं करता है, एक ही भाषा है उसकी। कभी उसने अपनी भाषा बदली नहीं। इसलिए वह कभी पिंजरे में बंद नहीं रहता, कभी गुलाम नहीं रहता। उसमें एकता कितनी होती है। आपके तोते को मार दो, सड़क पर फेंक दो। कोई दूसरा तोता कभी उसकी लाश के ऊपर आपने आंसू बहाता नहीं देखा होगा। लेकिन आप एक कौए को मार दो। सारा कौआ जितना शहर के अंदर है, कैं कैं करता हुआ, वहां इकट्ठा हो जाता हैं। अपनी एकता का परिचय देता है। सब उसके ऊपर शोक जताते हैं। सारे इकट्ठे हो जाते हैं और जिस व्यक्ति ने ज्यादती की होती है, सारे कौऐ उससे बदला लेने के लिए उसको ठोंगे मारते हैं। लोग अपना सिर

लुकाते हुए निकलते हैं, निकलने नहीं देते गलियों के अंदर से कौऐ कि इसने हमारे साथी को इसने हमारे भाई को कौऐ को मारा।

ये भाषा एक एकता है। एक धागा है। जो पूरी माला को पिरो कर रखती है। और जिस आदमी ने गुलामी को स्वीकार करना हो गुलामी को इन्वाइट करना हो, वो लोग अपनी भाषा छोड़ देते हैं। दुख है कि हम हिन्दुस्तानी भी वहीं काम कर रहे हैं। अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेजों की दी हुई भाषा में हम अपना सारा काम आज भी कर रहे हैं। ये आजादी अधूरी है। इसको पूर्ण करने के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर न्यायालयों के सभी के सभी काम हमें हिन्दी में करने चाहिए। इसके लिए अगर हमारी आज की ये विधान सभा पहल करती है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम होगा। हम सब बधाई के पात्र होंगे। आने वाला इतिहास आज की इस विधान सभा का शुक्रिया अदा करेगा, शुक्रगुजार रहेगा। मुझे बस इतना ही कहना था। जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद बल्ली जी, शोएब इकबाल जी।

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, अभीं हमारे भाई गौड साहब ने जो हिन्दी से मुत्तालिक अपना जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें कोई शक नहीं अध्यक्ष महोदय, हिन्दी हमारी मादरी जुबान है। हिन्दी और उर्दू भी बनी है तो वह हिन्दी से ही बनी है। कोई बाहर की विदेशी जुबान नहीं। अपने ही देश में अजनबी होकर रह

गयी है। बाहर से विदेशों से लोग आये, मुगल आये, तुगलक आये, सभी ने इस मुल्क की जुबान, अपनी जबान को तर्क किया, इस जुबान को अपनाया। आज अफसोस कि अपने ही वतन में वो वेतन सी होकर रह गयी है। जितने भी सरकारी दफातीन हो, सभी के अंदर इंगलिश का प्रयोग कुछ ज्यादा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप खुद संस्कृत के प्रोफेसर, आप जानते हैं अमीर खुसरो ईरान से आये उन्होंने इस मुल्क की जबान संस्कृत को अपनाया। उनको शेरो-शायरी फारसी और उसके बाद संस्कृत आज भी उनके दोहे देख लीजिए, उनकी अपनी नज्में देख लीजिए। संस्कृत के अंदर, आज दिल्ली के स्कूलों में जो पब्लिक स्कूल हैं, उसमें संस्कृत का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ाई जाती है। हिन्दी है हमारी जुबान अगर जब संस्कृत इतनी कठिन होती है, मुश्किल होती है, वो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बोलते हैं लेकिन उसका प्रयोग आगे नहीं होता। मुझे जिन्दगी भर पता नहीं लगता कि आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं। इतने विद्वान होकर प्रोफेसर हैं आप। लेकिन जिस दिन आपने यहां शपथ ली थी। मैंने देखा कि संस्कृत में आपने शपथ ली। मुझे खुशी हुई। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कृत या हिन्दी के रखवाले हैं। मुझे खुशी हुई इस जगह सदन में आपने संस्कृत में शपथ ली थी। लेकिन मौका मिले तो आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दिया नहीं जाता। कोई यहां पर हिन्दी में शपथ ले रहा था, किसी ने अंग्रेजी में शपथ ली, किसी ने उर्दू में लेकिन आपने संस्कृत में शपथ ली। जबकि आपको हिन्दी भी

आती है आपको संस्कृत भी आती है, इंगलिश भी आती है लेकिन दिल बड़ा है उससे। मेरी वाइफ कान्वेंट से पढ़ी है लेकिन उसको संस्कृत आती है। कभी कोई श्लोक आता है तो वह बताती है, अपने बच्चों को बताती है कि इसका मतलब ये है। लेकिन ये क्या कि पढ़कर वह सिर्फ कागजों में, किताबों में बंद होकर रह जाती है।

अध्यक्ष महोदय, जब किसी न्यायालय में निचली कोर्ट में कोई व्यक्ति जाता है और उसको जब वकील का सामना करना होता है तो उसे पता नहीं होता है कि वकील क्या कर रहा है। अगरचे ये पूरी इजाजत मिल जाये, आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी जगह जाये आदमी इन पर्सन जा सकता है। अगरचे मेरी हंसाई हो, मुझे ये हो कि मैं हिन्दी में बोलूंगा तो अदालत मेरी बात को सुनेगी। तो कोई मना नहीं है। कानून के अंदर इजाजत है कि इन्सान खुद अपना मुकदमा लड़ सकता है। जैसे बल्ली साहब ने कहा। आज जब दुनिया के अंदर अपनी जुबान को फरोग मिल रहा है। चाइना आज पूरी ऊंचाइयों पर है, पूरी बुलंदियों पर है लेकिन उसकी जो जुबान है वह चाइनीज है। इसी तरह से दूसरे मुल्कों में चले जाइये जो विकसित हैं। उनकी अपनी जुबान जो है, वह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वजह है कि जब दिल्ली में हिन्दी और उर्दू ऑफिशियल लेंग्वेज हो गयी जब मान लीजिए कि एक करार दे दी गयी। तो बड़ी बदनसीबी की बात अब हुई है ये। उसके बावजूद इसको फरोग क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या दुश्मनी है? आज उर्दू के शायर, मैं

ये देखा रहा हूं कि वे हिन्दी के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं बाकायदा। हमारी जुबान है ये भी। मिली जुली हमारी गंगा-जमुनी तहजीब है। क्या वजह है कि हम क्यों इसे अपने आप से दूर कर रहे हैं? याद रखिये अध्यक्ष महोदय, कि जिस कौम की जुबान मर जाती है, वह कौम भी मर जाती है। अगरचे हमने अपनी जुबान को मार दिया तो समझ लीजिए कि हमने अपने आपको भी मार दिया। आज इंगलिश के आगे पीछे या सिर्फ इंगलिश ही बोल लेना या उससे कर लेना, उससे कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस मुल्क पर अंग्रेजों ने भी हुकूमत की। अगर कोई बड़े से बड़ा विद्वान मिलेगा, तो आपको संस्कृत का मिलेगा, उर्दू का मिलेगा न कि कोई इंगलिश का विद्वान मिलेगा आपको। मेरी यह विनती है अध्यक्ष महोदय, कि दिल्ली के साथ जो सलूक होता है, वह तो हम समझते हैं कि हम लोग दूसरी चीजों पर निर्भर रहते हैं, कम से कम यह जुबान तो हमें मिल जानी चाहिए। अदालतों के अंदर, जैसे मेरे भाई नरेश गौड जी ने कहा, अदालतों में ही नहीं बल्कि दूसरे सरकारी दफतरों में भी जो हिन्दी का प्रयोग हो, जो आम आदमी, गरीब आदमी जो अनपढ़ आदमी है, वह उससे फायदा उठा सके। सरकार ने अगरचे हिन्दी या उर्दू को अपना ऑफिशियल लेंग्वेज करार दिया है, तो उसके अंदर उसका प्रयोग हो जाये तो बहुत अच्छी बात है आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्याम लाल गर्ग जी, आप बहुत थोड़े शब्दों में बोल दीजिए।

श्री श्याम लाल गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही लोक हितार्थ और आज के युग में अपने देश के लिए आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अनुमति दी है। मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने भाई श्री नरेश गौड का आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय को आज यहां पर लाकर रखा है। जो आजादी के तुरन्त बाद ही इस देश में शुरू होना चाहिए था। जैसे मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया कि हिन्दी केवल इस देश की मातृभाषा ही नहीं है। हिन्दी इस देशवासियों की अंतर-आत्मा है। यहां के हर भारतीय की आत्मा है। उस आत्मा के अंदर हिन्दी का वास होता है और इसलिए आजादी से लेकर आज तक अनेक महानुभावों ने प्रयास किया, लड़ाइयां लड़ी कि हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषा भी बने। मुझे सबसे पहले नाम याद आता है 1967 के अंदर जब एक आन्दोलन चला था। महात्मा गांधी के अनुयायी और कांग्रेस पार्टी के बहुत प्रमुख मेम्बर पार्लियामेंट सेठ गोविन्द दास थे वो मध्य प्रदेश से मेम्बर पार्लियामेंट चुनकर आते थे। मुझे एक बार इसी विषय पर उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। उनके मन के अंदर तड़प थी और वह यह कहते थे कि हिन्दी इस देश की कामकाज की भाषा बने। यह केवल मैं नहीं कहता हूं चूंकि वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उन्होंने मेरे सामने यह बात कही कि महात्मा गांधी जी की यह इच्छा थी कि स्वराज के बाद इस देश के अंदर हिन्दी का बोलबाला

होना चाहिए और आज 1967 की बात है। आजादी के 20 साल बाद भी आज हिन्दी हमें कहीं दिखायी नहीं देती। मुझे मेरा जो अनुभव है, जो मैंने देखा है, मैं वो बताना चाहता हूं। मुझे एक बार सुपर कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए जापान जाने का मौका मिला। दो महीने मैं वहां जापान में रहा और पांच दिन वो ट्रेनिंग करते थे और दो दिन मुझे वो घुमाने के लिए ले जाते थे। उन्होंने पहले दो दिन जो पहले दिन ले गए शनिवार को, बहुत बड़ी बिल्डिग, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिग, ले गए। पूरी की पूरी लाइब्रेरी थी। वहां पर अध्यक्ष महोदय, उनका पूरा मेडिकल, पूरा का पूरा कोई ईंग्लिश में नहीं, किसी और भाषा में नहीं, उन्होंने सारा का सारा उनकी अपनी मातृभाषा में डवलप करके रखा हुआ था। उनकी टोटल इंजीनियरिंग, वो न अंग्रेजी पर डिपेन्ड करते हैं और न किसी और चीज पर इतनी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी सारी की सारी जापान में अपनी मातृभाषा में डवलप करके और वहां पर पूरा लिटरेचर अपनी भाषा में रखा है और बच्चों को वो उससे ही शिक्षा देते हैं। जो मेरी टीचर थीं। उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। उसको हिन्दी नहीं आती थी। उन्होंने अमेरिकन को ट्रांसलेटर के रूप में रखा हुआ था और मैं उससे इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगता है कि यह जीता जागता कंप्यूटर है। मैंने उसको पूछा कि what is your qualification. वे मुझे कह रहे हैं कि what do you mean by qualification. मैंने कहा कि आप कितने दिन स्कूल में गई। हम 14 साल स्कूल में, कालेज में बिताते हैं और उसके

बाद भी बच्चे कई बार वो प्लेस को यह कहते हैं कि कौन सा पैलेस है। प्लेस और पैलेस में फर्क नहीं लगता। अंग्रेजी की शिक्षा का यह एक नतीजा निकलता है और यह कितने दिन कालेज और स्कूल में गई है। मुझे बताया कि she has spent only ten years in hair school और दस साल स्कूल में लगाने के बाद वो कंप्यूटर में इस तरह से ट्रेनिंग दे रही है। मानो वो जीता जागता खुद कंप्यूटर हो। तो उसका कारण जो मैं समझ पाया हूं। वह सिर्फ एक ही है कि पूरी उसकी जो एजूकेशन थी, वो पूरी उसकी मातृभाषा में थी। जापानी में शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा कंप्यूटर उसने पढ़ा। हमारे यहां पर यह व्यवस्था हम आज तक भी नहीं कर पाए। आजादी के 60 साल बाद भी हमारे पास हमारा मेडिकल हमारी मातृभाषा में नहीं है। हमारी इंजीनियरिंग हमारी मातृभाषा में नहीं है। मुझे अफसोस है कि एक समय ऐसा था कि हिन्दी बोलना यह माना जाता था कि यह आदमी अनपढ़ है और अंग्रेजी बोलने वाले को यह समझते थे कि यही आदमी होशियार है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज वक्त बदला है। आज देश ने करवट ली है। आज मेरे भाई ने ठीक कहा कि विद्वान कहीं से निकलते हैं तो वो अंग्रेजी पढ़कर नहीं बल्कि वो हिन्दी पढ़कर और संस्कृत पढ़कर निकलते हैं। आपने भी जो पूरी दुनिया की आदिकॉल की भाषा है, जिसमें से सब भाषाएं निकली हैं वो संस्कृत है। उसमें हमारे चारों वेद उनके ज्ञान को लेने के लिए दुनिया के लोग तरसकते आते हैं। आप जैसे विद्वान व्यक्ति के पास

आकर वे समझते होंगे। शायद इसलिए आपने भी इस सदन की शुरूआत की थी, वो संस्कृत के श्लोकों से सदन को संस्कारित करने का बहुत सराहनीय प्रयास किया था। कई बार मैंने तो जब इसी तरह की सुविधा इस देश में जो देवताओं की बनाई हुई भाषा है। हम उसको परमात्मा की बनाई हुई भाषा मानते हैं। वह भाषा केवल इस देश में उपलब्ध है और उसमें से ही हिन्दी निकलकर आई है। इसका क्या कारण है कि उसको हम आज अपने कामकाज की भाषा नहीं बना सकते। नरेश गौड जी ने केवल न्यायालय की बात की है। मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं इनका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि यह सदन संकल्प ले केवल न्यायालय नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर आम कामकाज की भाषा सभी न्यायालयों में हिन्दी होनी चाहिए, यह हिन्दी होगी, क्योंकि जहां हमारे और प्रान्त हैं। मुझे महाराष्ट्र में जाने का मौका मिला तो वहां मैंने देखा कि इनकी सारी जो भाषा है, वो पूरी की पूरी मराठी में है। उन्होंने कंप्यूटर भी अपनी भाषा में डवलप किया हुआ है। आज हम कोर्ट में खड़े होते हैं और जिसको अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी हमारे यहां ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने के बाद भी कितने परसेंट लोगों को आती है। अध्यक्ष जी, जो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी मुश्किल से दो परसेंट लोग होंगे, जिनको इस देश के अंदर अंग्रेजी आती है। वो भी पूर्ण ज्ञान के रूप में नहीं आती। अधूरी, अधकचरी अंग्रेजी आती है। इसलिए हम यहां

इंजीनियर पैदा नहीं कर पाते। अच्छे डॉक्टर पैदा नहीं कर पाए। अगर अध्यक्ष जी, जापान की तरह ये सब चीजें हमारी भाषा में हो तो मुझे यह भरोसा है कि हमारे देश के नौजवान किसी देश से कम नहीं हैं। आज दुनिया में जहां भी वो गए। वे इस देश का नाम रोशन करके आए हैं। वो इस देश के नाम को चार चांद लगा रहे हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में गए हों। आप मुझे रोक रहे हैं। मैं एक दो उदाहरण देना चाह रहा था। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन बतायेंगे कि मेडिकल की लाइन में हमारे पचास हजार डॉक्टर्स की मीटिंग में ये गए थे जहां इनको चीफ गैस्ट के रूप में बुलाया गया था। किस प्रकार डॉक्टर ने बाहर जाकर इस देश का मां भारती का नाम रोशन किया है। यह संभव है। हम विश्व गुरू के रूप में स्थापित रहे हैं और हम फिर से वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ प्रगतिशील होना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा इसके लिए यही निवेदन है कि राजनीति से ऊपर उठकर, हम देश हित में, जन-हित में विचार करके इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और दिल्ली की जो कामकाज की भाषा है। उसको हिन्दी के रूप में जो प्रस्ताव रखा है, मैं गोस्वामी जी से विशेष अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को पास करवायें और तुरन्त हम हिन्दी को लागू करवायें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आज प्राइवेट मेम्बर्स के तीन संकल्प हैं। समय थोड़ा है। जिसको भी कहा जाए वो मेहरबानी करके दो मिनट में अपनी

बात खत्म कर लें। इस संकल्प पर मैं केवल एक सदस्य को बुलवाऊंगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देंगी। चौधरी भरत सिंह जी।

चौ. भरत सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री नरेश गौड जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है। उसके साथ में मैं अपने शब्द जोड़ता हूं। उनके समथर्न में मैं खड़ा हूं। जो इन्होंने जो सभी ने जो बात रखी उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा उसको बिल्कुल विस्तार से एकरूपी, हमारी दिल्ली में लागू होना चाहिए ज्यादा समय न लेते हुए, आपने जो बोलने का समय दिया, पुनः मैं गौड जी का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मुख्य मंत्री जी, चर्चा का उत्तर देंगी।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, 15 नवम्बर, 2003 को एक डिस्ट्रीक सेशन जज की तरफ से एक आर्डर निकला, एक सर्कूलर के माध्यम से जिसमें यह कहा गया कि जो नोटिस, सम्मन और वारंट होंगे, वो हिन्दी भाषा में होंगे। दूसरा यह कहा गया कि maintenance of official register, prescribed forms जो हैं, उसमें भी हिन्दी का ट्रांसलेशन और कॉलम हैडिंगस किये जाएंगे। तीसरा यह कहा गया कि रिकार्डिंग एवीडेंस का जो होता है, विटनेसिस का, स्टेटमेंट पार्टी का, वो भी हिन्दी में रिकार्ड किये जाते हैं। यह परंपरा चली आयी है कि दोनों भाषाओं, हिन्दी और अंग्रेजी को इस्तेमाल किया जाये सेशन जारी कोर्टस में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह परंपरा चली आई है और जिस

परंपरा को हमारे संविधान ने भी स्वीकारा है कि वहां अंग्रेजी में ही किया जाता है क्योंकि देश भर के लोग वहां पर आते हैं तो एक कॉमन भाषा कर दी गयी है। यह सत्य है हिन्दी हमारी मातृभाषा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे सदस्यों ने हिन्दी के बारे में बात की और उसका समर्थन किया, लेकिन मैं जो मैंने आपको परिभाषा दी है और मैंने आपको बताया है कि क्या परंपरा चलती आई है सेशन कोर्टस में। इतना कहना चाहूंगी कि हिन्दी में करने से समय लग सकता है क्योंकि जिस तरीके से ऑफिसर्स की जरूरत होती है, अनुवादकों की जरूरत होती है, टाइपिस्ट की होती है, वो भी अभी तक पूरा नहीं है। इसलिए, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और यह कोई गैर संवैधानिक बात नहीं है, और न ही कोई ऐसी है जो हमारी परंपरा के विरूद्ध हो। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं यही निवेदन करूंगी कि कृपया इस रेज्योलूशन को विद्ड्रा कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : गौड जी।

श्री नरेश गौड़ : अध्यक्ष जी, जो हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सेशन कोर्ट का निर्णय आया है। किंतु प्रचलन क्या है। हिन्दी के स्टेनो, हिन्दी के टाइपिस्ट नहीं हैं। सारे बयान, सारी स्टेटमेंट, सब कुछ अंग्रेजी में होती है। कोई भी रिकार्ड में हिन्दी में बयान देना नहीं चाहता क्योंकि कोई रिकार्ड करने वाला नहीं है। यह जानकारी मेरे सारे मित्रों को होगी कि दिल्ली के सारे कोर्टस का पैसा दिल्ली सरकार

देती है, जजों की तनख्वाह, टाइपिस्टों की तनख्वाह, कम्प्यूटर वालों की तनख्वाह दिल्ली सरकार से जाती है। कितना बड़ा खर्चा होने वाला है, हिन्दी के स्टेनो रखने हैं, टाइपिस्ट रखने हैं, 82-85 परसेंट लोगों को न्याय मिलेगा, जिनको यह ही नहीं पता कि मुझे जस्टिम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं इसको विद्ड्रा नहीं करूंगा। मैं आपसे एक बार प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिल्ली के हित में, दिल्ली की जनता के हित में, न्याय के हित में, मुख्य मंत्री जी आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बनाइये, ये मेरा और आपका प्रश्न नहीं है, यह मेरा पक्ष का और विपक्ष का प्रश्न नहीं है, दिल्ली के लोगों का प्रश्न है, इस संकल्प को आप पारित करें, मेरी यह प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय : अब गौड़ साहब से मुख्य मंत्री जी ने इसको विद्ड्रा करने की रिकवेस्ट की, आपने मना कर दिया। अब मैं इसको वोटिंग के लिए इसको रख रहा हूं।

अब यह संकल्प सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के ना कहने पर)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता

यह प्रस्ताव गिर गया।

अब श्री बलराम तंवर अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री बलराम तंवर : अध्यक्ष जी, यह सदन यह संकल्प करता है कि गांवों की बढ़ी हुई आबादी को नियमित किया जाये उसमें सभी नागरिक सुविधाएं दी जाएं। यह संकल्प भी करता है कि जिन किसानों ने खेतों में घर बनाएं हैं, उनको नियमित किया जाये और उनको भी सभी नागरिक सुविधाएं दी जाएं। दिल्ली के गांवों का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यह दिल्ली गांवों की नगरी रही है और आज भी है। दिल्ली के गांवों में पिछले दस-बारह सालों से बहुत अच्छा डवलमेंट के काम हुए हैं। दिल्ली के गांवों में बहुत अच्छी चौपालें बनी हैं, दिल्ली के गांवों के तालाबों का अच्छा सौन्दर्यीकरण हुआ है, अच्छे रोड्स बने हैं। सरकार ने जो दिल्ली के गांव थे, उनको संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली की गांवों की जो बढ़ी हुई आबादी है जो डवलमेंट से वंचित है, उनको भी विकास से जोड़ा जाये। दिल्ली के गांवों में अगर हम लाल डोरा की बात करते हैं तो 1908 में लाल डोरा बना, उसके बाद कुछ गांवों में चकबंदियां हुईं, जिसकी वजह से कुछ लाल डोरा बढ़ाया गया। बहुत से ऐसे गांव हैं, जिनमें चकबंदियां नहीं हुई, और वहां का लाल डोरा भी नहीं बढ़ाया गया लेकिन गांव की आबादी भी बढ़ती रही और जो गांवों के लोग हैं, उन्होंने अपने खेतों को अपना घर बनाना शुरू किया। 1908 में आप देखिये कि गांवों की कितनी आबादी होगी और आज अगर हिसाब लगाइये तो आबादी बहुत बढ़ी हो गई है। यह

जो गांवों की आबादी को नियमित करने की बात विधान सभा में कर रहा हूं यह वो आबादी है जो 100 साल से बसी हुई है। यह कोई नई आबादी नहीं है। यह उन लोगों की है जो लोग गांवों के हैं अनपढ़ हैं और वो अपनी जमीन में बसकर यह सोचते हैं कि हमारी जमीन है। हमने अपना घर बना लिया तो हमारा सब कुछ पक्का है। अभी सरकार ने पीछे कुछ कालोनियों के नक्शे भी मांगे थे, गांवों की बढ़ी हुई आबादी के भी नक्शे मांगे गए थे। उसमें भी दिल्ली के बहुत गांव ऐसे हैं जिन्होंने कोई नक्शा जमा नहीं किया। वहां न कोई RWA है, न उन लोगों को इतनी जागरूकता है, वो तो यह सोचते हैं कि जब हम 100-200 साल से हम बसते हैं तो यह सब हमारा मंजूर है, हमारे गांव मंजूर है। यह उस आबादी की बात की जा रही हैं नियमित करने की, आज दिल्ली के गांवों में अगर हम उनके बारे में सोचें दिल्ली में पहले पंचायतें होती थीं बहुत दिल्ली के गांवों का काम उन पंचायतों से होता था लेकिन आज वो पंचायतें भी दिल्ली में नहीं हैं। नगर निगम का ऐसा भेदपूर्ण गांवों के साथ है कि गांवों में कोई ज्यादा सफाई के इंतजाम भी नहीं है। गंदे पानी की निकासी का प्रोपरी तरीके से साधन नहीं है, उन चीजों से भी गांव वंचित है। ग्राम सभा की जमीनों पर भी बहुत लोगों के घर बने हुए हैं ग्रामों में, यह ग्राम सभा जमीन कोई बहुत ऊपर से नहीं आई है। जिन किसानों पर अपनी जमीन का लगान भरने के लिए कभी पैसे नहीं होते थे, उन जमीनों को उन्हीं किसानों की

जमीन को ग्राम सभा की जमीन में कंवर्ट कर दिया गया। फिर एक नया दफा 81 ऐसी बनाई गई। जिन किसानों ने जमीनों पर अपने घर बनाये उनको दफा 81 लगाकर उसको ग्राम सभा में vest कर दिया गया तो यह ग्राम सभा जमीन कहीं कोई बाहर से नहीं आई है। उसी किसान की जमीन है जिसमें वो बसता है। बहुत गांव ऐसे हैं जो ग्राम सभा की जमीन पर बसे हुए हैं और हमारे खासकर हमारे क्षेत्र के साथ एक नई समस्या खड़ी हुई कि 1996 में या 1995 में दिल्ली की कुछ जमीन को रिज में किया गया, फोरेस्ट लैंड में तब्दील किया गया। उसमें लोगों के साथ बड़ी बदनसीबी हुई है। वो यह है कि वो मौके पर यह नहीं देखा गया कि यह जमीन रिज बन सकती है या नहीं बन सकती है। उस टाइम की जो सरकार है, उसने ऐसे अंधे तरीके से काम किया कि जहां लोग बस रहे हैं उसको भी रिज कर दिया, जहां कालोनियां बस रही हैं, उसको भी रिज कर दिया, जहां स्कूल है उसको रिज कर दिया, जहां रोड्स है उसको रिज कर दिया गया, जहां मंदिर हैं उसको रिज कर दिया गया। अगर उस टाइम उसको वो practical देख कर करते तो आज यह समस्या खड़ी नहीं होती। आज लोग कहते हैं कि कुछ लोग रिज में बसे हुए हैं, उन लोगों की अध्यक्ष जी कोई गलती नहीं है, लोग पहले बसे हैं रिज बाद में हुआ है। उसको भी वो लोग भुगत रहे हैं। दिल्ली में गांवों में हाउस टैक्स की बात आती है, दिल्ली के गांवों पर हाउस टैक्स माफ था, लेकिन नगर निगम आज भी नोटिस भेजती है,

गांवों में हाउस टैक्स मांगती है। सुविधा नाम की उन गांवों में कोई चीज ही नहीं है, एम.सी.डी. ने कोई ऐसा काम नहीं कर रखा।

...अंतरबाधा...

अध्यक्ष महोदय : तंवर साहब, आपका संकल्प हो गया है, उससे बाहर मत जाइये। समाप्त कर लीजिए।

श्री बलराम तंवर : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने ग्रामीण विकास बोर्ड बनाया, गांवों में विकास किया, उसी नजरिये से मेरी प्रार्थना है कि जो गांवों की बढ़ी हुई आबादी है और जो किसान अपने खेतों पर बसे हुए हैं उनका पूरा रेवेन्यू रिकार्ड से रिकार्ड से मंगाया जाए, हवाई सर्वे दिल्ली में है, हवाई सर्वे से उनके घर देखे जाए कि वो कब के बने हुए हैं और जो पुरानी आबादी है वो गांव में हो या उसके खेत में हो उसको नियमित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री रामसिंह नेताजी।

श्री रामसिंह नेताजी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य बलराम जी ने जो संकल्प रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह बिल्कुल ठीक बात है। बलराम जी ने ठीक कहा कि जो गांव में बढ़ी हुई आबादी है। गांव के लोगों को पता नहीं होता उसके बारे में कि सरकार की क्या पॉलिसी है और वो लोग वंचित रह जाते

हैं। मेरा कहना यह है कि आज गांव जो है, सबसे पहले दिल्ली थी उसके बाद ही अनअथोराइज कालोनियां बसी हैं, दिल्ली बसी हैं तो गांवों का जो अस्तित्व है वो भी आज लोग सब परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस तरह सरकार ने अनअथोराइज कालोनियों को पास किया है, इसी तरह से गांव की बढ़ी हुई आबादी को जो गांव के साथ लगती हुई आबादी है उसको पास करे और उसमें जो नागरिक सुविधाएं हैं, गांव के लोगों को उनको मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने दिल्ली में बहुत काम किए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सच्चाई है परंतु आज जो दिक्कत खड़ी हो रही है वो जो गांव में लाल डोरे में कोई अपने घर की मरम्मत करे, किसी का बाथरूम टूट गया, उसको मरम्मत करे, अनअथोराइज कालोनी में कोई रिपेयर करे, क्योंकि बरसात हुई है तो मकान की कोई टूट-फूट तो होगी उसमें अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि पुलिस जाकर उस काम को रोकती है तो पुलिस का क्या दायित्व है पुलिस का काम है वो कानून व्यवस्था को रखे परंतु आज सब गांव के लोग दु:खी है, सच्चाई यह है। बहुत से भाई जो ग्राम से नहीं आते उनको नहीं पता पर गांव में आज जो सबसे बड़ी समस्या हैं वो पुलिस की है। पुलिस जान-बूझकर किसी को मरम्मत नहीं करने दे रही। अगर मरम्मत नहीं होगी तो मकान गिर जाएंगे, फिर दुर्घटना हो

जाएगी तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह आदेश करायें कि कोई पुलिस का इंटरफेयर अगर कोई नई कालोनी काट रहा है, नया मकान बना रहा है तो सरकार उसको रोके परंतु कोई मरम्मत कर रहा हो उसको सरकार ध्यान रखे, यही मेरा कहना है। आपने मुझे मौका दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : नंद किशोर जी।

श्री नंद किशोर : आदरणीय अध्यक्ष जी, बलराम तंवर जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प जो गांवों की बढ़ी हुई आबादी को नियमित करने के लिए लाया गया है, इसके फेवर में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बलराम जी के द्वारा यह संकल्प बहुत ही अच्छा संकल्प है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि 1908 में गांव का लाल डोरा बढ़ा था, उस टाइम गांव की आबादी बहुत ही कम थी और 1908 के बाद 2011 लग गया करीब सवा सौ साल हो गए, जब चार भाई थे आज वो भाई 16 हो गए, बहुत आबादी बढ़ गई और लोगों की मजबूरी थी कि उन्होंने अपने जो गांव के आस-पास जो उनके खेत थे, उनमें अपने मकान बनाये जो गांव की ग्राम सभा की जमीन थी जो गांव का ही एक हिस्सा था उसमें अपने मकान बनाये। परंतु आज तक उनमें नागरिक सुविधाएं लोगों को नहीं मिलीं। आज गांवों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत काम हुए, सीवर की लाइन डली, पानी की लाइन डली, रोड भी बने,

नालियां भी बनीं, बहुत अच्छे काम हमारी दिल्ली सरकार कर रही हैं पर जो लोग उस लाल डोरे के बाहर रहते हैं वो आज इस जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को इसको ध्यान में रखते हुए इस संकल्प को पास करना चाहिए जब हमारी सरकार दिल्ली में 1639 जो अनअथोराइज कालोनियों को पूरी मूलभूत सुविधाएं हमारी सरकार ने दी हैं। दिल्ली तो गांव के लोगों की जमीन पर बसी है। ये यहीं के बाशिंदे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संकल्प को पास किया जाए, यही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री सतप्रकाश राणा।

श्री सतप्रकाश राणा : अध्यक्ष जी, मैं श्री बलराम तंवर जी द्वारा रखे गए संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, पिछले बारह सालों में दिल्ली के एक भी गांव का लाल डोरा नहीं बढ़ा है। जो आखिरी लाल डोरा बढ़ाने के आदेश हुए थे वो 1996, 1997 में हुए थे और जैसे बलराम जी ने बताया कि बहुत से गांव तो ऐसे हैं कि 1908 के बाद से आज तक उनका लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया है। अध्यक्ष जी, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1981 के तहत् जो लोग इस लाल डोरे के बाहर घर बना लेते हैं उनके घर ग्राम सभा में vest कर दिए जाते हैं, अध्यक्ष जी, और आज दिल्ली में हजारों लोगों पर 81 की धारा के केस चल रहे हैं एस.डी.एम. कार्यालयों में। लोग बुरी तरह

परेशान हैं, पीड़ित हैं, लाखों लोग वकीलों को फीस दे चुके हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा अध्यक्ष जी, उनकी अपनी जमीन है, अपनी जमीन पर अपना घर बनाया है, पिछले दिनों सरकार ने कुछ जगहों पर बढ़ी हुई आबादी को नियमित करने का एक प्रकल्प चलाया था, जिन गांवों में बहुत बड़ी संख्या में बाहर के लोग रहते थे। उन सारे लोगों ने उन बढ़ी हुई आबादियों के नक्शे जमा करवा दिये। वो आज उन 1639 कालोनियों के नक्शे का हिस्सा बन गया। लेकिन जो मूल रूप से गांव के लोग थे उन गांव के लोगों ने उसका फिक्र नहीं किया। मैं अगर अपने खेत में घर बना कर रह रहा हूं तो मुझे क्या नक्शा पास करना है, इस भावना के साथ वो लोग इस बात को नहीं समझ पाये। मैं आपके माध्यम से इस संकल्प का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि दिल्ली के इन ग्रामीण लोगों को एक मौका और दिया जाये। दिल्ली सरकार इन बढ़ी हुई आबादियों के एक बार फिर नक्शे जमा करवाये और इन गांव के लोग दोबारा से जो जो आबादी बढ़ी हुई है उसको बढ़ी आबादी मान कर उसको नियमित करें और या लाल डोरा बढ़ाने का आदेश हो और उन सारे घरों को लाल डोरे में सम्मिलित किया जाये।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र कुमार।

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, श्री बलराम तंवर जी जो यह संकल्प ले करके आये हैं कि गांव की बढ़ी हुई आबादी को नियमित किया जाये और उनमें सभी नागरिक सुविधायें दी जायें जिन किसानों ने खेतों में घर बनाये हैं उनको नियमित किया जाये और वहां सभी नागरिक सुविधाएं दी जायें।

अध्यक्ष जी, हम गांव के रहने वाले हैं: हमें गांव के बारे में पता है कि जो किसान आज से सौ साल पहले जिसने अपना मकान गांव के बाहर लिया। उसने जमीन खरीद कर नहीं बनाया। उसके बाप दादा की जमीन थी। उसने अपनी जमीन में अपना मकान बना लिया। मगर अध्यक्ष जी, बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहां पर चकबंदी नहीं हुई। उन लोगों ने अपना मकान बना लिया। उसके साथ कालोनी कट गई। सरकार ने कहा कि कालोनी के नक्शे जमा करा दो। जहां आरडब्लयूए बनी हुई थी, उन लोगों ने अपने नक्शे जमा करा दिये। अध्यक्ष जी, नक्शे जमा कराने के बाद आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कालोनी और गांव के बीच में मकान बने हुए हैं जो सौ साल पहले मकान बने थे, न उनके नक्शे जमा हुए और न उन लोगों को इस चीज का ज्ञान था। सारे गांव के लोग अपने मन में यह बात बनाये बैठे थे कि मेरे बाप दादा की जमीन है इसमें हमें नक्शे की क्या जरूरत पड़ेगी। आज हालात ये पैदा हो गये कि एक साईड में अनोथराईज्ड कालोनी में विकास कार्य हो रहे हैं। लाल डोरे में काम चल रहे हैं लेकिन जो बीच

में मकान बने हुए थे, उनमें कोई सुविधा नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज वे लोग डरे हुए हैं। क्योंकि आज न तो उनमें सरकार कोई विकास कार्य करा पा रही है। वे न तो अनोथराईज्ड कालोनी में गिने जाते हैं और न वो लाल डोरे में गिने जाते हैं। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि इनको नियमित किया जाये और बलराम तंवर जी जो संकल्प ले कर आये हैं, इसको पास किया जाये। क्योंकि बहुत सारे विधायक साथी जो गांव के रहने वाले हैं, यहां बैठे हैं। वो भली प्रकार से गांव के बारे में जानते हैं कि बहुत इस बात की बहुत ज्यादा परेशानी है। दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो गांव के निवासी हैं। उन लोगों ने कोई कालोनी नहीं काटी। अपने खेत में मकान बनाया है। इसलिए उनकी मांग जायज है। अध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इसको पास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, समय का बड़ा अभाव है और बोलने वाले अभी काफी हैं। चंदेला साहब, मनोज कुमार जी, बिधूड़ी साहब, जसवंत राणा जी। मैं इनको बोलने के लिए समय नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहता हूं। अब राजस्व मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

राजस्व मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, बलराम तंवर जी ने जो प्रस्ताव रखा और उसके समर्थन में रामसिंह नेता जी, नंद किशोर जी, भाई सुरेन्द्र जी और हमारे कई साथी अपना विचार रखना चाहते थे। यह

बात सही है कि दिल्ली के अंदर अनोथराईज्ड कालोनियों के रेगूलराईजेशन का प्रोसेस काफी लम्बे समय से चल रहा है और उसके बाद हम लोगों ने यह डिसीजन लिया कि जो एक्सटेंडिड लाल डोरा है, उसके अंदर बसी हुई कालोनीज को भी रेगूलराईज्ड किया जाये। उनकी एप्लीकेशन भी इनवाईट की गई। कोई 146 कालोनीज ने एप्लाई किया। लाल डोरे की बात हो गई, एक्टेंडिड लाल डोरे की बात हो गई। एग्रीकल्चर लैंड में भी जो कालोनीज बसी हुई थी, उनकी बात हो गई। परन्तु कुछ ऐसे मकान थे जिन्होंने इंडीव्यूजली 5 या 10 मकान बने हुए, उन लोगों ने रेगूलराईजेशन प्रोसेस के लिए एप्लाई नहीं किया। इसके अंदर एक बड़ी गंभीर समस्या है जो आप लोगों ने रखी है। यह प्रोसेस हमारा चल रहा है। ऑनरेबल एलजी साहब ने भी कुछ गाईड लाईन दी थी। तजेन्द्र खन्ना कमेटी जो बनी थी उसके बेसिज पर भी कुछ सर्वे चल रहे हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि एक हाई लेवल कमेटी बना दी जाये जो इसको टोटली स्टडी करे और अपनी रिपोर्ट दे जिससे हम लोग आगे उचित कार्रवाई कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और यूडी इन तीन डिपार्टमेंट की कमेटी हम बना देंगे और इसके बारे में जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लेकर...**व्यवधान**

श्री अ. दयानंद चंदीला अ. : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो जमीन चंकबंदी के दौरान आबादी के

लिए लोगों की दुगनी जमीन दे कर कटी। वो भी 1980 में ग्राम सभा में वेस्ट कर दी गई। वो तो बहुत ही बड़ा जुल्म है। खुद मेरा अपना खसरा 48 है, जो ख्याला गांव में आबादी के लिए जमीन कटी, एग्रीकल्चर लैंड से वो भी ग्राम सभा में वेस्ट है। इस विषय को भी इसके साथ जोड़ दिया जाये।

राजस्व मंत्री : चंदीला जी, मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा। आप यह जानते हैं कि मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से पूरी दिल्ली अर्बनाईज्ड हो गयी और अब हमें यह देखना है कि चकबंदी के अंदर टाईम बहुत लगता है और यह आप सब जानते हैं कि जो भी चकबंदी का प्रोसेस शुरू हुआ उसके अंदर बहुत ही कम गांवों में चकबंदी हो पाई। झगड़े बहुत हुए और उसमें कोर्ट कचहरी बहुत चली। यह हाई लेवल कमेटी हमें रिपोर्ट दे दे और उसके बेसिज पर हम आगे डिसीजन ले सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं बलराम तंवर जी से यह रिकवेस्ट करूंगा कि फिलहाल आप इसको विड्रा कर लें। जैसे ही कार्रवाई होगी, इसको देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : तंवर साहब, बोलिये।

श्री बलराम तंवर : अध्यक्ष जी, सरकार ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जायेगी जिससे पूरी दिल्ली के लोगों का भला हो सके, इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

श्री बलराम तंवर : अध्यक्ष महोदय, कमेटी कब तक बन जायेगी और इसमें विधायक भी रखे जायें जो देहात से हों।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। सुरेन्द्र कुमार जी, आप बोलिए।

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, मेरी एक प्रार्थना है। जो यह कमेटी बनाई जाये इसमें विधायक को इनवाल्व जरूर किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : बलराम तंवर साहब, क्या आपने प्रस्ताव वापिस ले लिया है?

श्री बलराम तंवर : अध्यक्ष जी, जो सरकार ने विश्वास दिलाया है, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं। हमारी मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि थोड़ा इसका टाईम जरूर बता दें और दिल्ली देहात के विधायक इसमें जरूर लिये जायें।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : देखिए, प्रस्तावक ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है, लेकिन वापिस करने पर भी वोटिंग होगी, इसलिए इस प्रस्ताव के वापिस करने पर-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव वापिस हुआ।...व्यवधान

अब श्री साहब सिंह चौहान अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, संकल्प प्रस्तुत है। ''यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली की सभी अनधिकृत बस्तियों को 'जहां हैं जैसी हैं' तथा पूर्व में हुई नियमन के अनुसार ही नियमित किया जाये तथा वहां नारकीय जीवन से निजात दिलाने के लिए सभी विकास की सुविधाओं के लिए धनराशि मुहैया कराई जाए।''

अध्यक्ष महोदय, श्री बलराम तंवर जी ने अभी जो संकल्प गिराया है यदि इस संकल्प को भी पढ़ लिया जाए तो मैं समझता हूं कि 90 प्रतिशत मंत्री जी उस मामले में सही कह रहे थे वह सारा अनॉथराइज कालोनी के अंतर्गत ही आता है। यह भी एक तरह से अनॉथराइज कालोनी का ही एक पार्ट है। जो 1639 अनॉथराइज कालोनियों की लिस्ट है, एक्सटेंडिड लालडोरे की बहुत सारी कालोनियां उसमें हैं वे ईएलडी के नाम से हैं। इसी तरह से जो खेतों में आबादी बस गई है, वह भी अनॉथराइज कालोनियां और पुराने गांव कुछ हो सकते हैं जैसे सुरेन्द्र जी ने कहा पुराने गांव तो ये इसी का हिस्सा हैं। परन्तु मुझे दुख

हो रहा है अनॉथराइज कालोनियों को यह सरकार नियमित करना नहीं चाहती। उस संकल्प को वापस लिया गया, यह भूल गए कि यह अनॉथराइज कालोनियों को पास नहीं करना चाहते उसमें यह ध्वनित होता है। इसके लिए सरकार की नीयत बहुत साफ है। जो कि पहली बार नहीं, 12 साल हो गये जिस तथाकथित गांवों का ईएलडी और गांव की बसी हुई आबादी का किया है और जो बाकी 1639 कालोनियां हैं, इन अनॉथराइज कालोनियों की जनसंख्या की गणना कर ली जाए तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की एक तिहाई आबादी नरक की जिन्दगी जी रही है।

अध्यक्ष महोदय, जहां पीने के लिए पानी नहीं है, सीवर नहीं हैं, पानी की निकासी नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, कोई सुविधा नहीं है। एक तिहाई आबादी। लज्जा की बात यह है कि यह सरकार डींग मार रही है कि यह विश्वस्तर की नगरी है। अध्यक्ष महोदय, इसे विश्व स्तर की नगरी कहा जा रहा है क्या यही कांग्रेस की विश्व स्तर की नगरी है? अनॉथराइज कालोनियों के नियमन के नाम पर कांग्रेस ने सदैव राजनैतिक रोटियां सेकी हैं। यानी 12 साल गुजर जाने के बाद केवल और केवल ड्रामेबाजी की। ये कांग्रेस की कुनीतियां और कांग्रेस के कुशासन के कारण ही लोग रहने के लिए बाध्य हुए कि आखिर कोई मकान तो चाहिए रहने के लिए, काश ग्रुप हाससिंग सोसायटीज को प्रोमोट किया गया होता, डीडीए और

दूसरे निकायों ने जिम्मेदारी निभायी होती और लोगों के लिए मकान मिल जाते तो लोग इन अनॉथराइज कालोनियों के निर्माण के लिए कभी भी बाध्य नहीं होते। लेकिन कांग्रेस की कुनीतियां, कांग्रेस का कुशासन, इनके शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार इन सबके लिए ये जिम्मेदार हैं और उसके बाद यदि कालोनी आ गई। जब से देश आजाद हुआ है आज तक एक भी कालोनी कांग्रेस के शासन में नियमित नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ओ.पी. बब्बर जी ने लगाया था 11 दिसम्बर, 2009 को और अतारांकित प्रश्न नं. 134, 1967 से 1983 के बीच में कितनी कालोनियां नियमित हुई। 1977 में लगभग 577 अनॉथराइज कालोनियों को नियमित किया गया और 1977 में जनता पार्टी शासन में थी। विधान सभा के पटल पर 11 दिसम्बर 2009 को ओ.पी. बब्बर जी के प्रश्न नं. 134 के संदर्भ में उत्तर दिया कि एक भी कालोनी पास नहीं की और उसके बाद भी नहीं। कांग्रेस यहां सत्ता और केन्द्र में सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 1993 से 1998 के बीच रही, 1071 कालोनियों को पहली बार सूचीबद्ध करके सदन के पटल पर रखा गया कि इन कालोनियों को नियमित किया जाए और केन्द्र सरकार में भेज दिया। लज्जा की बात है कि कांग्रेस ने फिर वही राजनैतिक रोटियां सेकीं। केन्द्र में वह सरकार थी कुछ नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज श्री साहिब सिंह वर्मा हमारे बीच में नहीं हैं। मुझे 17 अगस्त 1998 का दिन याद आता है। उस समय वे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे

और वे स्वयं जाकर बिना बुलाये हाई कोर्ट में पेश हो गये और अपना कुर्ता फैला दिया जस्टिस बैंच के सामने कि इन कालोनियों में काम करने की अनुमति दी जाए। पहली बार वहां अनॉथराइज कालोनियों में काम करने की अनुमति दी गई और उसके बाद कोई स्टे नहीं कि कालोनियों में काम नहीं हो सकता। लेकिन 1998 में जो पैसा हम लोगों ने वहां पर अनॉथराइज कालोनियों के लिए रखा था, हमारी सरकार नहीं आ सकी। 1998 में अध्यक्ष महोदय यह सरकार आ गई। इन्होंने ड्रामेबाजी करनी शुरू कर दी। 1071 कालोनियों को तो एक तरफ रख दिया अक्तूबर 2004 में फिर इन्होंने आवेदन पत्र मांगे कि जो जो आरडब्ल्यूए हैं फिर एप्लाई करिए। 1432 ने एप्लाई किया, 2007 में फिर कारपोरेशन के चुनाव थे तो जून में 2006 फिर इन्होंने चुनावों में जाना था फिर आवेदन पत्र मांगे और उस समय 160 आवेदन पत्र और इतना ही नहीं 5 अक्टूबर, 2007 के भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार उस पर फिर इन्होंने यह मांगा क्योंकि 2008 के विधान सभा के चुनाव फिर अपेक्षित थे। 4 नवम्बर, 2007 को ज्ञापन छापा और यह कहा गया था कि 31 जनवरी, 2008 तक जो लिए गए हैं, इनको 9 महीने के अन्दर-अन्दर अंतिम तिथि से 9 महीने कालोनियों को नियमित करने का प्रावधान है। अध्यक्ष, महोदय, प्रश्न संख्या 136, 27 मार्च, 2008 को मेरा स्वंय का प्रश्न था और उसके जवाब में कहा।

अध्यक्ष महोदय : चौहान साहब, अब आप अपनी बात समाप्त

करिए। अब समय नहीं है, जब सब चले जाएंगे तब भी बोलेंगे। इतना समय नहीं, आप समाप्त करिए। संकल्प पर कोई सदस्य इतना नहीं बोलते हैं।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं इधर-उधर नहीं बोल रहा, ये केवल तथ्य बता रहा हूं। सर, प्राइवेट मैम्बर डे है, समय है। अध्यक्ष महोदय, फिर 4 अक्टूबर 2008 को ड्रामा किया गया, प्रोविजनल सर्टीफिकेट का ड्रामा कर दिया गया। मुझे तो सरकार एक बार यह बता दे कि क्या ये कालोनी वर्तमान की स्थिति में नियमित कर सकती है। हाई कोर्ट का आज भी स्टे है। 13 अक्टूबर 1993 का स्टे है कि जब तक यह सरकार हाई कोर्ट में यह सिद्ध नहीं कर देगी कि यह इस स्थिति में है कि वहां पर सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। कोई भी कालोनी पास नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं 14 फरवरी, 2008 के सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। वे भी आदेश यहां पर हैं लेकिन कालोनीज का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं फिर एक और सगूफा छोड़ दिया, क्योंकि अभी कारपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं नियमन का 200 रूपये विकास शुल्क लिया जाएगा और जो तथाकथित सरकारी जमीन पर हैं उनसे 575 रूपये शुल्क वर्गगज के हिसाब से लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस अनाथराइज कालोनियों में रहने वाले लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रही है जिनकी वोटों से जीत करके यहां पर आई है, आज उनके साथ फिर विश्वासघात

किया जा रहा है। कोई कालोनी नियमित नहीं की जा रही। दो साल से जब से यह चौथी विधान सभा बनी है कोई पैसा किसी कालोनी में नहीं लग रहा। आज भी वहां पर आप मास्टर प्लान 2021 उठा कर देख लें, जब आप यहां पर मौजूद थे, उसमें यह प्रोविजन लाए थे कि सारी कालोनियों को dismantle करो और तब जाकर री-डवलप करो, उसको जैसे तैसे वापस किया गया। आज 2010 के मास्टर प्लान में प्रावधान है, जो इनकी सरकार ने और यहां भी अनुमोदित करके भेजा कि 4000 गज जिनके पास अनाथराइज कालोनियों में जमीन होगी, वे मल्टीस्टोरी यानी भवन बना सकते हैं यानी भू-माफिया। जैसे ही वहां पर कालोनी नियमित होंगी कोई भी वहां पर छोटे छोटे लोगों को उखाड़ करके उनकी जमीन खरीद करके वहां पर बिल्डर्स 4000 गज जमीन वहां खरीद करके वहां पर सारे के सारे स्वीकृत कर दिये जायेगें और वहां पर भूमाफियाओं का राज होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो अनाथराइज कालोनियों में रहने वाले 40-50 लाख लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रही है।

दिल्ली पर ये सरकार बदनुमा धब्बा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कालोनी पहले नियमित हुई थी, 1977 में कोई शुल्क नहीं था और 'जैसी है जहां हैं' आधार पर नियमित किया जाना चाहिए और साथ ही इनमें, जब तक कालोनीज नियमित नहीं हो पा रही हैं, तब तक उनमें वहां नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अधिक से

अधिक पैसे का प्रावधान किया जाये। वहां पर काम कराने की अनुमति दी जाये, काम कराया जाये, उतना पैसा उपलब्ध कराया जाये। अपने इन विचारों के साथ मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है। ये सदन इस संकल्प को पास करे। जिससे कि ये सरकार जो ये घड़ियाली आंसू यहां पर ये बहा रही है, उसकी वस्तुस्थिति सामने आ जाये, आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : चौहान साहब बोल रहे थे, मुझे याद आ गया। एक पंडित रामायण की कथा कर रहे थे। बहुत देर हो गयी, लोग बोर हो रहे थे। तो एक चौधरी ऊठा और उसने कहा कि मैं तो दो लाइन में पूरी रामायण कह दूंगा। कहने लगे कहो। तो उसने कहा:

एक था राम, एक था रावणा,
उसने उसकी उठा दी लुगाई,
और उसने फूक दिया गांवड़ा।

तो ये बाते हैं, एक कहीं से थोड़ा-थोड़ा पूरी रामायण कह दो। पूरी रामायण मत बांचों।

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग तो पूरी रामायण बांचने के बाद भी ये पूछते हैं कि रावण कौन थी और सीता कौन था।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प रखा है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए यहां पर खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में ये अनधिकृत कालोनियां जितनी भी बसी हैं आखिर बसी क्यों? किसके माध्यम से बसी? कौन इसके लिए दोषी है? यदि डीडीए इस प्रकार की कालोनियों को बसा देता तो शायद अनधिकृत कालोनियों में हम लोगों को बसना नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि सदन में भी 45 से 50 विधायक जो अनधिकृत कालोनियों से जीतकर आते हैं, वे भी अपने आप को नहीं कोसते। दिल्ली के अंदर जो अनधिकृत कालोनियां बसी हैं, उनकी हालत क्या है? वे किस प्रकार से नारकीय जीवन भुगत रहे हैं। आज लोग वहां परेशान हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1639 कालोनीज को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिये गये। आखिर इनको पास करने में क्या दिक्कत है। जिस प्रकार कालोनीज को पास करने के बाद 1639 को प्राविजनल सर्टिफिकेट दिये गये। फिर काम बंद क्यों कर दिया गया? आज हालात ये है कि वहां न सड़कें बन रही हैं, न पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है। न वहां पर कहीं स्कूलों की व्यवस्था हो रही है। लोगों को नारकीय जीवन भुगताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि 2003

और 2008 के अंदर खुला पैसा वहां लगाया गया वहां विकास कार्य किये गये, तो अब उसके बाद इसी हाउस के अंदर दो वर्षों के अंदर जो विकास कार्य हुए थे, उन विकास कार्यों को रोक दिया गया। मैं ये चाहता हूं कि वहां विकास कार्य तुरन्त करवाये जायें और जो पैसे की पाबन्दी लगा दी गयी है, यहां अभी मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे। यहां अभी बहुत बड़े एल.डी. और कालोनियों.. अनधिकृत कालोनियां और गांव की बात कर रहे थे। इन्होंने ही सारे काम को रोका है। यदि वास्तव में वे इसके विकास की बात करें। 2008 तक जिस प्रकार का विकास हुआ तो लगता था कि अनधिकृत कालोनियां नहीं वास्तव में हम दिल्ली के अंदर रहते हैं। आज कालोनियों के विकास कार्य को रोक दिया गया है। रोकने के बाद क्या किया कि इनकी पैसे की लिमिट बना दी। यदि एक कालोनी 40-50 बीघे के अंदर बनी है तो दो ढ़ाई करोड़ से वहां पूरा विकास हो सकता है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र में जितना पैसा दिया गया था, यह सरकार की लापरवाही के कारण आज आधे से ज्यादा पैसा वापस हो रहा है। एस्टिमेट जो दिए थे, वे एस्टिमेट नहीं हो रहे हैं। जहां पानी की पाइप लाइन डलनी थी, वे स्कीमें रोक दी गयी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे जिस हालत में कालोनीज हैं, उनको तुरन्त पास कर दिया जाये जिससे कि दिल्ली के लोगों को

राहत मिल सके। उसके लिए मैं तथा सदन के लोग आपके आभारी रहेंगे। मैं मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा क्योंकि इस प्रकार के कार्यों में राजनीति से ऊपर उठकर ये संकल्प प्रास हो, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

अध्यक्ष महोदय : श्री रमेश बिधूड़ी।

श्री रमेश बिधूड़ी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख जो श्री साहब सिंह चौहान जी ने जो प्रस्ताव दिल्ली की अनधिकृत कालोनियां, 'जहां हैं जैसी है' उनको उसी रूप में डेवलपमैंट करके पास किया जाये, इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं दो मिनट में ही चीजों को कन्क्लूड कर दूंगा। पहले तो ये जो सरकार बैठी है, ये जो श्री राजकुमार चौहान मंत्री बैठे हैं, इनकी मर्जी के ऊपर, अनधिकृत कालोनियों के बलबूते पर बैठी है। जो इन्होंने काठ की हांडी चढ़ा दी दो साल पहले और लोगों को टाफियां दे दी। लवली जो भी बेचारे रो रहे थे, सरकार के एमएलए कि पानी कहां से निकले। लोग दो दो फुट पानी से निकलते है अनधिकृत कालोनियों में। सरकार कभी बहाना मारती है मास्टर प्लान का। दो वर्ष हो गये हैं। ऑर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नो आब्जेक्शन दे रही है। आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ

इंडिया तो केवल पुरातत्व विभाग की धरोहर का मालिक है। जमीनों का मालिक नहीं है। कांस्टीटयूशन के अनुसार। लेकिन सरकार आज तक उसको क्लीयर नहीं का पायी और बहाना मार दिया ऑर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिन्दुस्तान में जमीनों का मालिक नहीं होती है। वो पुरातत्व विभाग की पुरातत्व के भवन हैं, उनकी रक्षा करती है। पता नहीं सरकार कौन सी कुम्भकरणी नींद सो रही है? दूसरा डीडीरए का वी.सी. बार बार चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को लिखकर दे रहा है कि डीडीए ने जो जमीन एक्वायर की हुई है, हम उसको देंगे नहीं अनधिकृत कालोनी के लिए। तो वहां डेवलपमैंट कैसे होगा? डीडीए दिल्ली सरकार और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है। उसको बिठाकर बैठकर बात करे। घर की लड़ाई है लोगों की। डीडीए से एनओसी लें सर ये। तीसरा सर, आज विकास के कार्य दो साल से बंद पड़े हुए हैं और बंद होने के कारण दो साल से फारेस्ट विभाग एक नया ऑब्जेक्शन लगा रहा है। फॉरेस्ट विभाग का अमैंन्डमैन्ट एक्ट आया था, 1986 में और 1986 से पहले जो कालोनी विल्टअप हो गयी उस इलाके में, अब अफसर ग्रीन रूमों में, एअर कण्डीशनर रूमों में बैठकर और वहां खसरे और गिरवावरी लिखकर उन जमीनों को डाल रहे हैं फॉरेस्ट एक्ट के अंदर। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। कुछ कालोनियों के जो before 1986 हैं और अमैन्डमैंट जो फॉरेस्ट एक्ट आया था

जिसमें उन जमीनों को दुबारा फॉरेस्ट लैंड में डाल दिया गया है, वहां गवर्नमैंट सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, एमसीडी सड़क बना रही है, खम्भे लग गये। बिजली दे दी है, लेकिन अब जो एनओसी डालकर नो ऑब्जेक्शन दे दिया है फॉरेस्ट एक्ट का कि वो तो फॉरेस्ट एक्ट की लैंड है और दो साल पहले जब उन कालोनियों में विकास के कार्य जब सरकार ने कर दिये थे। अब दो साल पहले आपने 700 करोड़ रु. लगा दिये। केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मंत्री जी। अगर आपने दो साल पहले 7-800 करोड़ रु. लगा दिये। आज दो साल हो गये तो क्या जब चुनाव आयेगा तभी ये अनधिकृत कालोलियां, पहले आदमी के गाल पर तमाचा मारे जाओ और फिर बाद में कहो गलती हो गयी सॉरी जी। जब चुनाव आयेगा, चुनाव आने से पहले वे लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। पाप भोग रहे हैं, इसलिए संकल्प के माध्यम से सरकार इसको माने पास करे और ये कांग्रेस के मेरे बंधु जो बैठे हैं, मेरा इनसे भी निवेदन है कि इस संकल्प को पास करते हुए जहां जिस कण्डीयशन में हैं। इसमें एक बात और कहूंगा मैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हैं 2008 में, उससे पहले हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि अनधिकृत कालोनियों को पास करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल सरकार हमें इस बात के लिए एश्योर करे कि क्या सरकार वहां बेसिक एमिनिटीज देगी? क्या उनके सारे डेवलपमैंट के काम करेगी।

सरकार के पास फण्ड है सर। सरकार कोर्ट में एक एफिडेविट दे दे और इस बहाने को हटाये और अनधिकृत कालोनियों में 'As is where is' के बेसिस पर वहां डेवलपमैंट के काम करके वहां लोगों को नारकीय जीवन जीने से मुक्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलवन्त राणा। राणा साहब थोड़ा शॉर्ट में बोलना, आप जल्दी खत्म कर देना।

श्री कुलवन्त राणा : अध्यक्ष जी, जितना समय इनको दिया है, उतना समय मुझे भी दे देना।

अध्यक्ष महोदय : उनसे आधा समय आपके लिए है।

श्री कुलवन्त राणा : अध्यक्ष जी, इतने सारे केस साहब सिंह जी आज लेकर आये हुए हैं।

...अंतरबाधाएं...

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

श्री कुलवन्त राणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी समय खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो साहब सिंह चौहान जी, जो संकल्प लेकर आये हैं। मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से

पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा इस सरकार ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिलवाएं। उसके बाद में अब वो मंत्री नहीं हैं। जो पहले जिनके पास यह डिपार्टमेंट था। उन मंत्री महोदय ने एक नई परंपरा 733 की चला दी। 1020 की और जब आपने प्रोविजन सर्टिफिकेट दिए तो इसका एक मापदंड था। आपका कोई क्राइटेरिया बना होगा कि जिनको हम ने provisional certificate दिए हैं कि वो क्या क्या मापदण्ड पूरे करते हैं। आपने कोई मापदण्ड तय किए होंगे। वे मापदंड पूरे करते होंगे, तब आपने provisional cerificate दिए हैं। उसके बाद आप अलग अलग सूची बनाकर के, अब कालोनी वालों को डरा रहे हैं और उसके बाद एक और नया प्रावधान कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जिन कालोनियों में जब राजकुमार चौहान जी यू.डी. मिनिस्टर थे यह विभाग उनके पास था इन्होंने हर कालोनी के अंदर काम करा दिए। अध्यक्ष महोदय, जिन कालोनियों में काम हो गए और जो 733 की लिस्ट आई है और 1020 की कर रहे हैं। उनमें हम ने पहले काम करा दिए। अब यह कह रहे हैं कि जो लिस्ट है, उनमें काम होगा और उनमें नहीं होगा। अब अध्यक्ष महोदय, वो कॉलोनी वाले हम को बोलते हैं कि हमारी बाकी भी तो सड़कें बनाओ। अब उस पर इस प्रकार का निर्णय है कि पहले कॉलोनियों में काम करा दिए और अब रोक लगा दी। मुख्य रूप से अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां बनाने का कारण 55

साल कांग्रेस की सरकार रही। 1960 में डीडीए का गठन किया। डीडीए सब को मकान नहीं दे पाई। किसान को उसकी जमीन की सही कीमत नहीं दे पाई और सब को मकान ने देने का कारण दिल्ली में प्रति वर्ष चार पांच लाख लोग आते रहे और सरकार से उनको फ्लैट या प्लॉट मिले नहीं और किसान ने डरते हुए अपनी जमीन बेच दी कि सरकार भूमि का अधिग्रहण कर लेगी तो सरकार एक लाख या 75 हजार रुपए देगी। वो डरते हुए बेच गया और लोगों ने किसान को दस बीस हजार रुपए दिए। वहां पर प्लॉट काट दिए और कॉलोनियां बनती चली गईं और उसमें भी अधिकतर लोग कांग्रेस के लोग कॉलोनियां बनती काटने वाले है। XXXXXX का पूरा हाथ है। खुद ही पाप किए खुद ही गड़बड़ की और फिर उसके बाद अपने पापों को, गुनाहों को छिपा भी नहीं रहे हैं। उनको पास तो करो। कॉलोनियां काटने वाले भी कांग्रेसी थे। अवैध निर्माण कराने वाले कांग्रेसी थे, वो कोई और नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : आप सदन से किसी बाहरी व्यक्ति का नाम मत लीजिए।

श्री राम सिंह नेताजी : अध्यक्ष महोदय, इनको मेम्बर पार्लियामेंट का नाम नहीं लेना चाहिए।

XXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कह रहा हूं। जो सदस्य यहां नहीं है, उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री कुलवन्त राणा : अध्यक्ष जी, मुख्यरूप से इस विषय पर पिछले कई वर्षों से राजनीति हो रही है। चुनाव आयेंगे तो इस प्रकार की योजना ले आयेंगे, काम कर दो। दे दो। चुनाव जीत गए। काम पूरा हो गया तो ठंडे बस्ते में डाल दो। provisional certificate अब ये अगले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं वे क्या शगूफा छोड़ेंगे। इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए। सही भावना से, खुले दिल से जिनके लिए ये लोग committed हैं, जिन लोगों ने इनको चुनकर भेजा है। इनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया। उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह किस प्रकार का दल है। यह दल किस प्रकार की सोच से काम कर रहा है। यह भगवान जाने। आप ऐसे लोगों के प्रति भी गंभीर नहीं हैं जिन लोगों के दम पर आप चुनकर के आये, जिन्होंने आपको चुना और आपकी सरकार तीसरी बार बनी है और सदन में बैठे हैं। आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं। आप चौथी बार नहीं आआगे। अध्यक्ष, जी मानसिकता ठीक होनी चाहिए। सोच ठीक होनी चाहिए और अच्छी मानसिकता के साथ जिन लोगों के प्रति गंभीरतापूर्वक विचार रखते हुए, गंभीर होते हुए उन लोगों की समस्याओं को हल करना चाहिए और

सभी कॉलोनियां को जो तमाम कॉलोनियां as it is के आधार पर जितनी बिल्ट अप का चक्कर है वो कितना परसेंट है। जो बस गई, बस गई। वो जितनी भी हैं उनको पूरा करो। अध्यक्ष महोदय, इस साहब सिंह चौहान जी जो इस सदन के बहुत सीनियर सदस्य हैं, वे गंभीर सदस्य हैं। वे दिल्ली की समस्याओं पर हमेशा समय समय पर अपनी चिंता व्यक्त करते रहते हैं। उनके द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है। मैं उस संकल्प का समर्थन करता हूं और मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी इस संकल्प को पास करेंगे, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

(बी.जे.पी. के सभी सदस्यों ने सदन से वॉक-आउट किया)

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक को तो सदन में रहना चाहिए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, यही अनऑथोराइज्ड कालोनी चौथी बार इनकी कब्र खोदेगी। अध्यक्ष जी, अभी एक चर्चा में श्री साहब सिंह चौहान ने यह संकल्प रखा कि अनऑथोराइज्ड कालोनियों में 'जहां है, जैसी है' तथा पूर्व में हुए नियमन के अनुसार ही नियमित किया जाए तथा वहां नारकीय जिन्दगी से निजात दिलाने के लिए सभी विकास की सुविधाओं के लिए धन राशि मुहैय्या कराई जाए। अध्यक्ष जी, 4-11-2007 से लेकर 30-04-2008 तक भारत सरकार के गजट

के मुताबिक उनके दिशा निर्देश के मुताबिक हम लोगों ने दिल्ली सरकार ने अनऑथोराइज्ड कालोनियों के सभी आर.डब्ल्यू.ए. से एप्लीकेशन मांगी और उन्होंने 1639 आर.डब्ल्यू.ए. ने दिल्ली गवर्नमेंट को एप्लाई किया कि ये कालोनियां पास की जायें। अध्यक्ष जी, जब वो आर.डब्ल्यू.ए. खुद अपना मैप प्लान बनाकर दे रही है तो इसका मतलब अपने आप में यही है कि पूरी की पूरी कालोनी को पास करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है। अध्यक्ष जी, सदन में चर्चा भी लगी हुई है। उस दिन एक एक चीज का जवाब दिया जायेगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार इसमें कोई राजनीति नहीं कर रही। अनऑथोराइज्ड कालोनियों के अंदर पिछले समय भी विकास कार्य किए गए। दिल्ली सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1998 से अब तक 3376 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई और जिसमें विकास कार्य हम लोगों ने तेजी के साथ किया। जहां अनऑथोराइज्ड कालोनियों के अंदर कंकरीट की सड़कें बनी। जहां अनऑथोराइज्ड कालोनियों के अंदर पानी की पाइप लाइन पड़ी, जहां 1250 अनऑथोराइज्ड कालोनियों के अंदर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष जी, यह अपने आप में दर्शाता है कि दिल्ली सरकार ये कांग्रेस की सरकार इन अनऑथोराइज्ड कालोनियों के साथ कितनी गंभीर है। यह अपने आप में दर्शाता है। अध्यक्ष जी, हम इन अनऑथोराइज्ड कालोनियों को पास करना चाह रहे

हैं। 733 कालोनियों के मैप एम.सी.डी. को भेजे गए, 285 कालोनियों के मैप हम लोग और भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, राजनीति ये लोग कर रहे हैं कि 733 कालोनियों के बीच में सिर्फ 90 कालोनियों की एम.सी.डी. जो कि छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर अनऑथोराइज्ड कालोनियां हैं। इन्होंने सिर्फ 90 कालोनियों के ले आऊट प्लान बनाकर आज तक हम लोगों को दिए हैं। अध्यक्ष जी, राजनीति ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस की यह सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालोनियां पास करना चाहती हैं। हम लोग यहां की डवलपमेंट करना चाहते हैं। अगर इसी तरह से ये ले आऊट प्लान बनाकर देते रहे तो अनऑथोराइज्ड कालोनियों के पास करने के बीच अंदर अड़चन बी.जे.पी. की सरकार जो दिल्ली नगर निगम के अंदर बैठी हुई है वो अध्यक्ष जी, उसके अंदर रोड़ा अटका रही है। हम लोग जहां तक विकास कार्यों की बात है। अध्यक्ष जी, सिर्फ मुख्यमंत्री जी की चेयरमैनशिप के अंदर जो बोर्ड अनऑथोराइज्ड कालोनियों के बारे में बना हुआ है। उसमें बाकायदा यह निर्णय लिया गया कि हर उस जगह के ऊपर विकास कार्य किया जायेगा, जहां पर अनऑथोराइज्ड कालोनियां बसी हुई हैं। अध्यक्ष जी, जहां ए.एस.आई. की पार्टिकूलर एरिया है, उस एरिया में या फारेस्ट को वो एरिया जहां पर फारेस्ट डिक्लेयर है, पार्टिकूलर उस क्षेत्र में वहां पर अध्यक्ष जी, इस समय काम नहीं हो सकता। बाकी सब

जगह काम करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है और अध्यक्ष जी, उसके अंदर कोई लिमट नहीं रखी जा रही। जितना भी काम हमारे माननीय विधायक इन अनऑथोराइज्ड कालोनियों के अंदर कराना चाहेंगे। हम लोग इन अनऑथोराइज्ड कालोनियों के अंदर वो विकास कार्य करेंगे। सरकार की नीयत साफ है। सरकार चाहती है कि इनको पास किया जाये लेकिन लोकल बाडी तो निगर निगम है। अगर यह साल-साल या दो-दो साल के अंदर 90-90 कालोनियों के ले आऊट प्लान बनाकर के भेजेंगे तो किस आधार पर इनको पास किया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं इनके अंदर जहां पास करना भी जरूरी है, उससे कही जरूरी वहां विकास कार्यों होना है। दिल्ली शहर के अंदर एक सड़क ऊपर बार-बार डेन्स कारपेट की जाये तो वहां के लोगों को क्योंकि पहले ही सड़क बनी होती है, जो खड्डे हुए होते हैं, वो भर जाते हैं लेकिन जो अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले निवासी हैं, उनसे अगर आप पूछे कि जब बरसात आती है तो वो कच्ची सड़क जहां पर पैर रखा जाता है, दूसरी तरफ स्लिप हो जाता है, जब वहां पर कांक्रीट की सड़कें बनती हैं तो वो लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जहां पूरी दिल्ली में विकास कार्य हो रहा है तो सरकार भी गंभीर है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आलरेडी इन अनधिकृत कालोनियों को 'जहां हैं, जैसी है' उसी हिसाब से हमने इन आरडब्ल्यू की कालोनियों से

एप्लीकेशन मांगी थीं, जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है, उसी आधार पर इनको पास करने की व्यवस्था कर रहे हैं। यहां तक कि 200 रुपये डलवपमेंट चार्ज आज के समय में अगर देखा जाये तो 200 रुपये डवलपमेंट चार्ज इन कालोनियों में कोई अहमियत नहीं रखता। सरकार ने कम से कम डवलपमेंट चार्ज वहां का रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आरडब्ल्यूए के तहत जो ले आऊट प्लान आए हुए हैं, उन्हीं की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इन कालोनियों को पास करने की तो यह जो संकल्प, हालांकि चौहान जी यहां पर हैं नहीं, चले गये हैं, अब तो उस संकल्प का कोई औचित्य ही नहीं रहा। मैं यही कहना चाहूंगा और जो अगले सप्ताह में चर्चा भी रखी है, मेरे ख्याल आप लोग शैड्यूल करेंगे तो और जवाब दिया जायेगा, सरकार की नीयत साफ है, इन कालोनियों को सरकार पास करना चाहती है और इनमें विकास करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : अब यह संकल्प सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

(सदस्यों के ना कहने पर)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता,

प्रस्ताव गिर गया।

सभी माननीय सदस्यों को, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथियों को, दिल्ली सरकार एवं विधान सभा के सभी साथियों को, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, दिल्ली पुलिस को एवं सभी संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई। सदन की कार्यवाही सोमवार 21 मार्च, 2011 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 21 मार्च, 2011 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)